**<u>भारत के असाधारण राजपत्र के भाग-I खंड I में प्रकाशनार्थ</u>**

**फाइल सं. 06/35/2023-डीजीटीआर**

**भारत सरकार**

**वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय**

**वाणिज्य विभाग**

**व्यापार उपचार महानिदेशालय**

**चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001**

दिनांक: 28.08.2024

**<u>अधिसूचना</u>**

**<u>प्रारंभिक जांच परिणाम</u>**

**मामला सं.- एडी(ओआई)-31/2023**

**विषय: <u>चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "नॉन-कैपेसिटर अनुप्रयोग के लिए 5.5 माइक्रोन से कम के एल्यूमीनियम फ़ॉइल को छोड़कर, 80 माइक्रोन तक के एल्यूमीनियम फ़ॉइल" के आयातों के संबंध में प्रारंभिक जांच परिणाम - पाटनरोधी जांच</u>**

फाइल सं. 06/35/2023-डीजीटीआर: समय-समय पर यथासंशोधित सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (इसके बाद इसे "अधिनियम" के रूप में कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित तत्संबंधी सीमा-शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (इसके बाद इसे "नियमावली" के रूप में कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए;

## क. मामले की पृष्ठभूमि

1. मेसर्स हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मेसर्स श्याम सेल एंड पावर लिमिटेड, मेसर्स श्री वेंकटेश्वर इलेक्ट्रोकास्ट प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स रवि राज फ़ॉइल्स लिमिटेड, मेसर्स जीएलएस फ़ॉइल्स प्रोडक्ट प्रा. लिमिटेड, और मैसर्स एलएसकेबी एल्युमीनियम फॉयल प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड (जिसे इसके बाद "आवेदक" या "याचिकाकर्ता" भी कहा गया है) ने चीन जन.गण. (जिसे यहां आगे संबद्ध देश भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां

से निर्यातित “नॉन-कैपेसिटर अनुप्रयोग के लिए 5.5 माइक्रोन से कम के एल्यूमीनियम फ़ॉइल को छोड़कर, 80 माइक्रोन तक के एल्यूमीनियम फ़ॉइल” (जिसे यहां आगे ‘’एल्युमिनियम फॉइल अथवा संबद्ध सामाना अथवा विचाराधीन उत्पाद’’ भी कहा गया है) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू किए जाने तथा पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के लिए सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 और पाटनरोधी नियमावली के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे यहां आगे ‘’प्राधिकारी’’ भी कहा गया है) के समक्ष निर्धारित स्वरूप एवं तरीके में एक आवेदन पत्र दायर किया ।

2. प्राधिकारी ने पहले चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "5.5 माइक्रोन से 80 माइक्रोन तक के एल्यूमीनियम फ़ॉइल" के आयातों के संबंध में मूल पाटनरोधी जांच की थी, जो दिनांक 15 दिसंबर, 2015 की अधिसूचना संख्या 14/06/2015-डीजीएडी द्वारा शुरू की गई थी। प्राधिकारी ने दिनांक 10 मार्च, 2017 की अधिसूचना संख्या 14/06/2015-डीजीएडी द्वारा निश्चयात्मक शुल्क लगाने की सिफारिश की। उसके बाद वित्त मंत्रालय (एमओएफ) ने दिनांक 16 मई, 2017 की सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या23/2017-सीमा शुल्क (एडीडी) द्वारा शुल्क लगाए ।

3. प्राधिकारी ने बाद में पहली निर्णायक समीक्षा जांच की, जो दिनांक 16 सितंबर, 2021 अधिसूचना संख्या 7/27/2021-डीजीटीआर द्वारा शुरू की गई थी। प्राधिकारी ने दिनांक 14 मार्च, 2022 की अधिसूचना संख्या 7/27/2021-डीजीटीआर द्वारा शुल्क जारी रखे जाने की सिफारिश करते हुए अंतिम जांच परिणाम अधिसूचित किए । हालाँकि, वित्त मंत्रालय ने सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया, इसलिए 15 मई, 2022 के बाद ये शुल्क समाप्त हो गए।

4. घरेलू उद्योग द्वारा दायर एक आवेदन के आधार पर, प्राधिकारी ने थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया और चीन जन.गण. (चीन जन.गण. से 5.5-80 माइक्रोन के एल्यूमीनियम फ़ॉइल को छोड़कर) ‘’80 माइक्रोन से कम के एल्यूमिनियम फॉइल’’ के आयातों पर दिनांक 18 जून, 2021 के अंतिम जांच परिणाम संख्या 06/21/2020-डीजीटीआर द्वारा पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की। यह सिफ़ारिश दिनांक 16 सितंबर, 2021 की

सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 51/2021-सीमा शुल्क (एडीडी) द्वारा वित्त मंत्रालय द्वारा स्वीकार की गई थी । यह शुल्क 15 सितंबर, 2026 तक जारी है। वर्तमान आवेदकों ने पाटन और क्षति मार्जिन का पुनर्मूल्यांकन का अनुरोध करते हुए एक आवेदन पत्र भी प्रस्तुत किया है। तदनुसार, प्राधिकारी ने दिनांक 29 मार्च 2024 की अधिसूचना संख्या 7/3/2024-डीजीटीआर द्वारा थाईलैंड से "80 माइक्रोन से कम के एल्यूमीनियम फ़ॉइल" के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की मध्यावधि समीक्षा शुरू की है। यह जांच चल रही है ।

5. आवेदक पुन: चीन जन.गण. से "5.5 माइक्रोन से 80 माइक्रोन तक के एल्यूमिनियम फ़ॉइल" पर शुल्क की समाप्ति के बाद प्राधिकारी के पास गए और उन्होंने यह अनुरोध किया कि इनकी समाप्ति के बाद, संबद्ध सामान भारी मात्रा में पाटित कीमतों पर भारतीय बाजार में आने शुरू हो गए हैं और परिणामस्वरुप घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति पहुंचा रहे हैं। प्राधिकारी ने तथाकथित पाटन की मॉजूदगी, मात्रा और प्रभाव निर्धारित करने के लिए और पाटनरोधी शुल्क की राशि, जो यदि लगाई जाए और जो घरेलू उद्योग को तथाकथित क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, की सिफारिश करने के लिए नियम 5 के अनुसार संबद्ध जांच शुरू करते हुए आवेदकों द्वारा प्रस्तुत पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर दिनांक 21 मार्च, 2024 की अधिसूचना संख्या 06/35/2023- डीजीटीआर द्वारा एक सार्वजनिक सूचना जारी की।

## ख. प्रक्रिया

6. इस जांच के संबंध में नीचे निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया गया है:

i) प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(5) के अनुसार जांच शुरू करने की कार्रवाई से पूर्व वर्तमान पाटनरोधी आवेदन पत्र की प्राप्ति के संबंध में भारत में संबद्ध देश के दूतावास को अधिसूचित किया।

ii) प्राधिकारी ने, आवेदकों द्वारा प्रस्तुत पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर, दिनांक 21 मार्च, 2024 की अधिसूचना संख्या 06/35/2023-डीजीटीआर द्वारा संबद्ध देश से

संबद्ध सामानों के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू करते हुए भारत के राजपत्र, असाधारण में एक सार्वजनिक सूचना प्रकाशित की ।

iii) प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध देश के दूतावास, सभी ज्ञात निर्यातकों, आयातकों और प्रयोक्ताओं (जिनके ब्यौरे आवेदकों द्वारा उपलब्ध कराए गए थे) को प्रश्नावलियों के साथ सार्वजनिक सूचना की प्रति भेजी और उन्हें पाटन रोधी नियमों के नियम 6(2) के अनुसार लिखित में उनके ज्ञात विचार विचार देने का अवसर प्रदान किया ।

iv) प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार ज्ञात निर्यातकों और संबद्ध देश के दूतावास को आवेदन पत्र के अगोपनीय रूपांतर की एक प्रति उपलबध कराई। आवेदन पत्र की प्रति अनुरोध के अनुसार अन्य हितबद्ध पक्षकारों को भी उपलब्ध कराई गई थी ।

v) प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार संबद्ध देश में निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को संगत सूचना मंगाए जाने के लिए प्रश्नावली भेजी:

| क्र.सं. | उत्पादक/निर्यातक |
|---|---|
| 1. | डिंगशेंग एल्युमीनियम इंडस्ट्रीज हांगकांग ट्रेडिंग |
| 2. | डोंग गुआन काई युआन प्लास्टिकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड लिमिटेड |
| 3. | फेंगचेंग हुआकियांग मशीनरी कंपनी लिमिटेड |
| 4. | हेनान मिंगताई प्रौद्योगिकी विकास कंपनी लिमिटेड लिमिटेड |
| 5. | गुआंगज़ौ माइवोडेकर कंपनी लिमिटेड |
| 6. | लुओयांग लॉन्गडिंग एल्युमीनियम इंडस्ट्रीज कंपनी लिमिटेड |
| 7. | एम कुशान एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड |
| 8. | शेडोंग मिंगडा पैकिंग उत्पाद कंपनी लिमिटेड |
| 9. | जियानगिन बॉन्डटेप टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन |
| 10. | विशाल उद्योग कंपनी लिमिटेड |
| 11. | जियांग्सू डिंगशेंग न्यू मैटेरियल्स ज्वाइंटस्टॉक कंपनी लिमिटेड लिमिटेड- |
| 12. | जिआंगसु फेंगयुआन एल्युमीनियम मास्टर टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड लिमिटेड |

| क्र.सं. | उत्पादक/निर्यातक |
|---|---|
| 13. | सुश्री झेंग्झौ मिंगताई उद्योग कंपनी। लिमिटेड |
| 14. | पेइक्सियन फेंगयुआन आयात और निर्यात राडे कंपनी। लिमिटेड |
| 15. | क़िंगदाओ डोंगहाई एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड लिमिटेड |
| 16. | शेडोंग डेली एल्युमीनियम टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड लिमिटेड |
| 17. | टीजेपीएफटीजेड एलइंटरनेशनल ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड .एक्स. |
| 18. | विक्ट्री फ़ूड स्पेशलिटीज़ एफजैडई |
| 19. | वूशी असंख्य निगम |
| 20. | हेबेई नॉर्थ चाइना एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड |
| 21. | ज़ियामेन कोलिसेन पैकेजिंग इंटीग्रेशन कंपनी लिमिटेड |
| 22. | युन्नान हाओक्सिन एल्युमिनियम फॉयल कंपनी लिमिटेड |
| 23. | झांगझोउ बानरुओ आयात निर्यात कंपनी लिमिटेड |
| 24. | झेंग्झौ मिंगताई इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड लिमिटेड |
| 25. | डिंगशेंग एल्युमीनियम इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेड लिमिटेड |
| 26. | ज़ियामेन ज़ियाशुन एल्युमिनियम फ़ॉइल कंपनी लिमिटेड |
| 27. | जिआंगसु अल्चा एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड लिमिटेड |
| 28. | आर्कोनिक एल्युमीनियम उत्पाद कंपनी लिमिटेड (कुशान) |

vi) संबद्ध देश से निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने निर्यातक की प्रश्नावली के उत्तर दायर किए अथवा कोई अनुरोध किए :

| क्र.सं. | उत्तरदाता /निर्यातक |
|---|---|
| 1. | एटीईसी न्यू मटेरियल इंडस्ट्री कंपनी सीमित |
| 2. | डैचिंग एंटरप्राइजेज लिमिटेड |
| 3. | डिंगशेंग एल्युमीनियम इंडस्ट्रीज (हांगकांग) ट्रेडिंग कंपनी। लिमिटेड |
| 4. | हांग्जो डिंगशेंग आयात और निर्यात कंपनी। लिमिटेड |
| 5. | हांग्जो फाइव स्टार एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड लिमिटेड |

| क्र.सं. | उत्तरदाता /निर्यातक |
|---|---|
| 6. | हेनान मिंगसेंग न्यू मटेरियल टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड |
| 7. | हेनान मिंगताई प्रौद्योगिकी विकास कंपनी लिमिटेड लिमिटेड |
| 8. | इनर मंगोलिया लियान शेन न्यू एनर्जी कंपनी लिमिटेड लिमिटेड |
| 9. | जिआंगसु डिंगशेंग न्यू मैटेरियल्स ज्वाइंट स्टॉक कंपनी लिमिटेड लिमिटेड |
| 10. | जिआंगसु फेंगयुआन एल्युमीनियम मास्टर टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड लिमिटेड |
| 11. | जियांग्सू झोंगजी लेमिनेशन मटेरियल्स कंपनी (एचके) लिमिटेड |
| 12. | जियांग्सू झोंगजी लैमिनेशन मटेरियल्स कंपनी लिमिटेड लिमिटेड |
| 13. | कुशान एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड |
| 14. | लॉन्गडिंग ग्लोबल (सिंगापुर) पीटीई लिमिटेड |
| 15. | लुओयांग लॉन्गडिंग एल्युमीनियम इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेड |
| 16. | लुओयांग वानजी एल्युमीनियम प्रोसेसिंग कंपनी लिमिटेड |
| 17. | पेइक्सियन फेंगयुआन आयात और निर्यात व्यापार कंपनी। लिमिटेड |
| 18. | शांगडोंग डेली एल्युमीनियम टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड लिमिटेड |
| 19. | शंघाई सुन्हो एल्युमिनियम फॉयल कंपनी लिमिटेड |
| 20. | सनहो न्यू मैटेरियल्स टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड |
| 21. | टेट्रा पाक बीजिंग कंपनी लिमिटेड |
| 22. | टेट्रा पाक ग्लोबल सप्लाई एसए |
| 23. | टेट्रा पाक जुरोंग पीटीई लिमिटेड |
| 24. | ज़ियामेन ज़ियाशुन एल्युमिनियम फ़ॉइल कंपनी लिमिटेड |

vii) प्रश्नावलियां पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना मंगाते हुए भारत में संबद्ध सामानों के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को गई थी:

| क्र.सं. | आयातक/प्रयोक्ता | क्र.सं. | आयातक/प्रयोक्ता |
|---|---|---|---|
| 1. | ऐस ओवरसीज | 2. | मेरिनो इंडस्ट्रीज लिमिटेड |
| 3. | आर डी इंडस्ट्रीज | 4. | मॉडर्न लेमिनेटर्स प्रा. लिमिटेड |

| क्र.सं. | आयातक/प्रयोक्ता | क्र.सं. | आयातक/प्रयोक्ता |
|---|---|---|---|
| 5. | अजंता पैक मार्ट प्रा. लिमिटेड | 6. | मोहन मुथा पॉलीटेक प्रा. लिमिटेड |
| 7. | एसीजी फार्मापैक प्रा. लिमिटेड | 8. | मोंटाज एंटरप्राइजेज प्रा. लिमिटेड |
| 9. | एयरो इनकॉर्पोरेशन | 10. | मोंटेक्स ग्लास फाइबर इंडस्ट्रीज़ प्रा. लिमिटेड |
| 11. | एयर इंडिया लिमिटेड | 12. | नागरीका इंडकॉन प्रोडक्ट्स प्रा. लि. |
| 13. | डीबी इंटरनेशनल | 14. | नोबेल चॉकलेट्ज़ |
| 15. | अलस्टोन इंडस्ट्रीज प्रा. लिमिटेड | 16. | ओसवाल एक्सट्रूज़न लिमिटेड |
| 17. | अलुफ़ॉइल प्रोडक्ट्स प्रा. लिमिटेड | 18. | पारिख पैकेजिंग प्रा. लिमिटेड |
| 19. | अलुटेक पैकेजिंग प्रा. लिमिटेड | 20. | पॉलीबॉन्ड इंसुलेशन प्रा. लिमिटेड |
| 21. | अंसापैक प्रा. लिमिटेड | 22. | प्रज्ञा फ्लेक्सी फिल्म इंडस्ट्रीज |
| 23. | वाइफ इंसुलेशन प्रा. लिमिटेड | 24. | प्रिंटमैन ऑफसेट प्रा. लिमिटेड |
| 25. | अशोक टेसिल्स | 26. | प्योरिटी फ्लेक्स पैक लिमिटेड |
| 27. | ऑडेक्स प्रोटेक्टिव फैब्रिक्स प्रा. लिमिटेड | 28. | आर एस फ़ॉइल्स प्रा. लिमिटेड |
| 29. | एवी एंटरप्राइजेज | 30. | राधिका एक्सपोर्ट्स कॉर्पोरेशन |
| 31. | बालाजी पैकेजिंग कंपनी | 32. | रहेजा पॉलिमर एंड केमिकल्स |
| 33. | बिलकेयर लिमिटेड | 34. | राम किशोर नागरमल मार्केटिंग प्रा. लिमिटेड |
| 35. | एस्सेल थर्मोवेयर प्रा. लिमिटेड | 36. | रविराज फ़ॉइल्स लिमिटेड |
| 37. | एस्सेल प्रोपैक लिमिटेड | 38. | रॉकड्यूड इम्पेक्स प्रा. लिमिटेड |
| 39. | फ्यूचरिस्टिक मार्केटिंग सॉल्यूशंस | 40. | रॉयल इंटरनेशनल |
| 41. | जी एल एस फिल्म्स इंडस्ट्रीज प्रा. लिमिटेड | 42. | एस एल पैकेजिंग प्रा. लिमिटेड |
| 43. | गजरा ग्लास फाइबर प्रा. लिमिटेड | 44. | सांवरिया पैकेजिंग प्रा. लिमिटेड |
| 45. | जीप इंडस्ट्रीज इंडिया प्रा. लिमिटेड | 46. | एसएपीएल स्टील एलएलपी |
| 47. | जीके इंटरप्राइजेज प्रा. लिमिटेड | 48. | सतनाम प्रिंट एन पीएसी |
| 49. | ग्रीनबेरी फ़ॉइल्स इंडिया लिमिटेड | 50. | शार्बिन इंटरनेशनल |
| 51. | गुजरात पॉलीफिल्म्स प्रा. लिमिटेड | 52. | शैल एन ट्यूब प्रा. लिमिटेड |
| 53. | हीना रोटो प्रिंट्स | 54. | श्री महावीर सेल्स कॉर्पोरेशन |

| क्र.सं. | आयातक/प्रयोक्ता | क्र.सं. | आयातक/प्रयोक्ता |
|---|---|---|---|
| 55. | हिंद फ़ॉइल्स एलएलपी | 56. | श्री राम मल्टीटेक लिमिटेड |
| 57. | हिंद ग्लोबल | 58. | सिद्धि प्रोडक्ट्स प्रा. लिमिटेड |
| 59. | होममेड बेकर्स इंडिया लिमिटेड | 60. | सिल्वर फ़ॉइल्स प्रा. लिमिटेड |
| 61. | हुहतमाकी पीपीएल लिमिटेड | 62. | सिपला सॉल्यूशंस |
| 63. | आईनॉक्स इंडिया प्रा. लिमिटेड | 64. | एसएमवी इम्पेक्स |
| 65. | इंटरनेशनल ट्रेडर्स | 66. | एसएनएस ओवरसीज प्रा. लिमिटेड |
| 67. | जश पैकेजिंग कंपनी | 68. | सोरिच फ़ॉइल्स लिमिटेड |
| 69. | फ्लोरा इंडस्ट्रीज | 70. | स्पर्श पैकेजिंग प्रा. लिमिटेड |
| 71. | इंटरनेशनल ट्रेडर्स | 72. | स्वम टॉयल पैकेजिंग इंडस्ट्रीज प्रा. लि. |
| 73. | जिंदल इंडिया लिमिटेड | 74. | श्री वेंकटेश्वर कॉइल मिल प्रा. लिमिटेड |
| 75. | जुपिटर लैमिनेटर्स प्रा. लिमिटेड | 76. | स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड |
| 77. | केप कोन्स प्रा. लिमिटेड | 78. | सुपर पैकेजिंग |
| 79. | किंजल इम्पेक्स | 80. | सुवजय इंडस्ट्रीज इंडिया एलएलपी |
| 81. | आईटीसी लिमिटेड | 82. | सिंथिको फॉयल्स लिमिटेड |
| 83. | कनोडिया टेक्नोप्लास्ट लिमिटेड | 84. | तानिया पॉलीफिल्म्स प्रा. लिमिटेड |
| 85. | केएच एक्सपोर्ट्स इंडिया प्रा. लिमिटेड | 86. | टीसीपीएल पैकेजिंग लिमिटेड |
| 87. | केफ्लेक्स इंडिया प्रा. लिमिटेड | 88. | जेएएफ ओवरसीज एलएलपी |
| 89. | किंजल इम्पेक्स | 90. | द सुप्रीम इंडस्ट्रीज लिमिटेड |
| 91. | कुलोदय उद्योग | 92. | थर्मल इंजीटेक प्रा. लिमिटेड |
| 93. | महावीर पेपर ट्रेडिंग कंपनी | 94. | थर्मोप्लास्ट प्रा. लिमिटेड |
| 95. | लिली पिंस प्रा. लिमिटेड | 96. | विवा कम्पोजिट पैनल प्रा. लिमिटेड |
| 97. | महेश मेटलॉयज प्रा. लिमिटेड | 98. | ट्रैफोमेक इंडिया प्रा. लिमिटेड |
| 99. | मालिंदी रिटेल प्रा. लिमिटेड | 100. | ट्रेंडज़ इंटरनेशनल |
| 101. | मरुधर इंडस्ट्रीज लिमिटेड | 102. | ट्रू वैल्यू इंटरनेशनल |
| 103. | मारुति पेपर इंडिया कंपनी | 104. | यूफ्लेक्स लिमिटेड |
| 105. | मास्टर्स इंडिया प्रा. लिमिटेड | 106. | यूनिटेक एंटरप्राइज प्रा .लिमिटेड |

| क्र.सं. | आयातक/प्रयोक्ता | क्र.सं. | आयातक/प्रयोक्ता |
|---|---|---|---|
| 107. | माज़्दा एजेंसियां | 108. | यूनाइटेड ब्रुअरीज लिमिटेड |
| 109. | मेडिकैप हेल्थकेयर लिमिटेड | 110. | ट्विगा फाइबरग्लास प्रालिमिटेड. |
| 111. | श्रीनाथ रोटोपैक प्रा. लिमिटेड | 112. | विशाल कंटेनर्स लिमिटेड |

viii) निम्नलिखित आयातकों/प्रयोक्ता ने आयातक प्रश्नावली के उत्तर दायर किए हैं अथवा कोई अनुरोध किए हैं:

| **क्र.सं.** | **उत्तरदाता आयातक /प्रयोक्ता** |
|---|---|
| 1. | एमकोर फ्लेक्सिबल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड |
| 2. | असावा इंसुलेशन प्राइवेट लिमिटेड |
| 3. | कैप्रिहान्स इंडिया लिमिटेड |
| 4. | डालफो फ्लेक्सीकैप प्राइवेट लिमिटेड |
| 5. | एमिनेंट ट्रेड एंड एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड |
| 6. | इंडियन फ्लेक्सिबल पैकेजिंग एंड फोल्डिंग कार्टन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन |
| 7. | ज्वेल पैकेजिंग पी लिमिटेड |
| 8. | जिल पैक |
| 9. | मॉन्टेज एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड |
| 10. | नागरीका इंडकॉन प्रोडक्ट्स (पी) लिमिटेड |
| 11. | पहाड़पुर कूलिंग टावर्स लिमिटेड |
| 12. | पहाड़पुर 3पी प्राइवेट लिमिटेड |
| 13. | पैरामाउंट यूनिवर्सल प्राइवेट लिमिटेड |
| 14. | राम किशोर नागरमल मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड |
| 15. | रॉकडूड इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 16. | सिल्वर फॉयल्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 17. | सुवजय इंडस्ट्रीज इंडिया एलएलपी |

| | |
|---|---|
| 18. | टेट्रा पैक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड |
| 19. | यूफ्लेक्स लिमिटेड |
| 20. | एसीजी फार्मापैक प्राइवेट लिमिटेड |

ix) वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए जांच की अवधि 1 अक्टूबर, 2022 से 30 सितंबर, 2023 (12 महीने) है (जिसे यहां आगे "जांच की अवधि" अथवा "पीओआई" कहा गया है) है। क्षति विश्लेषण अवधि में जांच की अवधि और पूर्व वर्ष, 2019-20, 2020-21, 1 अप्रैल 2021- 30 सितंबर 22 (वार्षिकीकृत) शामिल है।

x) प्राधिकारी ने 21 मार्च, 2024 की जांच की शुरूआत की अधिसूचना के पैरा 7 द्वारा हितबद्ध पक्षकारों को जांच की शुरूआत के 15 दिनों के भीतर, जो 5 अप्रैल, 2024 को समाप्त हो गये, विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र और उत्पाद नियंत्रण संख्या (पीसीएन) के संबंध में अपनी टिप्पणियां देने के लिए अवसर प्रदान किया । निर्धारित समयावधि के भीतर विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र के संबंध में अथवा पीसीएन के निर्माण के लिए हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए सभी अनुरोधों विचार किया गया था । तदनुसार, प्राधिकारी ने दिनांक 6 जून, 2024 की अधिसूचना द्वारा जांच की शुरूआत की अधिसूचना में प्रस्तावित किए गए अनुसार विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र और पीसीएन को स्पष्ट करने  के लिए कार्यवाही की ।

xi) प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारोंऔर संबंधित मंत्रालय को एक आर्थिक हित प्रश्नावली (ईआईक्यू) जारी की। ईआईक्यू का उत्तर घरेलू उद्योग द्वारा ही प्रस्तुत किया गया है।

| क्र.सं. | उत्तरदाता निर्यातक /आयातक |
|---|---|
| 1. | एटीईसी न्यू मटेरियल इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड, हांगकांग |
| 2. | डालफो फ्लेक्सीपैक प्राइवेट लिमिटेड |
| 3. | डिंगशेंग एल्युमिनियम इंडस्ट्रीज ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड (हांगकांग) |
| 4. | एमिनेंट ट्रेड एंड एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड |
| 5. | हांग्जो डिंगशेंग इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी लिमिटेड |
| 6. | हांग्जो फाइव स्टार एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड |
| 7. | इनर मंगोलिया लियान शेंग न्यू एनर्जी मटेरियल कंपनी लिमिटेड |

| | |
|---|---|
| 8. | जियांगसू डिंगशेंग न्यू मटेरियल ज्वाइंटस्टॉक कंपनी लिमिटेड- |
| 9. | जियांगसू झोंगजी लेमिनेशन मटेरियल कंपनी लिमिटेड (एचके) |
| 10. | जियांगसू झोंगजी लेमिनेशन मटेरियल कंपनी लिमिटेड |
| 11. | लोंगडिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड (सिंगापुर ) |
| 12. | लुओयांग लोंगडिंग एल्युमिनियम इंडस्ट्रीज कंपनी लिमिटेड |
| 13. | नागरीका इंडकॉन प्रोडक्ट्स लिमिटेड (पी) |
| 14. | पैरामाउंट यूनिवर्सल प्राइवेट लिमिटेड |
| 15. | रॉकवूड इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 16. | शेडोंग डेली एल्युमीनियम टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड |
| 17. | शंघाई सुनहो एल्युमीनियम फॉयल कंपनी लिमिटेड |
| 18. | सिल्वर फॉयल प्राइवेट लिमिटेड |
| 19. | सुनहो न्यू मैटेरियल्स टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड |
| 20. | सुवजय इंडस्ट्रीज इंडिया एलएलपी |
| 21. | टेट्रा पैक बीजिंग कंपनी लिमिटेड |
| 22. | टेट्रा पैक ग्लोबल सप्लाई एसए |
| 23. | टेट्रा पैक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड |
| 24. | टेट्रा पैक जुरोंग पीटीई लिमिटेड |

xii) हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई सूचना की जांच उन दावों की पर्याप्तता के संबंध में की गई। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने जहां भी आवश्यक था, गोपनीयता के दावों को स्वीकार कर लिया है, और वह सूचना गोपनीय मानी गयी है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं की गई है । जहां भी संभव हुआ है, गोपनीय आधार पर सूचना देनेवाले पक्षकारों को यह निर्देश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर दायर की गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराएं ।

xiii) प्राधिकारी ने उत्पादकों से आवश्यकतानुसार अतिरिक्त जानकारी मांगी। घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों का डेस्क सत्यापन वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए आवश्यकतानुसार किया गया।

xiv) सभी हितबद्ध पक्षकारों की सूची डीजीटीआर वेबसाइट पर अपलोड की गई जिसमें उनसे अनुरोध किया गया था कि वे सभी जांच दल सहित सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को अपने अनुरोधों का अगोपनीय रूपांतर ईमेल करें।

xv) गैर-क्षतिग्रस्त कीमत (एनआईपी) का निर्धारण, सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (जीएएपी) और नियमों के अनुलग्नक III के आधार पर घरेलू उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर, उत्पादन की लागत और भारत में विषयगत वस्तुओं को बनाने और बेचने की लागत के आधार पर किया गया है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या डंपिंग मार्जिन से कम एंटी-डंपिंग शुल्क घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा।

xvi) प्राधिकारी ने उस स्तर तक सभी हितबद्ध पक्षों द्वारा उठाए गए सभी तर्कों और दी की सूचना पर विचार किया है, जहां तक वह वर्तमान जांच के लिए साक्ष्य के लिए समर्थित और संगत मानी गई है। प्राधिकारी प्रारंभिक जांच परिणामों के बाद सभी हितबद्ध पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के दस्तावेजों की जांच करेंगे जो अंतिम जांच परिणामों के समय निष्कर्षों का आधार बनेंगी।

xvii) जहां कहीं भी किसी हितबद्ध पक्षकार सूचना देने से इनकार कर दिया है अथवा वर्तमान जांच प्रक्रिया के दौरान आवश्यक सूचना नहीं दी है अथवा जांच में काफी बाधा डाली वहां वहां प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपनी टिप्पणी दर्ज की है।

xviii) इस प्रारंभिक जांच में *** गोपनीय आधार पर किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा दी गई और नियमावली के तहत प्राधिकारी द्वारा मानी गई सूचना दर्शाते हैं ।

xix) अम.डॉ. से भारतीय रुपए में परिवर्तन के लिए जांच की अवधि के लिए मानी गई विनिमय दर 1 अम.डॉ. = 83.21 रुपए है।

## ग. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

7. जांच की शुरूआत के स्तर पर परिभाषित किए गए अनुसार, विचाराधीन उत्पाद (जिसे यहां आगे "पीयूसी" भी कहा गया है) निम्नलिखित था:

*2.* *वर्तमान आवेदन पत्र में विचाराधीन उत्पाद निम्नलिखित को छोड़कर "एल्यूमीनियम फ़ॉइल" (जिसे यहां आगे "संबद्ध सामान" या "विचाराधीन उत्पाद" या "पीसूसी" भी कहा जाएगा) है:*

*i.* *नॉन केपेसिटर अनुप्रयोगों के लिए चीन जन.गण. से* ***5.5 माइक्रोन से कम का एल्युमीनियम फ़ॉइल'****। केपेसिटर अनुप्रयोगों के लिए एल्युमिनियम फॉइल विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र के अंतर्गत है । इसे 5.5 माइक्रोन से कम इसे "चीन जन.गण., मलेशिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 80 माइक्रोन और उससे कम के एल्युमीनियम फ़ॉइल" के संबंध में की गई पाटनरोधी शुल्क जांच में विशेष रूप से अलग किया गया था ।*

*ii.* ***इन्सुलेशन, मसालों की पैकिंग, थर्मल फ्लूइड लाइन कवरिंग और टी बैग के अनुप्रयोग में इस्तेमाल के लिए बने अल्ट्रा-लाइट गेज परिवर्ति फ़ॉइल*** *- अल्ट्रा लाइट गेज परिवर्तित फ़ॉइल एक एल्युमिनियम फ़ॉइल है जिसमें 5.5 माइक से 7 माइको तक की मोटाई है जिसके पीछे क्राफ्ट पेपर और स्क्रिम अथवा ग्लास क्लॉथ लगा है, वह चाहे वह सादा हो अथवा इन्सुलेशन, मसालों की पैकिंग, थर्मल फ्लूइड लाइन कवरिंग और टी बैग अनुप्रयोग में प्रयोग के लिए मुद्रित हो ।*

*iii.* ***इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर के लिए बने एच्ड अथवा निर्मित एल्युमिनियम फ़ॉइल -*** *एच्ड अथवा निर्मित एल्युमिनियम फ़ॉइल इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर के विनिर्माण में प्रयोग के लिए बना एल्युमिनियम फॉइल है ।*

*iv.* ***फ़ेसेड क्लैडिंग और साइनेज अनुप्रयोगों के लिए बने एल्युमिनियम कम्पोजिट पैनल-*** *एल्युमिनियम कम्पोजिट पैनल फ़ेसेड क्लैडिंग और साइनेज में प्रयोग के लिए एल्युमिनियम की दो परतों के बीच बंधा एक एक गैर-एल्युमिनियम कोर (प्राय: पीई) है ।*

*v.* ***नॉन -क्लैड एल्युमीनियम फॉयल के अनुरूप क्लैड -*** *नॉन -क्लैड एल्युमीनियम फॉयल आटोमोटिव उद्योग में इंजन कूलिंग तथा एयर कंडीशनर प्रणालियों, यथा - रेडिएटर, कंडेनशर, इवेपोरेटर, इंटरकूलर, ऑयल कूलर और हीटर, में प्रयोग के*

*लिए उच्च शक्ति की एलयुमिनियम एलॉय कोर सामग्री में धात्विक रूप से बंधी एल्यूमिनियम सतह परतों से निर्मित संक्षारणरोधी एल्यूमिनियम शीट है ।*

*vi.* ***<u>बीयर की बोतल के लिए एल्युमीनियम फॉयल -</u>*** *बियर बोतल में प्रयोग के लिए कठोर सतह और छिद्रित, चाहे वह मुद्रित हो या नहीं; से युक्त 10.5 माइक्रोन की एल्युमीनियम फॉयल, ।*

*vii.* ***<u>एल्यूमीनियम-मैंगनीज-</u>*** *रेडिएटर, चार्ज एयर कूलर, कंडेनसर, ऑयल कूलर, हीटर कोर, इवेपोरेटर, हीट वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग (एचवीएसी) प्रणालियों और उनके हिस्से पुर्जों सहित हीट एक्सचेंजर्स में प्रयोग के लिए प्रशुल्क शीर्ष 7607 के तहत आने वाले, 35 एमपीए से अधिक पोस्ट ब्रेज़िंग यील्ड स्ट्रेंथ के साथ क्लैड हो या अनक्लैड हो, सिलिकॉन आधारित और/अथवा क्लैड एल्यूमीनियम-मैंगनीज सिलिकॉन आधारित एलॉय ।*

*viii. अधेसिव टेप*

*ix. कलर कोटेड एल्यूमीनियम फॉइल*

8. एल्युमीनियम फॉयल का उपयोग खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों की सुरक्षा, भंडारण और तैयारी के लिए बड़े पैमाने पर किया जाता है। इसका उपयोग खाद्य और खाद्य उत्पादों के संरक्षण और परिरक्षण के लिए पैकेजिंग सामग्री के रूप में किया जाता है।

9. विचाराधीन उत्पाद को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के उपशीर्षक 7607 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। विषयगत वस्तुओं का आयात भारत में निम्नलिखित कोड 76071190, 76072090, 76072010, 76071110, 76071999, 76071991, 76071995, 76071910, 76071994, 76071993 और 76071992 के अंतर्गत किया जा रहा है। सीमा शुल्क वर्गीकरण सांकेतिक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

10. आवेदकों ने दायर आवेदन में निम्नलिखित उत्पाद नियंत्रण संख्या (पीसीएन) प्रस्तावित की हैं:

| **क्र. सं.** | **फॉइल का प्रकार** | **माइक्रोन रेंज** | **बेयर/ कन्वर्टेड** |
|---|---|---|---|
| 1 | एलू एलू स्टॉक | 45-60 | बेयर फॉइल |
| 2 | हाउस फ़ॉइल | 8 - 22 | बेयर फॉइल |
| 3 | लाइट गेज (एलजी) | 7 - < 20 | बेयर फॉइल |
| 4 | मीडियम गेज (एमजी) | 20-60 | बेयर फॉइल |
| 5 | सेमी रिजिड कंटेनर (एसआरसी) | 30 - 80 | बेयर फॉइल |
| 6 | अल्ट्रा-लाइट गेज बेयर | 5.5 - <7 | बेयर फॉइल |
| 7 | बैटरी फ़ॉइल | 9 - 20 | बेयर फॉइल |
| 8 | कैपेसिटर | 4.5 - 20 | बेयर फॉइल |
| 9 | कोई अन्य बेयर फ़ॉइल (1-8 के अंतर्गत न आने वाले) | | बेयर फॉइल |
| 10 | सिगरेट फ़ॉइल | < = 7 | कन्वर्टेड |
| 11 | हाउस फ़ॉइल कन्वर्टेड | 8 - 22 | कन्वर्टेड |
| 12 | एसआरसी कन्वर्टेड | 30 - 80 | कन्वर्टेड |
| 13 | मीडियम गेज (एमजी) कन्वर्टेड | 20-60 | कन्वर्टेड |
| 14 | लाइट गेज (एलजी) कन्वर्टेड | 7 - < 20 | कन्वर्टेड |
| 15 | बैटरी फ़ॉइल कन्वर्टेड | 9 - 20 | कन्वर्टेड |
| 16 | एलू एलू कन्वर्टेड/लैमिनेटेड | 45-60 | कन्वर्टेड |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 17 | कोई अन्य कन्वर्टेड फ़ॉइल (10-16 के अंतर्गत न आने वाले) | | कन्वर्टेड |

11. पक्षों से अनुरोध किया गया कि वे प्राधिकरण के समक्ष दायर आवेदन के अगोपनीय संस्करण के प्रचलन के 15 दिनों के भीतर पीयूसी पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करें तथा पी.सी.एन., यदि कोई हो, प्रस्तावित करें।

12. आरंभिक अधिसूचना जारी होने के पश्चात विभिन्न इच्छुक पक्षों से पी.यू.सी. तथा पी.सी.एन. पद्धति के दायरे पर टिप्पणियां प्राप्त हुईं। इच्छुक पक्षों के साथ पी.यू.सी. तथा पी.सी.एन. पर चर्चा करने के लिए 8 मई 2024 को एक बैठक भी आयोजित की गई।

**ग.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार**

13. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. विचाराधीन उत्पाद को उत्पाद की मोटाई का कोई संदर्भ दिए बिना परिभाषित किया गया है। पूर्व की जाँच के साथ इस जाँच में विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र का अतिव्यापन है ।

ख. विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र केवल 80 माइक्रोन तक है, क्योंकि प्रस्तावित पीसीएन की केवल 80 माइक्रोन तक की मोटाई वाला प्रस्तावित पीसीएन में 80 माइक्रोन तक की मोटाई है, और प्रशुल्क शीर्ष 7607 में केवल 200 माइक्रोन से कम की एल्यूमीनियम फॉइल शामिल है। इसके अतिरिक्त, 80 माइक्रोन से अधिक की फॉइल पर पहले से ही एफआरपी संबंधी जांच के बाद शुल्क लगता है और उसे अलग किया जाना चाहिए ।

ग. वर्तमान जांच पूर्व निर्णायक समीक्षा जांच की पुनः जांच है, अत: 5.5 से कम और 80 माइक्रोन से अधिक की फॉयल विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र के अंतर्गत

नहीं है । इसे प्राधिकारी  द्वारा विचाराधीन उत्पाद की परिभाषा में नोट किया जाना चाहिए।

घ. इसके अतिरिक्त, पाटनरोधी शुल्क  5.5 माइक्रोन से कम के एल्युमिनियम फॉयल पर पहले से ही लगाया गया है, अत: वर्तमान जांच विचाराधीन उत्पाद के इस क्षेत्र के अंतर्गत इसे शामिल नहीं कर सकती है।

ङ. मूल जांच में "एलु एलु लेमिनेट" और "5.5 माइक्रोन से कम के कैपेसिटर अनुप्रयोग के लिए एल्युमिनियम फॉयल" अलग किए गए थे। चूंकि मूल जांच में कोई परिवर्तन नहीं है, अत: इन दोनों को अलग किया जाना चाहिए।

च. यहां तक कि यदि कैपेसिटर के लिए फॉयल को शामिल किया जाता है तो पीसीएन के लिए रेंज 4.5-20 माइक्रोन होनी चाहिए। यदि 5.5-माइक्रोन फॉइल से कम की कैपेसिटर फॉयल क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आती है, तो पीसीएन 5.5-20 माइक्रोन होना  चाहिए।

छ. सिगरेट फॉयल के लिए माइक्रोन रेंज '<=7' के रूप में उल्लिखित है। तथापि, 5.5 माइक्रोन से कम की फॉयल पहले से ही पाटनरोधी शुल्क के अधीन है। अत:, पीसीएन को "5.5-7 माइक्रोन" में संशोधित किया जाना चाहिए।

ज. क्लैड एल्युमीनियम फिन स्ट्रिप्स को 7606 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है, और विचाराधीन उत्पाद को 7607 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। आयातित स्ट्रिप की मोटाई 0.23 मिमी - 0.30 मिमी (230 माइक्रोन से 300 माइक्रोन) के बीच है। जबकि 7607 के सीमा शुल्क विवरण के अनुसार, इसमें 0.2 मिमी से अधिक नहीं की मोटाई (किसी भी बैकिंग को छोड़कर) शामिल है।

झ. जांच की शुरूआत की अधिसूचना में परिभाषित अलग किए गए के अनुसार, ऑटोमेटिव उद्योग के लिए उपयोग की जाने वाली क्लैड एल्युमीनियम फिन स्ट्रिप्स को पहले ही  अलग किया गया है। इस उत्पाद की कोई घरेलू आपूर्ति नहीं है, अत: यह स्पष्ट करें कि क्लैड एल्युमीनियम फिन स्ट्रिप्स को विचाराधीन उत्पाद के दायरे में शामिल नहीं किया गया है। वैकल्पिक रूप से,

यह उल्लेख करते हुए जांच की शुरूआत की अधिसूचना के खंड 2 (v) और (vii) को संशोधित करें कि औद्योगिक अनुप्रयोगों में ड्राइ कूलिंग के स्टीम कंडेनसरों में प्रयोग के लिए फिन ट्यूबों के विनिर्माण के लिए प्रयुक्त शीर्षक 7606 के तहत यह "क्लैड एल्युमीनियम फिन स्ट्रिप्स" को अलग किया गया है।

ञ. एलु एलु फॉयल स्टॉक (45-60 माइक्रोन) तथा लाइट गेज फॉयल को अलग किया जाना जाना चाहिए, क्योंकि भारत में इस उत्पाद का केवल एक ही आपूर्तिकर्ता है। इस उत्पाद की मांग को पूरा करने के लिए भारत में क्षमता का अभाव है। भारतीय उत्पादकों द्वारा आपूर्ति की जा रही गुणवत्ता घटिया गुणवत्ता की है।

ट. किसी भी ओर रंग अथवा दोना ओर रंग के साथ उत्पाद पॉलीयूरेथेन कोटेड एल्युमिनियम फॉयल ("पीयू कोटेड एल्युमिनियम फॉयल") भारत में उत्पादित नहीं किया जाता है और इसके प्रतिस्थापन नहीं हैं। भारतीय उत्पादकों के पास लैकर कोटिंग के लिए मशीनरी नहीं है। आयात किए जा रहे उत्पाद की कीमत एल्युमिनियम फॉयल की औसत आयात कीमत से काफी अधिक है। इसका प्रयोग इंसुलेटेड पैनलों के विनिर्माण के लिए किया जाता है। अत: प्राधिकारी से एक ओर अथवा दोनों ओर रंग से युक्त पॉलीयूरेथेन कोटेड एल्युमिनियम फॉयल को अलग करने का अनुरोध किया गया है ।

ठ. पैरा 5 में प्रस्तावित पीसीएन में निर्दिष्ट माइक्रोन रेंज सीमित हैं और हाउस फॉयल और एसआरसी जैसे कुछ उत्पादों के लिए सभी संभावनाएं शामिल नहीं हैं। पीसीएन को इन उत्पादों को शामिल करते हुए लेन देनों के लिए व्यापक कवरेज सुनिश्चित करते हुए तालिका में शामिल न की गई किसी माइक्रोन रेंज को शामिल करने के लिए निर्मित किया जाना चाहिए । उदाहरण के लिए एसआरसी के लिए प्रस्तावित रेंज केवल 30-80 है, जबकि एसआरसी के लिए अन्य माइक्रोन हो सकते हैं। पीसीएन एसआरसी से संबंगधित 30-80 को छोड़कर माइक्रोन की किसी रेंज को शामिल करने के लिए तैयार किया जाना चाहिए।

ड. एलॉय ग्रेड 8021 की एल्युमिनियम फॉयल उसके विशिष्ट गुणधर्मों के कारण फार्मास्युटिकल पैकेजिंग के लिए महत्वपूर्ण एक स्पेशन ग्रेड की फॉइल है। स्वास्थ्य और स्वच्छता के मानदंडों के लिए इसमें कोई प्रतिस्थापन उपलब्ध नहीं है। हिंडाल्को एकमात्र उत्पादक है और गुणवत्ता के मानदंडों की कमी में आते हुए घरेलू मांग की केवल 30% की पूर्ति करता है । घरेलू परिवर्तकों की विशेष मोटाई और चौडाई की आवश्यकता होती है, जिसकी आपूर्ति हिंडाल्को द्वारा नहीं की जाती है । एकाधिकार आपूर्ति की कमी और दवाईकी कीमत में वृद्धि का जोखिम है । अत: इसे अलग किया जाना चाहिए क्योंकि इसके विशेष अनुप्रयोग हैं, मांग आपूर्ति अंतराल है, सीमित आयात हैं और उद्योग तथा कीमतों पर काफी प्रभाव है ।

ढ. एए 8011 और एए 8079 से बने एल्युमीनियम फॉयल के मामले में, यह तर्क दिया गया है कि घरेलू उद्योग चीन जन.गण. से आयातित फॉयल स्टॉक का केवल परिवर्तक है। घरेलू उद्योग न्यूनतम मूल्य वृद्धि के साथ फॉयल स्टॉक को परिवर्तित करता है, जिससे परिवर्तित फॉयलों में कीमत का ह्रास होता है । अधिकता फार्मा ग्राहक के उत्पाद वर्तमान में विशेष आपूर्तिकर्ता से आयातित विशेष फॉयल के साथ पंजीकृत हैं। कच्ची सामग्री ग्रेड अथवा विनिर्माण प्रक्रिया में परिवर्तन महत्वपूर्ण है- अंतिम प्रयोक्ता के उत्पाद पर सीधा प्रभाव है । घरेलू उत्पाद अथवा समाप्त अतिरिक्त लागतों में जाने में असमर्थ है ।

ण. 6.3 माइक्रोन की अल्ट्रा लाइट गेज एल्यूमिनियम फॉइल अलग की जानी चाहिए क्योंकि घरेलू उद्योग इसका उत्पादन नहीं करता और इसीलिए क्षति का दावा नहीं कर सकता । यदि क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है तो शुल्क का संदर्भ कीमत स्वरूप निर्धारित किए जाने का अनुरोध है, यहां तक कि यदि अन्य एल्युमिनियम फॉइल पर निर्धारित शुल्क की सिफारिश की जाती है ।

त. घरेलू उत्पादकों के पास मांग को पूरी तरह से पूरा करने के लिए क्षमता और गुणवत्ता का अभाव है । चीन जन.गण. से अल्ट्रा लाइट गेज एल्युमिनियम

फॉइल के आयात तब तक आवश्यक हैं जब तक हिंडाल्को की नई क्षमता संभावित रूप से 2026 के बाद प्रचालनात्मक नहीं हो जाती।

थ. घरेलू उत्पादक नवीकरणीय ऊर्जा की ओर जाने वाले चीनी उत्पादकों के असमान कोयला आधारित उर्जा स्रोतों के कारण ट्रेट्रापाट के कार्बन उत्सृजन मानकों को पूरा करने में विफल है ।

द. पीसीएन तथा जांच का क्षेत्र केवल वह उत्पाद निर्धारित करने के लिए प्रयुक्त किए जाने चाहिए जिनका उत्पादन और बिक्री आवेदकों द्वारा की जाती है। प्रयोक्ता प्राय: आयातों पर विश्वास करते हैं जब भारतीय उत्पादक पर्याप्त मात्रा में विशिष्ट सामग्री की आपूर्ति करने में असमर्थ हों ।

ध. प्रयोक्ता आयातों पर विश्वास करते हैं क्योंकि घरेलू उद्योग भारी मात्रा वाले उत्पादों पर जोर देते हैं और कम मात्रा वाले विशिष्ट उत्पादों के क्रेताओं की पूर्ति करने में सक्षम नहीं हैं । विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा वाणिज्यिक मात्रा में आपूर्ति किए गए उत्पादों के आधारपर किया जाना चाहिए।

## ग.2 घरेलू उद्योग के विचार

14. विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र और समान वस्तु के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं।

क. आवेदन पत्र में सुझाए गए और बाद में जांच की शुरूआत की सूचना में अधिसूचित विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र जारी रखा जाना चाहिए, और इसे वैसे ही रखा जाना चाहिए, इसमें संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है भले ही बढ़ाना हो या रद्द करना हो ।

ख. विचाराधीन उत्पाद की परिभाषा मोटाई की रेंज में स्पष्ट रूप से देखी जाए । जैसा कि विचार विमर्श के दौरान सभी पक्षकारों द्वारा सहमति व्यक्त की गई है, "नॉन केपेसिटर अनुप्रयोग के लिए 5.5 माइक्रोन से कम के एल्यूमीनियम फॉइल को छोड़कर, 80 माइक्रोन तक के एल्यूमीनियम फॉइल" के रूप में परिभाषा रखी जाए। इसके अलावा, ऊपर वर्णित अनुसार अन्य उत्पाद भी अलग किए गए हैं । नॉन कैपेसिटर अनुप्रयोग के

लिए 5.5 माइक्रोन से कम के ऐसे एल्यूमीनियम फॉइल ही अलग किए गए हैं जो दिनांक 18 जून 2021 के अंतिम जांच परिणाम संख्या 6/21/2020 के माध्यम से उपायों के अध्यधीन हैं।

ग. "एक ओर या दोनों ओर रंग युक्त पॉलीयूरेथेन कोटेड एल्युमीनियम फॉयल" को हटाए जाने और "रंग, आकार अथवा कोटिंग को ध्यान में न रखते हुए एक ओर अथवा दोनों ओर कोटेड एल्युमीनियम फॉयल" को हटाए जाने की पुष्टि किए जाने के संबंध में घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि यह पहले से ही खंड (ix) के अंतर्गत शामिल है। तथापि, प्राधिकारी विशिष्ट स्पष्टीकरण/पुष्टि दें ।

घ. लाइट गेज फॉयल को हटाए जाने के संबंध में, घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि वह लाइट गेज फॉयल का एक स्थापित उत्पादक है। यह पूर्व जांच में भी विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्रका भाग रहा है। इस उत्पाद को शामिल किए जाने का पूर्व में किसी भी पक्षकार ने कभी भी विरोध नहीं किया है । उत्तरदाता की यह टिप्पणी कि घरेलू उद्योग इस उत्पाद का उत्पादन नहीं करता है, पूरी तरह से गलत विवरण है। इसे हटाए जाने का अनुरोध आधारहीन है और किसी साक्ष्य से विहीन है।

ङ. अलू अलू लेमिनेट के लिए हटाए जाने के अनुरोध के संबंध में वर्तमान जांच पूर्व जांच से भिन्न है । पूर्व जांच में भारतीय उद्योग अलु अलु लेमिनेट का उत्पादन नहीं कर रहा था। कई उत्पादक यथा- अलुटेक पैकेजिंग प्रा. लिमिटेड, और ग्रीन बेरी फोइल्स इंडिया लिमिटेड, अब हम इसका उत्पादन कर रहे हैं।

च. एलू एलू लेमिनेट की तरह ही कैपेसिटरों के लिए फॉयल पूर्व जांच में विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से अलग किया गया था क्योंकि भारतीय उद्योग इसका उत्पादन नहीं कर रहा था। वर्तमान जांच में कई भारतीय उत्पादक इसका उत्पादन कर रहे हैं। तदनुसार, इसे विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में शामिल किया गया है। इसके अलावा, चूंकि कैपेसिटर फॉयल को “80 माइक्रोन से कम की एल्युमिनियम फॉयल” के संबंध में जांच से अलग किया गया था । अत:, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया और चीन जन.गण. से 5.5 माइक्रोन से कम की कैपेसिटर फॉयल पर शुल्क नहीं लग रहा है। इस प्रकार, कैपेसिटर फॉयल के लिए परिभाषित पीसीएन में मोटाई की सीमा 4.5-20 माइक्रोन प्रस्तावित की गई है।

छ. घरेलू उद्योग सिगरेट फॉयल के संबंध में अनुरोध से सहमत है कि सुझाई गई पीसीएन सीमा को “7 माइक्रोन से कम” की प्रस्तावित सीमा के सिरूद्ध “5-.5-7” में संशोधित की जानी चाहिए।

ज. घरेलू उद्योग "क्लैड एल्युमिनियम फिन स्ट्रिप्स (अलॉय 4343/3003-H24),और "एक ओर अथवा दोनों ओर रंग युक्त पॉलीयूरेथेन कोटेड एल्युमिनियम फॉयल" के संबंध में उसे हटाए जाने तथा मांगे गए विशिष्ट स्पष्टीकरण से सहमत है ।

i. चूंकि "एल्यू एल्यू फॉयल स्टॉक" का उत्पादन और आपूर्ति हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा की जाती है, अत: उन्होंने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- हिंडाल्को के पास एल्यू एल्यू स्टॉक/फॉयल का उत्पादन करने और पर्याप्त मात्रा में बिक्री करने की क्षमता है। एकाधिकार की स्थिति से संबंधित अनुमान सिद्ध नहीं है क्योंकि पाटनरोधी कानूनों में व्यापार उपचारात्मक उपाय अर्थात पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने का एकमात्र उत्पादक का प्रावधान है। यह घरेलू उत्पादकों को प्रयोक्ता की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उपस्करों और प्रौद्योगिकी में निवेश प्रोत्साहित करता है, उचित व्यापारिक क्षेत्र प्रदान करता है, उचित कीमत सुनिश्चित करता है और किसी भी देश से आयात को नहीं रोकता है।
- मांग-आपूर्ति अंतराल पाटनरोधी शुल्क न लगाए जाने के लिए एक कारक नहीं हो सकता क्योंकि वह आयातों को नहीं रोकता है बल्कि यह सुनिश्चित करता है कि आयात उचित कीमत पर हों। यहां तक कि अन्यथा हितबद्ध पक्षकार द्वारा दिए गए आंकड़े सही नहीं हैं क्योंकि दर्शायी गई मांग बढ़ाई गई है और आंकड़े हिंडाल्को की घरेलू बिक्री और एलू एलू स्टॉक/फ़ॉइल के आयातों से मेल नहीं खाते हैं।

- उसने हितबद्ध पक्षकार (यूएफएलईएक्स) जैसे विभिन्न ग्राहकों को एलू एलू स्टॉक/फ़ॉइल की आपूर्ति की है, और उपर्युक्त उत्पाद की बहुत कम मात्रा ही यूएफएलईएक्स को की गई कुल आपूर्ति में से गुणवत्ता संबंधी मुद्दों के कारण रद्द की गई थी । इसके अतिरिक्त हिंडाल्को ने सेस्टेक द्वारा निर्णयों के एक भाग का उल्लेख किया जिसके अनुसार यह उल्लेख किया कि पाटनरोधी शुल्क न लगाए जाने के लिए गुणवत्ता संबंधी मुद्दे चिंता का विषय नहीं हो सकते हैं।

**ग.3 प्राधिकारी द्वारा जांच**

15. विचाराधीन उत्पाद का विनिर्माएण फ़ॉइल स्टॉक से किया जाता है। फ़ॉइल स्टॉक का उत्पादन इनगॉट को रोल करके किया जाता है । दूसरे शब्दों में, एल्युमीनियम फ़्लैट

रोल्ड उत्पाद (एफआरपी) फिर फ़ॉइल में रोल किए जाते हैं। इसे फ़ॉइल में रोल किया जा सकता है अथवा यथावत उसका उपयोग किया जा सकता है, अथवा पेपर, बोर्ड, प्लास्टिक या अन्य पैकेजिंग सामग्री में मुद्रित अथवा लेमिनेटेड (कॉल बैक्ड भी) किया जा सकता है। एल्युमीनियम फ़ॉइल को उत्पादकों अथवा परिवर्तकों द्वारा या अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा मुद्रित किया जा सकता है।

16. एल्युमीनियम फ़ॉइल का प्रयोग खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों, दवा पैकेजिंग आदि के संरक्षण और भंडारण के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग खाद्य उत्पादों के संरक्षण और बचाव के लिए पैकेजिंग सामग्री के रूप में किया जाता है । एल्युमीनियम फ़ॉइल एक गैर-टॉक्सिक सामग्री है। यह एक अच्छा थर्मल कंडक्टर भी है और सामान्य रूप से आमतौर पर काफी नर्म होता है। एल्युमीनियम फ़ॉइल के प्रमुख अनुप्रयोग निम्नलिखित में हैं:

क. फार्मास्यूटिकल्स उद्योग पैकिंग औषधियां
ख. प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की पैकिंग के लिए खाद्य उद्योग
ग. सिगरेट लपेटने के लिए सिगरेट उद्योग
घ. तंबाकू पैकिंग (गुटखा)
ड. बीयर की बोतलें।

17. प्राधिकारी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए मुद्दों/हटाए जाने के अनुरोधों के संबंध में निम्नानुसार विचार करते हैं।

18. फॉयल की मोटाई - जहां तक अन्य हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों का संबंध है कि विचाराधीन उत्पाद की परिभाषा में शामिल की जा रही मोटाई परिभाषित होनी चाहिए, प्राधिकारी ने परिभाषा को पुन: देखा और परिभाषा को "नॉन केपेसिटर के अनुप्रयोग के लिए 5.5 माइक्रोन से कम एल्यूमीनियम फॉयल को छोड़कर, 80 माइक्रोन तक एल्यूमीनियम फॉयल" के रूप में स्पष्ट किया ।

19. लाइट गेज फॉयल - जहां तक लाइट गेज फॉयल के संबंध में हटाए जाने की मांग का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि एल्यूमीनियम फॉयल के आयातों के संबंध में कई

जांचें की गई हैं। लाइट गेज फॉयल के उत्पादक के रूप में घरेलू उद्योग की स्थिति सुस्थापित और निर्विवाद है। हटाए जाने के उनके अनुरोध का समर्थन करने के लिए वर्तमान जांच में साक्ष्य से युक्त कोई दावे नहीं हैं। अत: प्राधिकारी इस उत्पाद के लिए की गई हटाए जाने की मांग से सहमत नहीं हैं।

20. "एलु एलु लेमिनेट" और "कैपेसिटर के लिए एल्युमीनियम फॉयल" - यह आरोप लगाए जाने के अनुरोधों के संबंध में कि "एलु एलु लेमिनेट" और "कैपेसिटर के लिए एल्युमीनियम फॉयल" को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए, क्योंकि उन्हें पहले भी बाहर रखा गया था, प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान जांच के तथ्य चीन जन. गण. से एल्युमीनियम फॉयल संबंधी पूर्व पाटनरोधी शुल्क के समान नहीं हैं। इस प्राधिकारी द्वारा की गई पिछली जांच में, ये उत्पाद जांच के क्षेत्र से अलग किए गए थे क्योंकि भारतीय उद्योग उस समय इन उत्पादों का उत्पादन नहीं कर रहा था। तथापि, तभी से, कई नए उत्पादकों ने संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन शुरू कर दिया है। इसके अलावा, मौजूदा उत्पादकों द्वारा उत्पादन रेंज भी बढ़ाई गई है। भारतीय उद्योग ने इन उत्पादों का उत्पादन और बिक्री अब शुरू कर दी है।

21. *45-60 माइक्रोन की मोटाई की रेंज के एलू एलू फॉयल स्टॉक - "45-60 माइक्रोन की मोटाई की रेंज के एलू एलू फॉयल स्टॉक"* को हटाए जाने के संबंध में, यह नोट किया जाता है कि स्वीकार्य रूप से हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड (हिंडाल्को) उपर्युक्त मोटाई की रेंज के भीतर समान वस्तु का उत्पादन कर रहा है। और इसने भारत में आयातित उत्पाद के समान विशेषताओं वाली संबद्ध वस्तुओं की आपूर्ति की है। रिकॉर्ड पर प्रस्तुत साक्ष्य के अनुसार, हिंडाल्को नियमित रूप से यूफ्लेक्स सहित विभिन्न अन्य उपभोक्ताओं को इस उत्पाद की आपूर्ति करता है। इसी तरह, मांग-आपूर्ति अंतर के संबंध में आरोप हटाए जाने का औचित्य नहीं बनाते क्योंकि पाटनरोधी शुल्क का प्रयोजन अनुचित कीमत वाले आयातों का उपचार करना है। विदेशी उत्पादक यदि कोई अंतराल तो उसे पूरा करना तब तक जारी रख सकते हैं, जब तक कि उसका निर्यात अपाटित और/या क्षतिरहित कीमतों पर हो। यह भी नोट किया जाता है कि यह उत्पाद "चीन जन गण से 5.5 से 80

माइक्रोन तक के एल्युमिनियम फॉयल" संबंधी पूर्व जांच मध्यावधि समीक्षा और थाईलैंड से 80 माइक्रोन से कम के एल्युमिनियम फॉयल संबंधी चल रही अंतरिम जांच दोनों में विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र के अंतर्गत रहा है।

22. सिगरेट फॉयल - आवेदक और अन्य इच्छुक पक्षकार, सिगरेट फॉयल की माइक्रोन रेंज के संशोधन के संबंध में अनुरोध से सहमत हैं। प्राधिकारी भी पक्षकारों के सुझाव से सहमत है, और तदनुसार सिगरेट फॉयल के लिए पीसीएन रेंज जांच की शुरूआत की अधिसूचना में परिभाषित "7 माइक्रोन से कम" के विरूद्ध दिनांक 6.6.2024 की अधिसूचना द्वारा "5.5-7" में संशोधित की गई है,

23. अलॉय 8011, 8021 और 8079 की एल्युमिनियम फॉयल - यह नोट किया जाता है कि अलॉय 8021 से बनी एल्युमिनियम फॉयल वास्तव में "एलु एलु स्टॉक" है, और प्राधिकारी ने पहले ही ऊपर की जांच कर ली है तथा अनुरोधों को हल कर लिया है । जहां तक अलॉय 8011 और 8079 की एल्युमिनियम फॉयल का संबंध है, यह नोट किया जाता है कि एल्युमिनियम फॉयल में, अधिकांश कच्ची सामग्री एल्युमिनियम की ही है, एलॉइज में एल्युमिनियम फाइल के रसायन में नगण्य भाग बनता है । विभिन्न उत्पादक और विभिन्न उत्पाद कुछ विशेषताओं को प्राप्त करने के लिए इस रसायन द्वारा परस्पर रूप से इन मिश्र धातुओं का प्रयोग करते हैं । अत: किसी उत्पाद किस्म के लिए प्राप्त किए जाने के लिए और उसके लिए प्रयुक्त किए जा रहे मिश्र धातु के लिए प्राप्त किए जाने वाले मापदंड उत्पादक से उत्पादक तक अलग-अलग हो सकते हैं । उत्तरदाताओं ने उन कुछ मिश्र धातुओं के संबंध में अच्छा अंतर किया जो उत्पादक को प्रयोग के लिए विशिष्ट प्रयोग के हो सकते हैं और उत्पाद किस्म के लिए मानक विशिष्ट /रसायन नहीं हो सकते हैं । कुछ कारकों के अच्छे अंतर के संबंध में जांच का क्षेत्र अलग-अलग हो सकता है, यथा - विशेष रूप से मिश्र धातु चूंकि उसका प्रयोग उसी विचाराधीन उत्पाद के अंतर्गत किसी भी उत्पाद किस्म के लिए विभिन्न उत्पादकों द्वारा परस्पर परिवर्तनीय रूप से प्रयुक्त किया जा रहा है । इस प्रकार, एलॉय 8011, 8021 और 8079 की एल्यूमिनियम फॉइल को अलग किए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

24. अल्ट्रा-लाइट गेज फॉयल - अल्ट्रा-लाइट गेज (यूएलजी) फॉयल को हटाए जाने की मांग के संबंध में, यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग यूएलजी फॉयल का उत्पादन और बिक्री करता है और इसीलिए यूएलजी फॉयल को हटाए जाने जाने का कोई औचित्य नहीं है।

25. 6.3 माइक्रोन का अल्ट्रा-लाइट गेज एल्युमिनियम फॉयल - हिंडाल्को द्वारा 6.3 माइक्रोन के अल्ट्रा-लाइट गेज एल्युमिनियम फॉयल को हटाए जाने जाने के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उत्पादक 6.3 माइक्रोन सहित विभिन्न मोटाइयों के यूएलजी के स्थापित उत्पादक हैं। फिर भी, घरेलू उत्पादकों की मांग को पूरी तरह से पूरा करने में क्षमता और गुणवत्ता का अभाव होने के कारण हटाए जाने के उनके अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। जैसा कि यहां ऊपर पहले ही नोट किया गया है, विदेशी उत्पादक उचित कीमत पर उत्पाद लाकर देश में अंतर को निश्चित रूप से भर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जैसा कि पक्षकार द्वारा अपने अनुरोधों में स्वीकार किया गया है, भारत में क्षमताएं बढ़ाई जा रही हैं और निकट भविष्य में प्रचालनात्मक हो जाएंगी ।

26. दिनांक 8 मई 2024 को आयोजित पीयूसी-पीसीएन सुनवाई के बाद हितबद्ध पक्षकारों तथा घरेलू उद्योग से प्राप्त विचाराधीन उत्पाद के क्षद्ध और पीसीएन सिद्धान के संबंध में विभिन्न टिप्पणियों की गहन जांच के बाद, प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र और और पीसीएन सिद्धांत् को स्पष्ट किया और दिनांक 6 जून 2024 की अधिसूचना (जिसे यहां आगे "क्षेत्र संबंधी अधिसूचना" कहा गया है) द्वारा उसे अधिसूचित किया, जो निम्नलिखित है:

*वर्तमान आवेदन पत्र में विचाराधीन उत्पाद निम्नलिखित को छोड़कर "एल्यूमीनियम फ़ॉइल" (जिसे यहां आगे "संबद्ध सामान" या "विचाराधीन उत्पाद" या "पीसूसी" भी कहा जाएगा) ''नॉन केपेसिटर अनुप्रयोग के लिए 5.5 माइक्रोन से कम के एल्युमिनियम फॉइल को छोड़कर 80 माइक्रोन तक के एल्युमिनियम फॉइल'' है:*

i. नॉन केपेसिटर अनुप्रयोगों के लिए चीन जन.गण. से **<u>5.5 माइक्रोन से कम का एल्युमीनियम फ़ॉइल'</u>**। केपेसिटर अनुप्रयोगों के लिएएल्युमिनियम फॉइल विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र के अंतर्गत है । इसे 5.5 माइक्रोन से कम इसे "चीन जन.गण., मलेशिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 80 माइक्रोन और उससे कम के एल्युमीनियम फ़ॉइल" के संबंध में की गई पाटनरोधी शुल्क जांच में विशेष रूप से अलग किया गया था ।

ii. **<u>इन्सुलेशन, मसालों की पैकिंग, थर्मल फ्लूइड लाइन कवरिंग और टी बैग के अनुप्रयोग में इस्तेमाल के लिए बने अल्ट्रा-लाइट गेज परिवर्ति फ़ॉइल</u>** - अल्ट्रा लाइट गेज परिवर्तित फ़ॉइल एक एल्युमिनियम फ़ॉइल है जिसमें 5.5 माइक से 7 माइको तक की मोटाई है जिसके पीछे क्राफ्ट पेपर और स्क्रिम अथवा ग्लास क्लॉथ लगा है, वह चाहे वह सादा हो अथवा इन्सुलेशन, मसालों की पैकिंग, थर्मल फ्लूइड लाइन कवरिंग और टी बैग अनुप्रयोग में प्रयोग के लिए मुद्रित हो ।

iii. **<u>इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर के लिए बने एच्ड अथवा निर्मित एल्युमिनियम फ़ॉइल -</u>** एच्ड अथवा निर्मित एल्युमिनियम फ़ॉइल इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर के विनिर्माण में प्रयोग के लिए बना एल्युमिनियम फॉइल है ।

iv. **<u>फ़ेसेड क्लैडिंग और साइनेज अनुप्रयोगों के लिए बने एल्युमिनियम कम्पोजिट पैनल-</u>** एल्युमिनियम कम्पोजिट पैनल फ़ेसेड क्लैडिंग और साइनेज में प्रयोग के लिए एल्युमिनियम की दो परतों के बीच बंधा एक एक गैर-एल्युमिनियम कोर (प्राय: पीई) है ।

v. **<u>नॉन -क्लैड एल्युमीनियम फॉयल के अनुरूप क्लैड -</u>** नॉन -क्लैड एल्युमीनियम फॉयल आटोमोटिव उद्योग में इंजन कूलिंग तथा एयर कंडीशनर प्रणालियों , यथा - रेडिएटर, कंडेनशर, इवेपोरेटर, इंटरकूलर, ऑयल कूलर और हीटर,में प्रयोग के लिए उच्च शक्ति की एलयुमिनियम एलॉय कोर सामग्री में धात्विक रूप से बंधी एल्यूमिनियम सतह परतों से निर्मित संक्षारणरोधी एल्यूमिनियम शीट है ।

vi. ***<u>बीयर की बोतल के लिए एल्युमीनियम फॉयल -</u>*** *बियर बोतल में प्रयोग के लिए कठोर सतह और छिद्रित, चाहे वह मुद्रित हो या नहीं; से युक्त 10.5 माइक्रोन की एल्युमीनियम फॉयल, ।*

vii. ***<u>एल्यूमीनियम-मैंगनीज-</u>*** *रेडिएटर, चार्ज एयर कूलर, कंडेनसर, ऑयल कूलर, हीटर कोर, इवेपोरेटर, हीट वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग (एचवीएसी) प्रणालियों और उनके हिस्से पुर्जों सहित हीट एक्सचेंजर्स में प्रयोग के लिए प्रशुल्क शीर्ष 7607 के तहत आने वाले, 35 एमपीए से अधिक पोस्ट ब्रेज़िंग यील्ड स्ट्रेंथ के साथ क्लैड हो या अनक्लैड हो, सिलिकॉन आधारित और/अथवा क्लैड एल्यूमीनियम-मैंगनीज सिलिकॉन आधारित एलॉय ।*

viii. *अधेसिव टेप*

ix. ***<u>कलर कोटेड एल्यूमीनियम फॉइल-</u>*** *रंग, आकार अथवा कोटिंग को ध्यान में न रखते हुए एक ओर अथवा दोनों ओर ।*

x. ***<u>पॉलीरीथेन कोटेड एल्यूमीनियम फॉइल-</u>*** *रंग, आकार अथवा कोटिंग को ध्यान में न रखते हुए एक ओर अथवा दोनों ओर ।*

| **क्र. सं.** | **फॉइल का प्रकार** | **माइक्रोन रेंज** | **बेयर/ कन्वर्टेड** | पीसीएन कोड |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | एलू एलू स्टॉक/ फॉइल | 45-60 | बेयर फॉइल | एएसबीएफ |
| 2 | हाउस फ़ॉइल/होम फॉइल | 8-22 | बेयर फॉइल | एचएफबीएफ |
| 3 | लाइट गेज (एलजी) | 7- < 20 | बेयर फॉइल | एलजीबीएफ |
| 4 | मीडियम गेज (एमजी) | 20-60 | बेयर फॉइल | एमजीबीएफ |
| 5 | सेमी रिजिड कंटेनर (एसआरसी) | 30-80 | बेयर फॉइल | एसआरबीएफ |
| 6 | अल्ट्रा-लाइट गेज बेयर | 5.5- <7 | बेयर फॉइल | यूजीबीएफ |
| 7 | बैटरी फ़ॉइल | 9-20 | बेयर फॉइल | बीएफबीएफ |
| 8 | कैपेसिटर | 4.5 - 20 | बेयर फॉइल | सीएफबीएफ |
| 9 | कोई अन्य बेयर फ़ॉइल (1-8 के अंतर्गत न | | बेयर फॉइल | ओएफबीएफ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | आने वाले) | | | |
| 10 | सिगरेट फ़ॉइल | 5.5-7 | कन्वर्टेड | सीएफसीएफ |
| 11 | अलु अलु कन्वर्टेड/लेमिनेटेड | 45-60 | कन्वर्टेड | एएससीएफ |
| 12 | हाउस/होम फ़ॉइल कन्वर्टेड | 8-22 | कन्वर्टेड | एचएफसीएफ |
| 13 | एसआरसी कन्वर्टेड | 30-80 | कन्वर्टेड | एसआरसीएफ |
| 14 | मीडियम गेज (एमजी) कन्वर्टेड | 20-60 | कन्वर्टेड | एमजीसीएफ |
| 15 | लाइट गेज (एलजी) कन्वर्टेड | 7-<20 | कन्वर्टेड | एलजीसीएफ |
| 16 | बैटरी फ़ॉइल कन्वर्टेड | 9-20 | कन्वर्टेड | बीएफसीएफ |
| 17 | कोई अन्य कन्वर्टेड फ़ॉइल (10-16 के अंतर्गत न आने वाले) | | कन्वर्टेड | ओएफसीएफ |

27. विचाराधीन उत्पाद को सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के उपशीर्षक 7607 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। संबद्ध सामानों वस्तुओं का आयात भारत में निम्नलिखित कोडों के तहत भारत में आए हैं 76071190, 76072090, 76072010, 76071110, 76071999, 76071991, 76071995, 76071910, 76071994, 76071993 और 76071992 । सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

28. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित समान वस्तु और संबद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद, भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, कार्यों और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशनों, कीमत, वितरण और विपणन तथा सामानों के प्रशुल्क वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित सामान तथा संबद्ध देश से आयातित सामान नियमावली के अनुसार समान वस्तुएँ हैं। ये दोनों तकनीकी तथा वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। प्राधिकारी अनंतिम रूप से यह मानते हैं कि घरेलू

उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध सामाना  पाटनरोधी नियमावल के नियम 2(घ) के दायरे तथा क्षेत्र के अंतर्गत संबद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद की समान वस्तुएँ हैं।

## घ. घरेलू उद्योग का क्षेत्र एवं आधार

### घ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

29. घरेलू उद्योग तथा उसकी स्थिति के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

i. जो छह उत्पादक घरेलू उद्योग हैं वे बिना किसी औचित्य के स्व-चयनित हैं ।
ii. क्षति का कोई प्रतिनिधिक कारक और निष्कर्षात्मक मूल्यांकन वर्तमान घरेलू उद्योग में संभव नहीं है ।

### घ.2 घरेलू उद्योग के विचार

30. आवेदकों ने घरेलू उद्योग और उसके आधार के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

i) यह आवेदन पत्र मेसर्स हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मेसर्स श्याम सेल एंड पावर लिमिटेड, मेसर्स श्री वेंकटेश्वर इलेक्ट्रोकास्ट प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स रवि राज फोइल्स लिमिटेड, मेसर्स जीएलएस फोइल्स प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स एलएसकेबी एल्युमिनियम फोइल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है।

ii) अन्य घरेलू उत्पादकों अर्थात् ईएसएस डीईई एल्युमिनियम लिमिटेड, स्पर्श इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, एसआरएफ अल्टेक लिमिटेड और ट्रेफोइल पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड ने दायर आवेदन पत्र में अपना समर्थन सूचित किया है।

iii) जीएलएस ने पहले घोषित किया कि उसने जांच की अवधि में विचाराधीन उत्पाद का आयात किया है। तथापि, यह स्पष्ट किया जाता है कि यह घोषणा एक त्रुटि थी। जीएलएस द्वारा आयात एल्युमिनियम फ्लैट रोल्ड उत्पाद ("एफआरपी") के थे, जो विचाराधीन उत्पाद बनाने में प्रयोग किया जाने वाला कच्चा माल है।

iv) आवेदक कंपनियों ने संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं का आयात नहीं किया है।

v) आवेदकों के उत्पादन का कुल भारतीय उत्पादन में 'प्रमुख अनुपात' है और यह पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) और नियम 5(3) की अपेक्षाओं को पूरा करता है।

**घ.3. प्राधिकारी द्वारा जांच**

31. पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) में घरेलू उद्योग निम्नलिखित रूप में परिभाषित है ।

*''(ख)''घरेलू उद्योग'' का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में ''घरेलू उद्योग'' पद का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है ।*

32. वर्तमान आवेदन मेसर्स हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मेसर्स श्याम सेल एंड पावर लिमिटेड, मेसर्स श्री वेंकटेश्वर इलेक्ट्रोकास्ट प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स रवि राज फोइल्स लिमिटेड, मेसर्स जीएलएस फोइल्स प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स एलएसकेबी एल्युमिनियम फोइल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है।

33. मेसर्स जीएलएस फोइल्स प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड ने आरंभिक तौर पर संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के स्व-आयात घोषित किया और बाद में यह स्पष्ट किया कि यह घोषणा गलत थी। उसने एल्युमिनियम फ्लैट रोल्ड प्रोडक्ट ("एफआरपी") का आयात किया, जो संबद्ध वस्तुओं की कच्ची सामग्री । उसके संबंधित पक्षकारों अर्थात जीएलएस एलोपेक प्राइवेट लिमिटेड और जीएलएस फिल्म्स इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड ने संबद्ध वस्तुओं का आयात किया है। इन आयातों के ब्यौरे दिए गए हैं और डीजी सिस्टम्स के आंकड़ों से उनकी स्वतंत्र रूप से जांच की गई है । यह नोट किया जाता है कि संबद्ध

पक्षकारों द्वारा किए गए आयात बहुत कम और पूर्णत: सापेक्ष दृष्टि से नगण्य हैं । प्राधिकारी नोट करते हैं कि चूंकि आयात नगण्य हैं, अत: इससे आवेदक कंपनी को पाटनरोधी नियमावली के अनुसार "घरेलू उद्योग" माने जाने के लिए पात्रता प्रभावित नहीं होती।

34. शेष आवेदक कंपनियों ने संबद्ध वस्तुओं का आयात नहीं किया है और न ही उनके आयातक या निर्यातक से संबद्ध हैं।

35. ऊपर उल्लिखित छह कंपनियों द्वारा दायर आवेदन का निम्नलिखित कंपनियों द्वारा समर्थन दिया गया है:

i. ईएसएस डीईई एल्युमिनियम लिमिटेड
ii. स्पर्श इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
iii. एसआरएफ अल्टेक लिमिटेड
iv. ट्रेफोइल पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड

36. प्राधिकारी इस जांच की शुरूआत के संबंध में अन्य घरेलू उत्पादकों को सूचित करते हुए उन्हें पत्र भेजा । तथापि, इन अन्य उत्पादकों से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है । इसके अतिरिक्त अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा रिकॉर्ड में यह दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है कि अन्य घरेलू उत्पादकों को क्षति नहीं हो रही है।

37. रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना तथा उपर्युक्त जांचे गए मुद्दों के मद्देनजर, प्राधिकारी अनंतिम रूप से यह निर्धारित करते हैं कि आवेदक कंपनियां पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के अर्थ के भीतर "घरेलू उद्योग" हैं। यह भी नोट किया जाता है कि आवेदकों द्वारा किया गया उत्पादन का कुल भारतीय उत्पादन में एक बड़ा हिस्सा है। इस प्रकार, आवेदन पत्र पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार आधार के मानदंडों को पूरा करता है।

**ङ. गोपनीयता**

**ङ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार**

38. अन्य किसी भी अन्य हितबद्ध पक्षकार ने गोपनीयता के संबंध में कोई अनुरोध नहीं किए हैं।

**ड.2 घरेलू उद्योग के विचार**

39. घरेलू उद्योग द्वारा गोपनीयता के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

i) कई उत्तरदाताओं ने संबद्ध कंपनियां, शेयरधारकों के नाम, कंपनी के ब्यौरे- यथा टेलीफोन और फैक्स नंबरों का खुलासा नहीं किया है।

ii) नमूना घरेलू और निर्यात बिक्री दस्तावेज प्रकट नहीं किए गए हैं । यद्यपि दस्तावेज स्वयं में गोपनीय हो सकते हैं, तथापि, प्रस्तुत दस्तावेजों की सूची का प्रकट नहीं की गई है।

**ड.3 प्राधिकारी द्वारा जांच**

40. प्राधिकारी ने नियम 6(7) के अनुसार सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को विभिन्न पक्षकारों द्वारा प्रदान की गई सूचना का अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराया।

41. सूचना की गोपनीयता के संबंध में नियमावली के नियम 7 में निम्नलिखित प्रावधान है :

*"7. गोपनीय सूचना :*

*(1) नियम 6 के उपनियमों (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी*

*को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।*

*(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।*

*(3) उप नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अनावश्यक है या सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है या उसकी सामान्य रूप में या सारांश रूप में प्रकटन नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं दे सकते हैं।*

42. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई गई सूचना की जांच उन दावों की पर्याप्तता के संबंध में की गई थी। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने जहां कहीं भी आवश्यक था गोपनीयता के दावों को स्वीकार कर लिया है, और अन्य हितबद्ध पक्षकारों प्रकट नहीं किया है । जहां भी संभव हुआ, गोपनीय आधार पर सूचना उपलब्ध कराने वाले पक्षकारों को यह निर्देश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर दायर की गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराए। प्राधिकारी  यह भी नोट करते हैं कि सभी हितबद्ध पक्षकारों ने अपनी व्यापार से संबंधित संवेदनशील सूचना को गोपनीय होने का दावा किया है।

## च. <u>विविध मुद्दे</u>

43. चीन जन.गण. से संबद्ध वस्तुओं के बड़ी संख्या में उत्पादकों और निर्यातकों ने प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत किए। उत्पादकों और निर्यातकों की भारी संख्या के मद्देनजर, प्राधिकारी ने नियम 17(3) के प्रावधानों के अनुसार वर्तमान जांच में नमूनाकरण का

सहारा लेने का निर्णय लिया। प्राधिकारी के समक्ष दायर प्रश्नावली के उत्तरों के आधार पर, निम्नलिखित तीन कंपनियों को निर्धारित अलग-अलग पाटन मार्जिन निर्धारित करने के लिए चुना गया था। प्राधिकारी ने दिनांक 13 अगस्त 2024 के ईमेल के माध्यम से अलग-अलग पाटन मार्जिन के निर्धारण के लिए निम्नलिखित तीन कंपनियों और उनके संबद्ध निर्यातकों तथा संबद्ध उत्पादकों/निर्यातकों के चयन के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों को अधिसूचित किया। प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों को यह भी सूचित किया कि ये उत्पादक उनके संबद्ध निर्यातकों सहित अलग-अलग पाटन मार्जिन के निर्धारण के लिए माने जाने का प्रस्ताव है। यह चयन जांच अवधि के दौरान चीन जन.गण. से भारत में निर्यातों की मात्रा के सबसे बड़े प्रतिशत के आधार पर और उन उत्पादकों की संख्या पर विचार करते हुए जिनकी जांच पाटन मार्जिन के अलग-अलग निर्धारण के लिए की जा सकती है, किया गया था। प्राधिकरण ने नमूना उत्पादकों के चयन के संबंध में इच्छुक पार्टियों से टिप्पणियां भी आमंत्रित कीं और प्राप्त टिप्पणियों को विषयगत देश से नमूना उत्पादकों/निर्यातकों के निर्धारण के उद्देश्य से ध्यान में रखा गया। .

**च.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार**

44. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध संक्षिप्त रूप में निम्नानुसार हैं:

i) जिंयाग्सु फेंगयुआन एल्युमीनियम मास्टर टेक्नोलॉजी कंपनी लिमि. ने अनुरोध किया है कि कंपनी को सैंपल्ड उत्पादकों की सूची में शामिल किया जाना चाहिए क्योंकि इसने कुल संबद्ध आयातों के 4% को प्रस्तुत करने वाली एक अधिकतम मात्रा का निर्यात किया है और पीओआई में अल्ट्रालाइट गॉज बेयर एल्यूमीनियम फॉयल की आपूर्ति करने वाला एकमात्र निर्यातक है।

ii) जियांगसु झांगजी लेमिनेशन मेटीरियल कंपनी लिमि. और शियामन शियासुन एल्यूमीनियम फॉयल कंपनी लिमि. ने अनुरोध किया है कि ये कंपनियां अपनी संबद्ध कंपनियों और संबद्ध निर्यातकों की सैंपल्ड उत्पादकों की सूची में शामिल किया जाना चाहिए।

iii) हेनॉन मिंगसेंग न्यू मेटीरियल टेक्नॉलॉजी कंपनी लिमि. इस आधार पर स्वयं को शामिल करने का अनुरोध किया है कि इसकी संबंधित सत्ता ने एक प्रश्नावली उत्तर दायर किया है।

iv) नियम 17 (3) सैंपल्ड उत्पादकों के रूप में हितबद्ध पक्षकारों की "उचित संख्या" के चयन की अनुमति देता है औऱ केवल 3 सैंपल्ड उत्पादकों तक वर्तमान जांच को सीमित रखना अनावश्यक है।

v) विगत में, प्राधिकारी ने जूट उत्पादों जैसे- बांग्लादेश और नेपाल से जूट यार्न/ टविन (मल्टीपल फोल्डिड और सिंगल), हेसियान फैब्रिक और जूट सेकिंग बैग साथ ही चीन जन.गण., ताइवान और मलेशिया से माड्यूल्स में इकट्ठा किए गए अथवा नहीं सोलर सेल्स के मामले में सैंपल्ड किए जाने के लिए 10 उत्पादकों को चुना है।

vi) झांगजी ग्रुप और झियाशुन ग्रुप ने दावा किया है कि उनके द्वारा आपूर्ति की गई संबद्ध वस्तुएं संबद्ध देश से अन्य उत्पादकों द्वारा आपूर्ति किए गए सामान्य एल्यूमीनियम फॉयल से भिन्न है क्योंकि इन कंपनियों ने विशेष एसेप्टिक फॉयल की आपूर्ति की है।

vii) प्राधिकारी को न केवल निर्यात की मात्रा बल्कि भारत को निर्यात किए गए उत्पाद की प्रकृति या उत्पाद के प्रकार पर भी विचार करना चाहिए।

viii) केवल कुछ वैश्विक आपूर्ति जैसे झांगजी ग्रुप और शियाशुन ग्रुप अपेक्षित विशेषताओं वाले एल्यूमीनियम फॉयल की आपूर्ति कर सकते हैं। उपभोक्ताओं को 6.3 माइक्रॉन और 1650 मि.मी. तक की चौड़ाई के साथ 9 माइक्रॉन के और साथ ही और अधिक तकनीकी आवश्यकता को पूरा करने वाले अल्ट्रा लाइट गॉज एल्यूमीनियम फॉयल की जरूरत होती है।

ix) भारत में घरेलू उद्योग की सीमा सीमित है और यह उपभोक्ताओं की जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ है। उत्तरदाता हानि में रहेंगे यदि वे उन्हें पृथक पाटन मार्जिन प्रदान नहीं किया जाता है।

x) एडी नियमावली के नियम 17(3) के द्वितीय परंतुक में ऐसे उत्पादकों के लिए पृथक पाटन मार्जिन निर्धारित करने की संभावना की व्यवस्था की गई है जो सैंपल्ड नहीं है यदि ऐसी जांच बेफिल नहीं है और यदि ऐसे उत्पादक ने जरूरी जानकारी प्रस्तुत की है।

xi) आवेदन के समय आवेदकों द्वारा सैंपलिंग के लिए कोई अनुरोध नहीं किया गया था न ही सैंपलिंग के प्रयोजन के लिए निर्यातकों द्वारा मात्रा और मूल्य संबंधी जानकारी को दायर करने के लिए कोई जांच शुरुआत अधिसूचना में किसी अनुरोध को अन्तर्निहित किया गया था।

xii) सैंपलिंग को लागू करने वाला कोई निर्णय घरेलू उद्योग द्वारा दायर किसी अनुरोध पर आधारित नहीं है और अनुचित तथा विलंबित है।

xiii) कुनशान एल्यूमीनियम कंपनी लिमि. द्वारा निर्यात किए गए पीयूसी की महत्वपूर्ण मात्रा और इसलिए यदि इसे सैंपल्ड समूह में शामिल नहीं किया जाता, तो यह कुल आयातों को प्रतिनिधि नहीं होगी।

xiv) प्राधिकारी से यह सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक सैंपल्ड सत्ता द्वारा निर्यात किए गए पीयूसी के दायरे को सत्यापन करने और उसका दस्तावेजीकरण का अनुरोध किया जाता है कि पीयूसी के भीतर उत्पाद श्रेणियों को अनजाने में बहिष्कृत या कम प्रतिनिधित्व किया गया है।

xv) कुनशान एल्यूमीनियम कंपनी लिमि. की सीआईएफ कीमतें घरेलू उद्योग द्वारा बताई गई आयातों के औसत सीआईएफ मूल्य से अधिक है और इसलिए यह पुष्टि करता है कि सैंपलिंग न किए गए उत्पादकों/निर्यातकों के हितों के लिए हानिकरण होगी।

xvi) सैंपल्ड उत्पादकों/निर्यातकों के कम कीमत वाले निर्यातों के कारण उच्च पाटन मार्जिन होगा जिस कारण अधिक शुल्क लागू होंगे और उपभोक्ताओं और आयातकों को एफआरपी के साथ ही संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर वर्तमान शुल्कों के बोझ को वहन करना होगा।

xvii) प्राधिकारी ने चीन जन.गण. से रेसिन वॉडिड थिन व्हील्स पर सम्पन्न मामले 28 उत्तर देने वाले उत्पादकों/निर्यातकों के साथ भी सैंपलिंग नहीं और प्राधिकारी पर कोई अनावश्यक बोझ नहीं है।

xviii) डिंगशेंग ग्रुप को सैंपल्ड ग्रुप का भाग बनना चाहिए क्योंकि इसके निर्यातों की मात्रा उच्च है और यह कि जियांगसु डिगंशेंग न्यू मेटीरियल जॉयंट स्टॉक कंपनी लिमि. अकेले ही कुछ सैंपल्ड उत्पादकों से अधिक है।

xix) सोलर सेल्स और ग्लेज्ड/अनग्लेज्ड पोर्सलीन/ वर्टीफाइड टाइल्स के मामले में, विगत में प्राधिकारी ने सैंपलिंग के प्रयोजन हेतु एकल सत्ता के रूप में संबद्ध निर्यातकों/व्यापारियों सहित संबंधित उत्पादकों के संबंध में विचार किया है।

xx) शुल्कों को विभिन्न जांचों के जरिए एक दीर्घावधिक समय अवधि के लिए लागू किया गया है।

xxi) चूंकि, वित्त मंत्रालय ने एल्यूमीनियम फॉयल पर निर्णायक समीक्षा जांच में शुल्क लागू नहीं किए थे, अगले पांच वर्षों के लिए कोई नई सिफारिश लागू नहीं की जानी है। यदि ऐसी सिफारिश जारी की जाती है तो, यह वित्त मंत्रालय के निर्णय के प्रति अनादर का संकेत होगा और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अनिश्चित और अप्रत्याशित का कारण बनेगा।

xxii) व्यापार उपचार उपाय अस्थायी होते हैं और यदि वर्तमान जांच में उपायों को लागू किया जाता है तो उपाय प्रभावी रूप से स्थायी होंगे।

**च.2. घरेलू उद्योग के विचार**

45. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

i. हितबद्ध पक्षकार सूची के अनुसार 14 कंपनियों ने प्रश्नावली उत्तर दायर किए हैं जो पृथक निर्धारण की अनुमति देने के लिए एक उच्च संख्या होगी।

ii. कुछ पक्षकारों द्वारा निर्यातों की निम्न मात्रा को देखते हुए, यह निश्चित है कि उत्पाद प्रोफाइल और समय अवधि दोनों, के संदर्भ में उनका उत्पाद प्रोफाइल और निर्यात पैटर्न भारत में निर्यातों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है।

iii. पहले, चीनी उत्पादकों, जिनकी पीओआई के दौरान नगण्य निर्यात मात्रा रही है, ने पृथक निम्न शुल्क प्राप्त करने के पश्चात भारतीय बाजार को आपूर्ति में बढ़ी दी है।

iv. सैंपलिंग में वैश्विक मानदंडों को अधिकतर तीन कंपनियों पर विचार किया जाना हैः

क. भारत में सिरामिक टाइल्स में, यूरोप ने दो कंपनियों पर मूल रूप से विचार किया है संख्या 3 पर कंपनी की और से आक्रमक प्रतिनिधित्व के बाद भी, सैंपलिंग आकार को तीन कंपनियों तक बढ़ाने से इंकार कर दिया।

ख. कनाडा से वुड पल्प में, एमओएफसीओएम ने संख्या 3 पर कंपनी के लिए पाटन मार्जिन को पृथक रूप से निर्धारित करने के लिए इंकार कर दिया हालांकि पहले तीन स्थानों की कंपनियां लगभग समान मात्रा का निर्यात कर रही थीं।

ग. सिरेमिक टाइल्स एवं सेनीटरीवेयर्स में, जीसीसी ने तीन कंपनियों को सैंपल्ड किया है, दो कंपनियों को आरक्षित रखते हुए, जो कि जीसीसी में अभ्यास का मानक है।

घ. यूएसए ने “अनावश्यक रूप से बोझिल” के रूप में दो से अधिक कंपनियों पर विचार किया है। भारत से क्वार्ट्ज सरफेस के मामले में, विचार की गई 50 कंपनियों में से, केवल दो कंपनियों के लिए पाटन मार्जिन की जांच और निर्धारण किया गया, जिनके परिणाम अन्यों को भी विस्तारित किए गए।

v. स्वैच्छिक आधार पर प्रश्नावली उत्तर को दायर करना पृथक रूप से पाटन मार्जिन निर्धारित करने का आधार नहीं हो सकता।

vi. उत्तम ग्रेड या विशेष उत्पादों का निर्यात सैंपल्ड ग्रुप में शामिल किए जाने के लिए आधार नहीं हो सकता क्योंकि ऐसी आपूर्ति यह इंगित करेगी कि ऐसी कंपनी की प्रतिक्रिया और डेटा चीन से उत्तर देने वाली कंपनियों और आयातों का प्रतिनिधि नहीं हो सकता।

**च.3. प्राधिकारी द्वारा जांच**

46. प्राधिकारी विचार करते हैं कि चीन जन.गण. से बड़ी संख्या ऐसे उत्पादकों की है जिन्होंने प्रश्नावली उत्तर दायर किए हैं।

47. निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने इस जांच में प्रश्नावली का उत्तर दाखिल किया है:

i. डिंगशेंग एल्युमीनियम इंडस्ट्रीज (हांगकांग) ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड
ii. जियांग्सू डिंगशेंग न्यू मैटेरियल्स ज्वाइंट स्टॉक कंपनी लिमिटेड
iii. हांग्जो फाइव स्टार एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड
iv. हांग्जो डिंगशेंग आयात और निर्यात कंपनी लिमिटेड
v. इनर मंगोलिया लियान शेन न्यू एनर्जी कंपनी लिमिटेड
vi. जियांग्सू झोंगजी लैमिनेशन मटेरियल्स कंपनी लिमिटेड
vii. जिआंगसु झोंगजी लैमिनेशन मटेरियल्स कंपनी (एचके) लिमिटेड
viii. लुओयांग लॉन्गडिंग एल्युमीनियम इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेड
ix. लॉन्गडिंग ग्लोबल (सिंगापुर) पीटीई लिमिटेड
X सनहो न्यू मैटेरियल्स टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड
xi. शंघाई सन्हो एल्युमिनियम फॉयल कंपनी लिमिटेड
xii. शांगडोंग डेली एल्युमीनियम टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड
xiii. एटीईसी न्यू मटेरियल इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड
xiv. टेट्रा पाक बीजिंग कंपनी लिमिटेड

xv. टेट्रा पाक ग्लोबल सप्लाई एसए

xvi. टेट्रा पाक जुरोंग पीटीई लिमिटेड

xvii. ज़ियामेन ज़ियाशुन एल्युमिनियम फ़ॉइल कंपनी लिमिटेड

xviii. डैचिंग एंटरप्राइजेज लिमिटेड

xix. पेइक्सियन फेंगयुआन आयात और निर्यात व्यापार कंपनी लिमिटेड

xx. जिआंगसु फेंगयुआन एल्युमीनियम मास्टर टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड

xxi. हेनान मिंगशेंग न्यू मटेरियल टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड

xxii. हेनान मिंगताई प्रौद्योगिकी विकास कंपनी लिमिटेड

xxiii. लुओयांग वानजी एल्युमीनियम प्रोसेसिंग कंपनी लिमिटेड

xxiv. कुशान एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड

48. चूंकि प्रतिक्रिया दाखिल करने वाले उत्पादकों की संख्या अधिक है, इसलिए मामले का विश्लेषण किया गया है कि क्या प्राधिकरण को व्यक्तिगत डंपिंग मार्जिन निर्धारित करने के लिए विदेशी उत्पादकों के नमूने का सहारा लेना चाहिए।

49. यह नोट किया जाता है कि जहां प्राधिकारी को उन सभी उत्पादकों/निर्यातकों के संबंध में पृथक पाटन मार्जिन का निर्धारण करेंगे, जिन्होंने प्रश्नावली उत्तर दायर किए हैं ऐसी स्थिति में, जहां बड़ी संख्या में उत्पादकों/निर्यातकों ने प्रश्नावली उत्तर दायर किए हैं, वहां प्राधिकारी उत्तरों को उत्पादकों की सीमित संख्या सीमित करने के द्वारा सैंपलिंग का सहारा ले सकते हैं नियमों में इस संबंध में निम्नानुसार व्यवस्था की गई हैः

> *17(2)(iv) विनिर्दिष्ट प्राधिकारी जांचाधीन वस्तु के संबंधित उत्पादक अथवा प्रत्येक ज्ञात निर्यातक के लिए पृथक पाटन मार्जिन का निर्धारण करेंगेः*
>
> *बशर्ते कि ऐसे मामलों में जहां शामिल निर्यातकों, उत्पादकों, आयातकों या वस्तुओं के प्रकार की संख्या इतनी वृहत है जो ऐसे निर्धारण को अव्यवहारिक बनाता है, यह अपने निष्कर्षों को या तो चयन के समय उपलब्ध सूचना के आधार पर सांख्यिकी रूप से वैध नमूनों का प्रयोग कर के हितबद्ध पक्षकारों या वस्तुओं की उचित संख्या तक अथवा प्रश्नहीन देश से निर्यातों की मात्रा के सबसे बड़े प्रतिशत*

*तक सीमित रख सकते हैं जिसकी उचित रूप से जांच की जा सकती है और इस प्रावधान के तहत निर्यातकों, उत्पादकों अथवा वस्तुओं के प्रकार का कोई चयन मुख्य रूप से संबंधित निर्यातकों/उत्पादकों अथवा आयातकों के परामर्श में और उनकी सहमति में किया जाएगाः*

*आगे प्रावधान किया गया कि निर्दिष्ट प्राधिकारी किसी निर्यातक के लिए पृथक पाटन मार्जिन का निर्धारण करेंगे, हालांकि प्रारंभ में जिनका चयन नहीं किया गया किंतु वे समय पर आवश्यक जानकारी प्रस्तुत करते हैं, सिवाय उन मामलों को छोड़कर जहां निर्यातकों या उत्पादकों की संख्या इतनी अधिक है कि पृथक जाचं अनावश्यक रूप से बोझ बन जाएगी और जांच को समय पर पूरा करने में रोकेगी।*

50. प्राधिकारी ने उत्तर देने वाले उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा निर्यातों की मात्रा पर विचार किया है। प्राधिकारी ने संबद्ध उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा किए गए निर्यातों पर भी विचार किया है। यह देखा गया है कि इन उत्पादकों द्वारा किए गए निर्यातों, चाहे वे सीधे किए गए हों या अप्रत्यक्ष रूप से, पर तथा चीनी उत्पादकों, जो इन उत्पादकों से संबंधित हैं, द्वारा किए गए निर्यातों पर विचार करने के बाद यह देखा गया है कि जिन कंपनियों को सैंपल्ड कंपनियों के रूप में अधिसूचित किया गया था, भारत को सबसे अधिक निर्यात करने वाली कंपनियों में शामिल हैं।

51. जहां तक इस दावे का संबंध है कि प्राधिकारी ने अन्य जांचों में, विगत में, काफी बड़ी संख्या में उत्पादकों या निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन का पृथक निर्धारण किया है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह तथ्य कि पहले बड़ी संख्या में उत्पादकों की जांच की गई थी, यह निर्धारित नहीं करता कि प्राधिकारी वर्तमान मामले में सैंपलिंग का सहारा लेने से प्रतिबंधित है।

52. जहां तक ऐसे निर्यातकों को शामिल किए जाने के अनुरोध का संबंध है, जो सैंपल्ड उत्पादकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं की आपूर्ति करते हैं, यह स्पष्ट किया जाता है कि

प्राधिकारी ने उन सभी कंपनियों को शामिल किया है जो सैंपल्ड कंपनियों द्वारा उत्पादित वस्तुओं के निर्यातक हैं।

53. जहां तक उत्पादकों को शामिल किए जाने का संबंध है, जो सैंपल्ड उत्पादकों से संबद्ध हैं, यह स्पष्ट किया जाता है कि प्राधिकारी ने उन सभी कंपनियों को शामिल किया है जो सैंपल्ड कंपनी की उत्पादक हैं।

54. जहां तक इस आधार पर शामिल किए जाने के अनुरोध का संबंध है, कंपनी में विशेष उत्पादों की आपूर्ति की है या सैंपल का हिस्सा बनने वाले उत्पाद की प्रोफाइल व्यापक होनी चाहिए प्राधिकारी नोट करते हैं कि नियम 17(3) के तहत ऐसी कोई बाध्यता नहीं है।

55. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पृथक निर्धारण के लिए ऐसी कंपनी को शामिल किये जाने की लिए एक विशेष ग्रेड की आपूर्ति वाला तथ्य कोई औचित्य नहीं रखता। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी ने एक पीसीएन विनिर्दिष्ट किया है। जब तक कोई उत्पाद प्रकार पीसीएन के अंतर्गत है इससे यह स्थापित नहीं होता है कि आयातित उत्पाद विशेष उत्पाद था।

56. यह नोट किया गया है कि सैंपलिंग नियम विशेष रूप से प्राधिकारी को उत्पाद प्रकारों की संख्या का निर्धारण करने के लिए पृथक निर्धारण को सीमित रखने की अनुमति प्रदान करता है। इस का तात्पर्य यह है कि यह जरूरी नहीं है कि प्राधिकारी किसी सैंपल पर इस तरीके से विचार करे कि भारत को आपूर्ति किए गए सभी उत्पाद सैंपल के भीतर शामिल हों। वास्तव में, ऐसा कोई दावा यह निर्धारित करता है कि प्राधिकारी उत्पाद प्रकारों की सीमित संख्या पर विचार करने के द्वारा सैंपलिंग का सहारा नहीं ले सकता। हालांकि, नियम 17 विशेष रूप से उत्पाद प्रकारों की सीमित संख्या के पृथक निर्धारण को सीमित करने के लिए प्राधिकारी को अनुमति देता है।

57. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, यह विचार किया गया है कि चीन जन.गण. से उत्पादकों/निर्यातकों की संख्या पाटन मार्जिन के पृथक निर्धारण की अनुमति देने के लिए बहुत ज्यादा है। इसके अतिरिक्त, यह विचार किया गया है कि पृथक निर्धारण के लिए उत्पादकों की संख्या केवल तीन उत्पादकों और उनके सभी संबद्ध निर्यातकों तक सीमित होनी चाहिए। तदनुसार, प्राधिकारी यह पुष्टि करते हैं कि पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन के पृथक निर्धारण को निम्नलिखित कंपनियों और उनके संबद्ध/संबंधित उत्पादकों/निर्यातकों तक सीमित कर दिया गया हैः

क) सुनहो न्यू मेटीरियल्स टेक्नोलॉजी कंपनी लिमि.

ख) हेनान भिंगतै टेक्नोलॉजी डेवलमेंट कंपनी लिमि.

ग) जिआंगसु डिंगशेंग समूह

58. प्राधिकरण नोट करता है कि डिंगशेंग समूह का प्रस्तुतीकरण बताते हुए कि निर्यात की मात्रा कुछ नमूना उत्पादकों की तुलना में अधिक है। यह पाया गया कि दिनशेंग समूह के अन्य संबंधित उत्पादकों द्वारा उत्पादित विषय वस्तुओं का निर्यात किया गया था जिन्हें नमूना लेने के उद्देश्य के लिए पहले निर्धारण में शामिल नहीं किया गया था।

59. तदनुसार, प्राधिकरण ने सभी नमूना उत्पादकों को अलग-अलग डंपिंग मार्जिन प्रदान किया है। गैर-नमूनाकृत उत्पादकों के लिए, नमूनाकृत उत्पादकों का भारित औसत डंपिंग मार्जिन प्रदान किया गया है। गैर-नमूनाकृत उत्पादक इस प्रकार हैं:

i. जियांग्सू झोंगजी लैमिनेशन मटेरियल्स कंपनी लिमिटेड
ii. लुओयांग लॉन्गडिंग एल्युमीनियम इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेड
iii. शांगडोंग डेली एल्युमीनियम टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड
iv. ज़ियामेन ज़ियाशुन एल्युमिनियम फ़ॉइल कंपनी लिमिटेड
v. जिआंगसु फेंगयुआन एल्युमीनियम मास्टर टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड।
vi. लुओयांग वानजी एल्युमीनियम प्रोसेसिंग कंपनी लिमिटेड

vii. कुशान एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड

60. कुछ निर्यातकों ने तर्क दिया है कि उन्हें भी नमूने में चुना जाना चाहिए था, प्राधिकारी ने नोट किया कि 'नमूनाकरण' प्रावधान, महानिदेशक को दो तरीकों में से एक में 'अपनी जांच को सीमित करने' के लिए अधिकृत करता है: (i) 'नमूनों का उपयोग करके इच्छुक पक्षों या उत्पादों की उचित संख्या तक, जो चयन के समय उपलब्ध सूचना के आधार पर सांख्यिकीय रूप से मान्य हैं', या (ii) 'प्रश्नाधीन देश से निर्यात की मात्रा के सबसे बड़े प्रतिशत तक जिसकी उचित रूप से जांच की जा सकती है। रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना के अनुसार, प्राधिकारी ने जांच अवधि के दौरान चीन पीआर से भारत को निर्यात की मात्रा के सबसे बड़े प्रतिशत के आधार पर व्यक्तिगत डंपिंग मार्जिन के निर्धारण के लिए तीन (3) उत्पादकों के साथ-साथ उनके संबद्ध निर्यातकों का चयन किया है। इसके अलावा नियमों के तहत कोई आवश्यकता नहीं है कि कोई विशेष सीमा प्रतिशत यह प्रदर्शित करेगा कि चयनित उत्पादकों द्वारा हिसाब में लिए गए निर्यात की मात्रा किसी चीज का 'प्रतिनिधि' है।

61. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि पाटनरोधी शुल्कों को लागू नहीं किया जाना चाहिए जब कि वित्त मंत्रालय ने निर्णायक समीक्षा जांच में शुल्कों को लागू नहीं किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि ऐसे दावे का कोई कानूनी आधार नहीं है। वर्तमान एक नई पाटनरोधी जांच है, जिसमें विभिन्न समयावधि शामिल है, जैसाकि निर्णायक समीक्षा जांच में विचार किया गया है। ए.डी. नियमावली में एक 'कूलिंग ऑफ' अवधि का प्रावधान नहीं किया गया है जिसमें किसी पीड़ित पक्ष को व्यापार उपचार उपायों के लिए आवेदन करने की अनुमति नहीं है। हितबद्ध पक्षकारों के इस तर्क को कोई कानूनी आधार नहीं है कि वर्तमान जांच को अपनाने के द्वारा, प्राधिकारी वित्त मंत्रालय के निर्णय का अनादर करेंगे। प्राधिकारी ने प्रथम दृष्टया संतुष्ट होने के पश्चात संबद्ध जांच को प्रारंभ किया है कि चीन जन.गण. पर उपायों को समाप्त करने के कारण आयातों में वृद्धि हुई है और सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम और पाटनरोधी नियमावली के संबंध में घरेलू उद्योग को महत्वपूर्ण क्षति पहुंचा रहे हैं।

## छ. <u>पाटन और सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन निर्धारण का आकलन</u>

### छ.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के मत

62. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंद में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैः

i) प्रत्येक पीसीएन के पृथक पाटन मार्जिन का औसत निकालने से गलत परिणाम प्राप्त होंगे क्योंकि तकनीकी फॉयल के कुछ विशिष्ट प्रकारों की कीमत इसकी गुणवत्ता और निष्पादन के कारण उच्च होगी। भारी अंतर के मामले में, मदवार पाटन मार्जिन पर विचार किया जाना चाहिए।

### छ.2. घरेलू उद्योग के विचार

63. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैः

i) प्राधिकारी द्वारा पिछले मामलों में और अन्य देशों में जांच प्राधिकारियों द्वारा अपनाई गई स्थिति के अनुसरण में, चीन जन. गण. को एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था समझा जाना चाहिए। सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए चीनी उत्पादकों की लागत और कीमत पर भरोसा नहीं किया जा सकता।

ii) प्राधिकारी केवल तभी सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए अनुबंध-I के पैरा 1-6 का अनुसरण करेंगे यदि उत्तर देने वाली चीनी कंपनियां यह स्थापित करती हैं कि उनकी लागतें और कीमत संबंधी जानकारी इस प्रकार की है कि पृथक सामान्य मूल्य और पाटन मार्जिन निर्धारित किया जा सकता है। यदि उत्तर देने वाली चीनी कंपनियां यह प्रदर्शित करने में समर्थ नहीं हैं कि उनकी लागतों और कीमत संबंधी जानकारी को अपनाया जा सकता है, तो विनिर्दिष्ट प्राधिकारी पृथक पाटन मार्जिन के दावों को खारिज कर देंगे।

iii) चीनी जन.गण. से आयातों के लिए सामान्य मूल्य के परिकलन के लिए नियमावली के अनुबंध-I के पैराग्राफ 1 से 6 लागू नहीं होंगे, जब तक कि कोई उत्पादक/निर्यातक इसके पर्याप्त साक्ष्य न दर्शाए कि वह बाजार अर्थव्यवस्था स्थितियों के तहत प्रचालन

कर रहा है। परिणामस्वरूप चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 की शर्तों में निर्धारित किया जाएगा।

iv) चीनी उत्पादकों को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के वातावरण के अंतर्गत प्रचालन कर रही कंपनियों के रूप में माने जाने की जरूरत है और प्राधिकारी अनुबंध-I के पैरा 7 के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए कार्रवाई बढ़ा सकते हैं।

v) अंत में, आवेदकों ने उत्पादन की लागत के अनुमान के आधार पर घरेलू उद्योग की लागतों, में परिवर्तन के बाद, उचित लाभों को जोड़कर, घरेलू उद्योग की बिक्री, सामान्य मूल्य और प्रशासनिक लागतों को शामिल करने के लिए विधिवत समायोजित बिक्री, सामान्य मूल्य और प्रशासनिक व्ययों और उचित लाभों के जोड़ने के बाद।

vi) निर्यात कीमत को डीजीसीआई एंड एस आंकड़ों के उपलब्ध न होने को ध्यान में रखते हुए, बजार आसूचना स्रोतों से अधिप्राप्त आंकड़ों के अनुसार जांच की प्रस्तावित अवधि के लिए आयातों की मात्रा और मूल्य पर विचार करते हुए निर्धारित किया गया है। उचित तुलना के प्रयोजन के लिए रुढ़िवादी आधार पर कीमत समायोजन का दावा किया गया है।

vii) सुझाए गए सामान्य मूल्य संगणनाओं पर विचार करते हुए पाटन मार्जिन को परिकलित किया गया है। इस प्रकार परिकलित पाटन मार्जिन न केवल न्यूनतम स्तर से अधिक है बल्कि बहुत महत्वपूर्ण भी है।

**छ.3. प्राधिकारी द्वारा जांच**

64. अधिनियम की धारा 9क(1)(ग) के तहत, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का अर्थ है-

*i. व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा*

*ii. जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की कोई बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा:-*

*(क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो ; अथवा*

*(ख) उपधारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उदगम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत ;*

*परंतु यह कि उदगम वाले देश से इतर किसी देश से वस्तु के आयात के मामले में अथवा जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश के जरिए मात्र यानांतरित किया गया है अथवा जहां ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यातक के देश में नहीं किया जाता है, निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उदगम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।*

65. प्राधिकारी ने निर्धारित समयावधि के भीतर प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र और तरीके में सूचना उपलब्ध कराने की सलाह देते हुए संबद्ध देश से ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, साथ ही नियोजित राजनयिक प्रतिनिधियों को प्रश्नावली भेजी है।

66. सभी देशों से सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत को निम्नानुसार निर्धारित किया गया हैः

**छ.3.1. सामान्य मूल्य**

67. डब्ल्यू टी ओ में चीन के एक्सेशन प्रोटोकोल के अनुच्छेद 15 में निम्नानुसार प्रावधान किया गया है।

*"जी ए टी टी 1994 का अनुच्छेद-VI, टैरिफ और व्यापार पर सामान्य करार, 1994 ("पाटनरोधी करार") के अनुच्छेद-VI का कार्यान्वयन संबंधी करार और एससीएम करार किसी डब्ल्यू टी ओ सदस्य में चीन के मूल के आयातों में शामिल कार्यवाही में निम्नलिखित के संगत लागू होगा:*

*''(क)जीएटीटी, 1994 के अनुच्छेद-VI और पाटनरोधी करार के अंतर्गत कीमत तुलनीयता के निर्धारण में आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य या तो जांचाधीन उद्योग के लिए चीन की कीमतों अथवा लागतों का उपयोग करेंगे या उस पद्धति को उपयोग करेंगे जो निम्नलिखित नियमों के आधार पर चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्ती से तुलना करने में आधारित नहीं हैः*

*(i) यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह दिखा सकते हैं कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां रहती है तो आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य मूल्य की तुलनीयता का निर्धारण करने में जांचाधीन उद्योग के लिए चीन की कीमतों अथवा लागतों का उपयोग करेगा।*

*(ii) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उस पद्धति का उपयोग कर सकता है जो चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्त तुलना पर आधारित नहीं है, यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह नहीं दिखा सकते हैं कि उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की*

*स्थितियां समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग के लिए लागू नहीं हैं।*

*(iii) एससीएम समझौते के भाग II, III और V के अंतर्गत कार्यवाहियों में अनुच्छेद 14(क), 14(ख), 14(ग) और 14(घ) में निर्धारित राज सहायता को बताते समय एससीएम समझौते के प्रासंगिक प्रावधान लागू होंगे, तथापि, उसके प्रयोग करने में यदि विशेष कठिनाईयां हों, तो आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य राजसहायता लाभ की पहचान करने और उसको मापने के लिए ऐसी पद्धति का उपयोग कर सकते हैं जिसमें उस संभावना को ध्यान में रखा जाए कि चीन में प्रचलित निबंधन और शर्तें उपयुक्त बेंचमार्क के रूप में सदैव उपलब्ध नहीं हो सकती है। ऐसी पद्धतियों को लागू करने में, जहां व्यवहार्य हो, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य के द्वारा चीन से बाहर प्रचलित निबंधन और शर्तों के उपयोग के बारे में विचार करने से पूर्व ऐसी विद्यामान निबंधन और शर्तों को समायोजित करना चाहिए।*

*(iv) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उप-पैराग्राफ (क) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को पाटनरोधी प्रक्रिया समिति के लिए अधिसूचित करेगा तथा उप पैराग्राफ (ख) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को सब्सिडी तथा प्रतिसंतुलनकारी उपायों संबंधी समिति को अधिसूचित करेगा।*

*(v) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के तहत चीन के एक बार बाजार अर्थव्यवस्था सिद्ध हो जाने पर, उप पैराग्राफ के प्रावधान (क) के प्रावधान समाप्त कर दिए जाएंगे, बशर्ते कि आयात करने वाले सदस्य के राष्ट्रीय कानून में एक्सेशन की तारीख के अनुरूप बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी मानदंड हो। किसी भी स्थिति में उप पैराग्राफ (क)(ii) के प्रावधान एक्सेशन की तारीख के बाद 15 वर्षों में समाप्त हो जाएंगे । इसके अलावा, आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसरण में चीन के द्वारा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां एक विशेष उद्योग अथवा क्षेत्र में प्रचलित हैं, उप पैराग्राफ (क) के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के प्रावधान उस उद्योग अथवा क्षेत्र के लिए आगे लागू नहीं होंगे।"*

68. आवेदकों ने चीन के एक्सेशन प्रोटोकोल के अनुच्छेद 15 (क)(i) और अनुबंध-I के पैरा 7 का सहारा लिया है। आवेदक ने दावा किया है कि चीन जन.गण. में उत्पादकों से यह प्रदर्शित करने के लिए कहा जाना चाहिए कि विचाराधीन उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उनके उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था स्थितियां अभिभावी हैं। आवेदकों द्वारा यह कहा गया है कि यदि उत्तर देने वाले चीनी उत्पादक यह दर्शाने में असमर्थ रहते हैं कि उनकी लागतों और कीमत संबंधी जानकारी बाजार संचालित है तो सामान्य मूल्य को नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 और 8 के उपबंधों के संदर्भ में परिकलित किया जाना चाहिए।

69. यह नोट किया गया है कि जहां धारा 15 (क) (ii) में अंतर्विष्ट प्रावधान दिनांक 11.12.2016 को समाप्त हो गए हैं, एक्सेशन प्रोटोकोल की धारा 15 (क) (i) के तहत बाध्यता के साथ पठित डब्ल्यूटीओ पाटन रोधी समझौते 2.2.1.1 के तहत प्रावधान के लिए नियमों के अनुबंध-I के पैराग्राफ 8 में निर्धारित मानदंड की आवश्यकता होती है, जिसे बाजार अर्थव्यवस्था उपचार का दावा करने पर पूरक प्रश्नावली प्रदान की जाने वाली जानकारी/आंकड़ों के माध्यम से पूरा किया जाना चाहिए।

70. जांच शुरुआत किए जाने के स्तर पर, प्राधिकारी ने एसजीए और लाभों को विधिवत रूप से जोड़े जाने के बाद संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की लागत पर कुछ घरेलू उत्पादकों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। जांच की शुरुआत किए जाने पर, प्राधिकारी ने चीन जन.गण. में उत्पादकों/निर्यातकों को जांच शुरुआत के नोटिस पर प्रतिक्रिया देने और उनकी बाजार अर्थव्यवस्था प्रस्थिति के निर्धारण के प्रासंगिक सूचना उपलब्ध कराने की सलाह दी। प्राधिकारी ने नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 8(3) में निर्धारित मापदंड के अनुसरण में गैर बाजार अर्थव्यवस्था के अनुमान का खंडन करने और संगत विस्तृत सूचना उपलब्ध कराने के लिए सभी ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को पूरक प्रश्नावली की प्रतियां भेजी। प्राधिकारी ने चीन जन.गण. की सरकार से भी संगत जानकारी उपलब्ध कराने के लिए चीन जन.गण. में स्थित उत्पादकों/निर्यातकों को सलाह देने का अनुरोध किया।

71. किसी भी निर्यातक/उत्पादक ने चीन के एनएमई प्रास्थिति पर विवाद नहीं किया। इसलिए, उपर्युक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए, और किसी भी चीनी निर्यातक कंपनी द्वारा गैर-बाजार अर्थव्यवस्था स्थिति के खंडन के अभाव में, प्राधिकारी वर्तमान जांच में गैर-बाजार देश के रूप में चीन जन.गण. को माना चाना उचित समझते हैं और चीन जन.गण. के मामले में सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 को साथ कार्रवाई को आगे बढ़ाते हैं।

72. नियमावली के अनुबंध-I  का पैरा 7 निम्नानुसार पठित है-

> *"गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयातों के मामले में सामान्य मूल्य का निर्धारण बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश की कीमत अथवा संरचित मूल्य, अथवा किसी तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों के लिए कीमत अथवा जहां यह संभव न हो, अथवा अन्य किसी समुचित आधार पर किया जाएगा जिसमें भारत में समान वस्तु के लिए वास्वित रूप से संदत्त अथवा भुगतान योग्य कीमत, जिनमें यदि आवश्यक हो तो लाभ की समुचित गुंजाइश भी शामिल की जाएगी निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे समुचित देश का चयन उचित तरीके से किया जाएगा जिसमें संबंधित देश के विकास के स्तर तथा प्रश्नगत उत्पाद का ध्यान रखा जाएगा और चयन के समय उपलब्ध कराई गई किसी विश्वसनीय सूचना का भी ध्यान रखा जाएगा। जहां उचित हो, उचित समय सीमा के भीतर किसी अन्य बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के संबंध में इसी प्रकार के मामले में की गई जांच पर भी ध्यान दिया जाएगा। जांच से संबंधित पक्षों को बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के उपर्युक्त प्रकार से चयन के बारे में बिना किसी विलंब के सूचित किया जाएगा और उन्हें अपनी टिप्पणियां देने के लिए उचित अवधि प्रदान की जाएगी । "*

73. पैरा 7 सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए एक पदानुक्रम निर्धारित करता है और यह प्रावधान करता है कि सामान्य मूल्य किसी बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे देश में कीमत या निर्मित मूल्य के आधार पर या ऐसे किसी तीसरे देश में भारत सहित अन्य

देशों को कीमत के आधार पर अथवा जहां यह संभव न हो, वहां किसी अन्य उचित आधार पर निर्धारित किया जाएगा, जिसमें समान उत्पाद के लिए भारत में वास्तव में अदा की गई अथवा अदायगी योग्य कीमत शामिल है, यदि आवश्यक हो तो एक उचित लाभ मार्जिन को शामिल करने के लिए विधिवत समायोजित किया जाएगा। इस प्रकार, प्राधिकारी नोट करते हैं कि सामान्य मूल्य को पैरा 7 के अंतर्गत उपलब्ध कराए गए विभिन्न अनुक्रमिक विकल्पों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किए जाने की जरूरत है। किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा सामने लाए गए किसी बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में अभिभावी कीमत या निर्मित मूल्य का कोई साक्ष्य नहीं है। वर्तमान जांच में संबद्ध देश के अलावा अन्य देशों से भारत में आयात जो पाटनरोधी शुल्कों को आकर्षित नहीं कर रहे हैं, मात्रा में कम हैं। इस प्रकार, बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश से भारत में आने वाले आयातों पर सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए विचार नहीं किया जा सकता।

74. इसलिए, प्राधिकारी ने "भारत में वास्तव में अदायगी योग्य कीमत" के रूप में चीन जन.गण. में संबद्ध आयातों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण किया है जैसाकि एडी नियमावली, 1995 के अनुबंध-I के पैरा 7 में निर्धारित किया गया है। इसे बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्ययों तथा लाभों के लिए उचित परिवर्धन के साथ घरेलू उद्योग के उत्पादन की लागत के आधार पर परिकलित किया गया है। इस प्रकार निर्धारित सामान्य मूल्य को नीचे पाटन मार्जिन सारणी में दिया गया है।

**छ.3.2 निर्यात कीमत**

**क) डिंगशेंग ग्रुप (सैंपल्ड)**

**मैं जियांगसु डिंगशेंग न्यू मेटीरियल जायंट-स्टॉक कं. लिमि. ("जिआंगसु डिंगशेंग")**

**मै. हांगझोऊ फाइव स्टार एल्लयूमीनियम कं. लिमि., ("हांग्जो फाइव स्टार")**

**मैं. इनर मंगोलिया लियान शेंग न्यू एनर्जी मेटीरियल कं. लिमि. ("इनर मंगोलिया")**

**मै. डिंगशेंग एल्यूमीनियम इंडस्ट्रीज (हांगकांग) ट्रेडिंग कं. लिमि. ("डिंगशेंग एचके")**

**मै. हांगझोऊ डिंगशेंग इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कं. लिमि. ("डिंगशेंग आई एंड ई")**

75. मै. जियांगसु डिगंशेंग न्यू मेटीरियल जायंट-स्टॉक कं. लिमि. ("जियांगसु डिगंशेंग") और मै. हांगझोऊ फाइव स्टार एल्यूमीनियम कंपनी लिमि. ("हांगझोऊ फाइव स्टार") संबंधित कंपनियां हैं जो चीन जन.गण. में संबंधित वस्तुओं के विनिर्माण में संलग्न हैं। जियांगसु डिंगशेंग और हांगझोऊ फाइव स्टार ने भारत को सीधे ही और संबंधित ट्रेडिंग कंपनियों मै. हांगझोऊ डिंगशेंग इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी लिमि. ("डिंगशेंग आई एंड ई") और मै. डिंगशेंग एल्यूमीनियम इंडस्ट्रीज (हांगकांग) ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड ("डिंगशेंग एचके") के माध्यम से भी संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया है। मै. इनर मंगोलिया लियान शेंग न्यू एनर्जी मेटीरियल कंपनी लिमि. ("लियान शेंग") ने डिंगशेंग आई एंड ई और डिंगशेंग एच के के जरिए संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया है। सभी पांच कंपनियों अर्थात जियांगसु डिंगशेंग, हांगझोऊ फाइव स्टार, लियान शेंग, डिंगशेंग आई एंड ई और डिंगशेंग एचके ने निर्धारित निर्यातक प्रश्नावली फार्मेट में प्रासंगिक जानकारी उपलब्ध कराई है।

76. प्राधिकरण नोट करता है कि जियांग्सू डिंगशेंग न्यू मटेरियल्स ज्वाइंट-स्टॉक कंपनी लिमिटेड ("जियांग्सू डिंगशेंग") चीन पीआर से संबद्ध वस्तुओं का उत्पादक और निर्यातक है। इसने POI के दौरान भारत को सीधे *** मीट्रिक टन और डिंगशेंग I&E के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से *** मीट्रिक टन और डिंगशेंग एचके के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से *** मीट्रिक टन निर्यात किया।

77. इसी प्रकार, प्राधिकरण नोट करता है कि हांग्जो फाइव स्टार एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड ("हांग्जो फाइव स्टार") चीन पीआर से संबद्ध वस्तुओं का उत्पादक है। इसने जांच अवधि के दौरान अप्रत्यक्ष रूप से डिंगशेंग I&E के माध्यम से *** मीट्रिक टन और डिंगशेंग एचके के माध्यम से *** मीट्रिक टन संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया है। इसके अलावा, आंतरिक मंगोलिया ने जांच अवधि के दौरान डिंगशेंग एचके के माध्यम से *** मीट्रिक टन का उत्पादन और निर्यात किया है। ये सभी निर्यात भारत में असंबंधित ग्राहकों को किए गए थे।

78. प्राधिकारी ने देखा है कि निर्यातकों द्वारा बताई गई मात्रा और डीजी सिस्टम डेटा में बताई गई मात्रा तुलनीय है। तत्पश्चात प्राधिकारी ने पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन को निर्धारित करने के प्रयोजन हेतु सैंपल्ड कंपनियों की औसत निर्यात कीमत और औसत पहुंच मूल्य की तुलना क्षतिरहति कीमत और निर्मित सामान्य मूल्य से की है। तथापि, अंतिम जांच परिणाम के प्रयोजन हेतु जांच की अवधि के दौरान उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा किए गए अनुरोधों की आगे जांच की जाएगी।

**ख. सुन्हो ग्रुप (नमूना)**
**सुन्हो न्यू मैटेरियल्स टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड ("सुन्हो न्यू मैटेरियल्स")**
**मेसर्स शंघाई सुन्हो एल्युमिनियम फॉयल कंपनी लिमिटेड ("शंघाई सुन्हो")**

79. सुन्हो न्यू मटेरियल्स और शंघाई सुन्हो चीन पीआर में संबद्ध वस्तुओं के संबंधित उत्पादक हैं। सनहो न्यू मटेरियल्स ने अपने संबंधित उत्पादक/निर्यातक, शंघाई सन्हो के माध्यम से भारत में असंबद्ध ग्राहकों को संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया है। शंघाई सन्हो ने भारत में असंबद्ध ग्राहकों को सीधे संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया है, जिसमें स्वयं और सन्हो न्यू मटेरियल्स द्वारा निर्मित वस्तुएं भी शामिल हैं।

80. यह नोट किया गया है कि जांच की अवधि के दौरान, मेसर्स सनहो न्यू मैटेरियल्स टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड ने अपने संबंधित उत्पादक/निर्यातक, शंघाई सनहो के माध्यम से भारत में असंबद्ध ग्राहकों को *** मीट्रिक टन संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन और निर्यात किया है।

81. शंघाई सुन्हो ने भारत में सीधे असंबंधित ग्राहकों को ***मीट्रिक टन संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन और निर्यात किया है। शंघाई सुन्हो और सुन्हो न्यू मटेरियल्स ने निर्धारित निर्यातक प्रश्नावली प्रारूप में प्रासंगिक पीसीएन वार जानकारी प्रदान की है।

82. यह भी नोट किया गया है कि शंघाई सुन्हो ने भारत में असंबंधित ग्राहकों को मामूली मात्रा में संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया है, जिनका निर्माण अन्य असंबंधित चीनी उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा किया गया था। इन अन्य असंबद्ध चीनी उत्पादकों/निर्यातकों ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर दाखिल नहीं किया है। इसलिए, प्राधिकरण ने पूर्व-कारखाना निर्यात मूल्य और पहुंच मूल्य निर्धारित करने के लिए भारत में केवल उन निर्यात लेनदेन पर विचार किया है जो शंघाई सनहो और सनहो न्यू मैटेरियल्स द्वारा निर्मित किए गए थे।

83. उत्तर देने वाले उत्पादकों/निर्यातकों ने समुद्री माल ढुलाई, बीमा, अंतर्देशीय परिवहन, बंदरगाह और अन्य संबंधित खर्चों, क्रेडिट लागत और बैंक शुल्कों के कारण समायोजन का दावा किया है, जिसे विस्तृत सत्यापन के अधीन प्रारंभिक निष्कर्षों के उद्देश्य से प्राधिकरण द्वारा अनुमति दी गई है। निर्धारित पूर्व-कारखाना निर्यात मूल्य नीचे डंपिंग मार्जिन तालिका में दिया गया है।

84. अंतिम निष्कर्ष के प्रयोजन के लिए जांच के दौरान निर्माता/निर्यातक द्वारा किए गए अनुरोधों की आगे जांच की जाएगी। तदनुसार, पूर्व-कारखाना स्तर पर शुद्ध निर्यात मूल्य निम्नलिखित समायोजनों की अनुमति के बाद निर्धारित किया गया है- समुद्री माल ढुलाई, बीमा, अंतर्देशीय परिवहन, बंदरगाह और अन्य संबंधित खर्च, क्रेडिट लागत और बैंक शुल्क। इस प्रकार निर्धारित शुद्ध निर्यात मूल्य नीचे डंपिंग मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

**ग. मिंगताई ग्रुप (सैंपल्ड)**

**मै. हेनॉन मिंगताई टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कं. लिमि.**

**मै. हेनॉन मिंगसेंग न्यू मेटीरियल टेक्नोलॉजी कं. लिमि.**

85. मै. हेनॉन मिंगसेंग न्यू मेटीरियल टेक्नोलॉजी कं. लिमि. ("हेनॉन मिंगसेंग") और मै. हेनॉन मिंगताई टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कं. लिमि. ("मेंगताई टेक्नोलॉजी") संबद्ध देश में

उत्पादक और निर्यातक हैं और इन्होंने भारत को संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया है। दोनों उत्पादकों/ निर्यातकों ने निर्धारित निर्यातक प्रश्नावली फार्मेट में प्रासंगिक जानकारी उपलब्ध कराई है।

86. हेनॉन मिंगशेंग द्वारा दायर उत्तर के अनुसार, यह नोट किया गया है कि इसने पीओआई के दौरान भारत को सीधे ही *** मी. टन संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन और निर्यात किया है।

87. इसी प्रकार, यह नोट किया गया है कि मै. हेनॉन मिंगताई टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कं. लिमि. (''मिंगताई टेक्नोलॉजी'') ने पीओआई के दौरान भारत को सीधे ही *** मी.टन संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन और निर्यात किया है ।

88. प्राधिकारी ने यह देखा है कि निर्यातक द्वारा बताई गई मात्रा और डीजी सिस्टम्स डेटा में बताई गई मात्रा तुलनीय है। अंतिम जांच परिणामों के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि के दौरान उत्पादक/निर्यातक द्वारा किए गए अनुरोधों की आगे जांच की जाएगी। तदनुसार, कारखानागत स्तर के निवल निर्यात कीमत के निम्नलिखित समायोजनों- समुद्री मालभाड़ा, बीमा, अंतर्देशीय परिवहन, पत्तन और अन्य संबंधित व्ययों, क्रेडिट लागत और बैंक प्रभारों के लिए स्वीकृति देने के पश्चात निर्धारित किया गया है। इस प्रकार निर्धारित की गई निवल निर्यात कीमत का नीचे पाटन मार्जिन में उल्लेख किया गया है।

**क. असहयोगी उत्पादक/निर्यातक**

89. प्राधिकारी ने सैंपल्ड उत्पादकों के आंकड़ों के आधार पर आयातों की मात्रा और मूल्य पर विचार करने के बाद चीन जन.गण. से असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत का निर्धारण किया है। समुद्री माल भाड़े, अंतर्देशीय परिवहन, बीमा, संभाल, प्रभारों, कमीशन और बैंक प्रभारों के लिए समायोजन किए गए हैं। इस प्रकार निर्धारित निर्यात कीमत को नीचे उल्लिखित पाटन मार्जिन सारणी में बताया गया है।

**छ.3.3. पाटन मार्जिन का निर्धारण**

90. प्राधिकरण ने पीसीएन वार डंपिंग मार्जिन निर्धारित करने के लिए भारत में पीसीएन वार पूर्व-कारखाना निर्यात मूल्य की तुलना पीसीएन वार सामान्य मूल्य से की है। नीचे दी गई तालिका जांच अवधि के दौरान भारत को निर्यात किए गए पीसीएन को ध्यान में रखते हुए भारित औसत पूर्व-फैक्टरी निर्यात मूल्य, भारित औसत सामान्य मूल्य और उत्पादकों के भारित औसत डंपिंग मार्जिन को दर्शाती है।

**उत्पादकों/निर्यातकों की गैर-नमूनाबद्ध सहकारी श्रेणी**

91. प्राधिकरण ने नमूना श्रेणी के उत्पादकों/निर्यातकों के लिए व्यक्तिगत डंपिंग मार्जिन के आधार पर मूल्यांकित भारित औसत डंपिंग मार्जिन पर विचार किया है। यह भारित औसत डंपिंग मार्जिन विषय वस्तु के उत्पादकों/निर्यातकों की गैर-नमूना श्रेणी को प्रदान किया गया है और नीचे उल्लिखित तालिका में इसका उल्लेख किया गया है।

**संबंधित उत्पादकों और निर्यातकों के लिए डंपिंग मार्जिन**

92. यह नोट किया गया है कि विषय जांच में कई सहयोगी उत्पादक और निर्यातक एक-दूसरे से संबंधित हैं और संबंधित कंपनियों का एक समूह बनाते हैं। डंपिंग मार्जिन के निर्धारण के लिए संबंधित निर्यातक उत्पादकों और निर्यातकों को एक एकल इकाई के रूप में विचार करना और इस प्रकार उनके लिए एक एकल डंपिंग मार्जिन स्थापित करना प्राधिकरण की एक सतत प्रथा रही है। यह विशेष रूप से इसलिए है क्योंकि व्यक्तिगत डंपिंग मार्जिन की गणना करने से एंटी-डंपिंग उपायों की रोकथाम को बढ़ावा मिल सकता है, जिससे संबंधित निर्यातक उत्पादकों को सबसे कम व्यक्तिगत डंपिंग मार्जिन वाली कंपनी के माध्यम से भारत में अपने निर्यात को सक्षम करने से उन्हें अप्रभावी बना दिया जा सकता है।

93. उपरोक्त के अनुसार, संबंधित उत्पादकों और निर्यातकों को एक एकल इकाई माना गया है और एक एकल डंपिंग मार्जिन को जिम्मेदार ठहराया गया है, जिसकी गणना सहयोगी संबंधित उत्पादकों और निर्यातकों के डंपिंग मार्जिन के भारित औसत के आधार पर की गई थी।

94. जैसा कि उपर विस्तार में बताया गया है, सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पर विचार करते हुए, अनंतिम रूप से यह निर्धारित किया गया है कि पाटन मार्जिन नियमों के तहत निर्धारित न्यूनतम सीमा से अधिक है।

**पाटन मार्जिन सारणी**

| कंपनी | सामान्य मूल्य | निर्यात कीमत | पाटन मार्जिन | पाटन मार्जिन | |
|---|---|---|---|---|---|
| | अमरीकी डालर/ मी. टन | अमरीकी डालर/ मी. टन | अमरीकी डालर/ मी. टन | % | रेंज |
| हेनॉन मिंगताई टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कं. लिमि.<br>हेनॉन मिंगशेंग न्यू मेटीरियल टेक्नोलॉजी कं. लिमि. | *** | *** | *** | *** | 20-30 |
| सुनहो न्यू मेटीरियल्स टेक्नोलॉजी कं. लिमि.<br>शंघाई सुनहो एल्यूमीनियम फॉयल कं. लिमि. | *** | *** | *** | *** | 10-20 |
| जियांगसु डिंगशेंग न्यू मेटीरियल जायंट-स्टॉक कं. लिमि. | *** | *** | *** | *** | 10-20 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| इनर मंगोलिया लियान शेन न्यू एनर्जी कंपनी लिमिटेड | | | | | |
| हांग्जो फाइव स्टार एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड, | | | | | |
| सैंपल्ड न किए गए सहयोगी उत्पादक | *** | *** | *** | *** | 10-20 |
| असहयोगी उत्पादक/निर्यातक | *** | *** | *** | *** | 50-60 |

**ज. क्षति और कारणात्मक संबंध की जांच**

**ज.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध**

95. क्षति और कारणात्मक संबंधों के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गएः

i) पीओआई में घरेलू उद्योग की बिक्रियों की लागत और बिक्री की कीमत में वृद्धि हुई है। यह वृद्धि प्रयोक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण है।

ii) पीसीएन आंकड़े दर्शाते हैं कि कीमतों में गिरावट ऐसे उत्पादों के लिए घटित नहीं हुई है जिन्हें आयात किया जा रहा है। घरेलू उद्योग के उत्पाद प्रकार आयातित उत्पादों से सीधे प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहे हैं।

iii) घरेलू उद्योग द्वारा दावा किए गए कीमत प्रभाव का कारण भारतीय उत्पादकों के बीच आंतरिक प्रतिस्पर्धा हो सकती है न कि आयातों की पहुंच कीमत । प्राधिकारी को कीमत प्रभाव के पीछे असली कारणों का अनुमान लगाने के लिए भारतीय उत्पादकों की कीमत संबंधी सूचना की जांच करनी चाहिए।

iv) घरेलू उद्योग ने कीमत और मात्रा संबंधी दोनों, मापदंडों पर अच्छा प्रदर्शन किया है। पीओआई के दौरान मात्रा संबंधी मापदंडों जैसे क्षमता, क्षमता उपयोग, उत्पादन, बिक्री आदि में वृद्धि हुई है। बाजार हिस्से में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है और भारतीय प्रयोक्ता भारतीय उत्पादकों से क्रय करने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। पीओआई के दौरान और तत्काल पिछले वर्ष के दौरान क्षमता परिवर्धन भी किया गया है ।

v) प्रचालन स्तर पर घरेलू उद्योग के लाभों में भी वृद्धि हुई है। पीओआई के दौरान नकद लाभ उत्पन्न हुए और रोजगार स्तर में वृद्धि हुई। आवेदक क्षति को दर्शाने में असफल रहे है।

vi) एनआईपी का परिकलन करते समय प्राधिकारी को एक निम्न आरओसीई पर विचार करना चाहिए क्योंकि संबद्ध वस्तुओं का सभी घरों में बहुतायत से प्रयोग किया जाता है। व्यापक सार्वजनिक हित में एडीडी संचालित मुद्रास्फीति से बचना चाहिए।

vii) प्राधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पीसीएन में शामिल न की गई नौ मदों की आयात मात्रा को चीन से आयातित फॉयल की कुल मात्रा से घटा दिया गया है। इसके अतिरिक्त, यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि आयातों की कुल मात्रा संशोधित/घटाया गयी है जब जांच की अवधि में अधिक मदों को बाहर रखा जाता है।

viii) ईओयू, एसईजेड और अग्रिम ड्यूटी-फ्री लाइसेंस के जरिए आयातित मात्रा को घटाया जाना चाहिए क्योंकि इन आयातों को बीआईएस अनिवार्यताओं का पालन नहीं करना होता।

ix) हालांकि, घरेलू उद्योग ने भारी हानि और गहरी क्षति का दावा किया है, किन्तु यह याचिका में प्रतिबिम्बित नहीं होता है।

x) घरेलू उद्योग की बिक्रियों की लागत में कच्ची सामग्री की कीमतों में गिरावट के अनुरूप गिरावट आनी चाहिए।

xi) ऋणात्मक पीबीटी मूल्यह्रास और क्षति अवधि के दौरान ब्याज की लागत में महत्वपूर्ण वृद्धि के कारण है न कि आयातों के कारण।

xii) घरेलू उत्पादकों के बीच महत्वपूर्ण परस्पर प्रतिस्पर्धा है क्योंकि निर्णायक समीक्षा जांच की तुलना में उत्पादकों की संख्या में वृद्धि हुई है।

xiii) घरेलू उद्योग ने प्रभावी रूप से अनुरोध किया है कि महत्वपूर्ण क्षति के साथ-साथ महत्वपूर्ण मंदी का भी आकलन किया जाए क्योंकि घरेलू उद्योग में उत्पादकों में से 4

नए हैं। प्राधिकारी महत्वपूर्ण क्षति के साथ-साथ महत्पूर्ण मंदी का आकलन नहीं कर सकते क्योंकि यह स्वाभाविक रूप से विरोधाभासी होगा।

**ज.2. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध**

96. घरेलू उद्योग द्वारा क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में निम्नलिखित अनुरोध किए गए है:-

i) जांच की अवधि (पीओआई) सहित क्षति अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं के लिए मांग तेजी से बढ़ी है। संबद्ध देश से आयातों में मई 2022 में शुल्क समाप्त होने के बाद से तेजी आई है। भारत में उत्पादन और खपत, दोनों के संदर्भ में आयातों में वृद्धि हुई है।

ii) वर्ष 2015 से, मौजूदा और नए उत्पादकों द्वारा क्षमताओं में वृद्धि की गई है। भारतीय उत्पादकों के पास भारतीय मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमताएं हैं, और इतनी अधिक मात्रा में आयात आवश्यक नहीं हैं।

iii) चीन जन. गण. से आयातों की पहुंच कीमत पूरी क्षति अवधि के दौरान भारतीय उद्योग की बिक्री लागत से कम रही है। कीमत कटौती सकारात्मक है।

iv) जांच की अवधि में, बिक्रियों और बिक्री कीमत, दोनों की लागत में गिरावट आई है। तथापि, बिक्री कीमत में गिरावट बिक्रियों की लागत में गिरावट से काफी अधिक है और जांच की अवधि में घरेलू उद्योग की कीमतों पर काफी निराशाजनक प्रभाव पड़ा है।

v) जांच की अवधि में आयात ऐसी कीमतों पर किए गए थे, जो बिक्रियों की लागत के स्तर से कुछ ही अधिक थी, लेकिन घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम थी। आयातों के परिणामस्वरूप आवेदक घरेलू उद्योग की कीमतों पर काफी निराशाजनक प्रभाव पड़ा है।

vi) स्थापित क्षमता, उत्पादन और बिक्रियों में क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है। तथापि, ये स्तर घरेलू उद्योग से काफी कम हैं, जिसे विशेष रूप से क्षमता वृद्धि पर विचार करते हुए पाटन के अभाव में लाभ होता। जांच की अवधि में, यदि आवेदकों ने आयातों का मुकाबला कर पाने के लिए अपनी कीमतों को कम नहीं किया होता, तो उत्पादन,

उपयोग और परिणामी बिक्रियों की इन प्रवृत्तियों में काफी प्रतिकूल प्रभाव देखा गया होता।

vii) क्षति अवधि के दौरान क्षमता उपयोग में गिरावट आई है। यद्यपि यह अतिरिक्त है, क्योंकि यह नई क्षमता वृद्धि है, लेकिन घरेलू उद्योग को, यदि चीन के उत्पादकों द्वारा कोई पाटन नहीं किया गया होता, तो क्षमता उपयोग में इस गिरावट का सामना नहीं करना पड़ता।

viii) संबद्ध देश से आयातों के बाजार अंश में जांच की अवधि में काफी वृद्धि हुई है। संबद्ध आयातों का बाजार अंश आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में करीब 2 गुणा है।

ix) घरेलू उद्योग और घरेलू उत्पादकों के समग्र बाजार अंश में जांच की अवधि में, क्षमताओं में वृद्धि और नए उत्पादकों का प्रवेश होने के बावजूद, गिरावट आई है।

x) पीबीआईटी, नकदी लाभों और आरओआई में जांच की अवधि से पूर्व वर्ष में वृद्धि हुई है, लेकिन उसके बाद गिरावट आई है। जांच की अवधि में घरेलू उद्योग के समक्ष पुन: वित्तीय हानियां आई हैं।

xi) रोजगार, वेतन और मजदूरी व उत्पादकता में क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।

xii) इस अवधि के दौरान प्रति कर्मचारी वेतन में गिरावट आई है। इसके अलावा, प्रति यूनिट उत्पादन पर वेतन और मजदूरी लागत में इस अवधि के दौरान काफी गिरावट आई है। तथापि, प्रति यूनिट उत्पादन पर वेतन और मजदूरी में गिरावट के बावजूद, विगत वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में गिरावट आई है।

xiii) घरेलू उद्योग में ऐसे नए उत्पादक शामिल हैं, जिन्होंने जांच की अवधि से पूर्व वर्ष में उत्पादन शुरु कर दिया और उत्पादन की शुरुआती अवस्था में ही कंपनियों और कुछ समर्थकों ने उचित बाजार स्थिति पर विचार करते हुए, जो भारतीय बाजार में मौजूद थी, ऐसे महत्वपूर्ण निवेश किए हैं। तथापि, वर्तमान कीमतों पर विचार करते हुए, जिन पर भारतीय बाजार में आयात प्रवेश कर रहे हैं, ये कंपनियां अनुमानित स्तर का निष्पादन हासिल करने से वंचित हुई हैं। प्राधिकारी कृपया इन कंपनियों के वास्तविक निष्पादन पर विचार करें और निवेश करते समय किए गए अनुमानों के साथ तुलना करें।

xiv) मात्रा संबंधी मापदंडों के संदर्भ में घरेलू उद्योग की वृद्धि जांच की अवधि में कीमत मापदंडों के संबंध में प्रतिकूल और नकारात्मक थी।

xv) पाटन मार्जिन न केवल न्यूनतम से अधिक है, बल्कि महत्वपूर्ण भी है।

xvi) संबद्ध आयातों से वास्तविक क्षति की आशंका है। आयातों में वृद्धि की एक महत्वपूर्ण दर है। विगत वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में वृद्धि 162% है। इसके अलावा, आयातों में यह वृद्धि, भारत में नई क्षमताओं के बावजूद है।

xvii) संबद्ध देश में आसानी से निपटान होने योग्य क्षमताएं हैं। रॉयटर्स पर यथा सूचित अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान (आईएआई) ने यह कहा है कि चीन की वार्षिक उत्पादन की दर में मार्च, 2023 से 2.1 मिलियन मेट्रिक टन की वृद्धि हुई है और अगस्त 2023 में 42.4 मिलियन टन की अब तक की एक नई ऊंचाई दर्ज की है। चीन ने जनवरी-अगस्त में 2.5% की वृद्धि दर्ज की है, जबकि शेष विश्व 0.5% की मामूली वृद्धि के साथ पिछड़ गया है।

xviii) अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रवंचना जांच शुरु की गई है। चीन में निर्यातकों अथवा उत्पादकों ने चीन पर पहले लगाए गए शुल्कों की प्रवंचना की है, जैसा कि यूरोपीय यूनियन द्वारा थाइलैंड से आयातों पर की जा रही कार्रवाई से स्पष्ट है।

xix) थाइलैंड के उत्पादकों से पाटन अधिकांशत: चीन के फॉयल उत्पादकों के स्वामित्व वाले उत्पादकों द्वारा किया गया है।

xx) एक स्रोत से दूसरे स्रोत और एक उत्पाद से दूसरे उत्पाद पाटन का स्थानांतरण होना यह दर्शाता है कि भारतीय बाजार चीन के उत्पादकों के लिए एक अनुकूल स्थान है। चीन पर शुल्क लगाने के साथ ही उत्पाद के स्थानांतरण की भी एक संभावना है, जैसा कि विगत में हुआ है, संबद्ध वस्तुओं के आयातों के अन्य स्रोतों यथा थाइलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया से वृद्धि होनी शुरु हो गई।

xxi) संबद्ध आयातों की मात्रा में जांच की अवधि के दौरान काफी वृद्धि हुई है।

xxii) आयातों से कीमत कटौती हो रही है। इसके परिणामस्वरूप, आयातों की मात्रा में काफी वृद्धि हुई है।

xxiii) कीमत कटौती के कारण बाजार में कीमतों पर दबाने/ मंद करने का प्रभाव पड़ रहा है।

xxiv) बाजार में कीमतों पर दबाने/ मंद करने के प्रभाव के कारण काफी वित्तीय हानियां हो रही हैं, नकदी लाभ और आरओआई में गिरावट आ रही है।

xxv) आवेदकों के क्षमता उपयोग में, मांग में वृद्धि होने के बावजूद गिरावट आई है।

xxvi) पाटित आयातों की मात्रा में वृद्धि के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग के बाजार अंश में गिरावट आई है।

xxvii) मांग-आपूर्ति अन्तराल से अधिक आयातों में काफी अधिक वृद्धि हुई है। इससे देश में उत्पादन क्षमताओं के उपयोग को रोका गया है।

xxviii) जिन कीमतों पर आयात भारतीय बाजार में प्रवेश कर रहे हैं, अर्थात लागत से भी नीचे, जिनसे घरेलू उद्योग को लागतों में वृद्धि के अनुपात में कीमतें बढ़ाने से रोका है। परिणामस्वरूप, घरेलू उद्योग लागतों से कम पर बिक्री करने के लिए मजबूर हो रहा है और इससे काफी हानि हो रही है।

xxix) तीसरे देशों से आयातों की कीमतें अधिक हैं अथवा अपर्याप्त मात्रा में हैं और इस प्रकार घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हो रही है।

xxx) प्रस्तावित क्षति अवधि के दौरान उत्पाद की मांग में वृद्धि हुई है।

xxxi) विचाराधीन उत्पाद के लिए प्रौद्योगिकी और उत्पादन प्रक्रिया में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है। घरेलू उद्योग के पास उत्पाद के उत्पादन के लिए हाल की प्रौद्योगिकी है।

xxxii) विचाराधीन उत्पाद के संबंध में खपत की पद्धति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

xxxiii) ऐसी कोई व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रक्रिया नहीं है, जिसने घरेलू उद्योग को क्षति के दावे के लिए योगदान दिया हो।

xxxiv) घरेलू उद्योग के केवल घरेलू प्रचालनों के संबंध में ही सूचना प्रदान की गई है। घरेलू उद्योग द्वारा समग्र क्षति अवधि के दौरान कोई निर्यात नहीं किया गया है।

xxxv) प्रदान की गई क्षति संबंधी सूचना केवल विचाराधीन उत्पाद के निष्पादन के संबंध में है और यह केवल वर्तमान प्रयोजन के संबंध में सूचना है।

**ज.3 प्राधिकारी द्वारा जांच**

97. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों को नोट किया है और हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों पर विधिवत विचार किए जाने के बाद नियमावली के अनुसार, विभिन्न मापदंडों की जांच की है। यहां प्राधिकारी द्वारा किया गया क्षति विश्लेषण हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों का स्वत: समाधान करता है।

98. अनुबंध-II के साथ पठित नियमावली के नियम 11 में प्रावधान है कि एक क्षति निर्धारण में ऐसे कारकों की जांच शामिल होगी, जो पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों के परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत तथ्यों को ध्यान में रखते हुए घरेलू उद्योग को क्षति दर्शा सकते हैं। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करने में, यह जांच करना आवश्यक समझा गया है कि क्या भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में पाटित आयातों से एक महत्वपूर्ण कीमत कटौती हो रही है अथवा क्या ऐसे आयातों पर प्रभाव एक महत्वपूर्ण मात्रा में कीमतों को अन्यथा दबाने के लिए है अथवा कीमतों में वृद्धि को रोकने के लिए है, जो अन्यथा एक महत्वपूर्ण मात्रा में हो गई होती। भारत में घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच करने के लिए, उद्योग की स्थिति से संबंध रखने वाले संकेतकों जैसे उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री मात्रा, वस्तुसूची, लाभप्रदता, निवल बिक्री वसूली, पाटन की मात्रा और मार्जिन आदि पर नियमावली के अनुबंध-II के अनुसार विचार किया गया है।

99. यह नोट किया जाता है कि संबद्ध वस्तुओं पर पहले लगाए गए शुल्क की समाप्ति के बाद पाटित कीमतों पर संबद्ध आयातों की मात्रा में काफी वृद्धि हुई है और परिणामस्वरूप आवेदकों के निष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था। प्राधिकारी द्वारा यहां किया गया क्षति विश्लेषण हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों का स्वत: समाधान करता है। तथापि, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए और प्राधिकारी द्वारा संगत पाए गए विशिष्ट अनुरोधों का नीचे दिए गए अनुसार समाधान किया गया है:

100. भौतिक क्षति और भौतिक मंदता के सह-अस्तित्व के संबंध में अन्य इच्छुक पार्टियों द्वारा दिए गए तर्कों के संबंध में, प्राधिकरण नोट करता है कि भौतिक क्षति और भौतिक मंदता की एक साथ जांच की जा सकती है। हालाँकि, वर्तमान जांच में, प्राधिकरण ने घरेलू उद्योग के संबंध में केवल भौतिक क्षति की जांच की है।

101. जहां तक हितबद्ध पक्षकारों के इस तर्क का संबंध है कि शुल्क छूट योजना के तहत किए गए आयातों को क्षति विश्लेषण करते समय बाहर किया जाना चाहिए, प्राधिकारी की यह सतत प्रक्रिया है कि क्षति विश्लेषण करने के लिए ऐसे आयातों को बाहर नहीं किया जाना चाहिए। प्राधिकारी ने विगत में भी विभिन्न मामलों में समान मुद्दों की जांच की है और यह पाया है कि शुल्क छूट योजना के तहत किए गए आयातों पर घरेलू बाजार में कीमत पर प्रभाव डालने के रूप में विचार नहीं किया जा सकता। एक अग्रिम लाइसेंस/ प्राधिकार धारक के पास यह विकल्प है कि या तो इनपुट को शुल्क मुक्त आधार पर आयात करे या उसे अग्रिम जारी आदेश व्यवस्था का उपयोग करके स्वदेशी स्रोत से प्राप्त करे। इसके अलावा, जिन उपभोक्ताओं के पास अग्रिम प्राधिकार नहीं है, वे भारतीय उद्योग से खरीद करने की बजाय सीमा शुल्क का भुगतान करने के बाद सामग्री का आयात कर सकते हैं। इस प्रकार, भारतीय उद्योग अपनी कीमतों पर ऐसे आयातों के बैंचमार्किंग प्रभाव का सामना करता है। यदि भारतीय उद्योग ऐसे खरीदारों से, जिनके पास अग्रिम प्राधिकारी नहीं है, आयातों की संभावित पहुंच कीमत से काफी अधिक कीमतों का उल्लेख करता है, तो उपभोक्ताओं के सीमा शुल्क का भुगतान करने के बाद आयातों की ओर जाने की संभावना है। क्षति विश्लेषण का प्रयोजन घरेलू उद्योग पर

पाटित आयातों के प्रभाव की जांच करना और जानना है। अत: क्षति विश्लेषण के प्रयोजन के लिए शुल्क मुक्त आयातों को बाहर करना तर्कसंगत नहीं होगा। अग्रिम लाइसेंस के अंतर्गत आयात ऐसी कीमत के लिए एक बैंचमार्क है, जिस पर वस्तुएं करों और शुल्कों का भुगतान करने के बाद एक उपभोक्ता द्वारा आयात की जा सकती है। यह विचार करना उपयुक्त नहीं होगा कि अग्रिम लाइसेंस के अन्तर्गत किए गए आयातों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति नहीं होती। तथापि, यह स्पष्ट किया जाता है कि प्राधिकरी ने यहां तक कि शुल्क मुक्त आयातों के मामले में भी सीमा शुल्क को शामिल किया है, यद्यपि उनका भुगतान प्रयोक्ताओं द्वारा नहीं किया गया था।

**ज.3.1 मांग/ स्पष्ट खपत का आकलन**

102. प्राधिकारी ने वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए मांग, अथवा भारत में संबद्ध वस्तुओं की स्पष्ट खपत को आवेदकों की घरेलू बिक्रियों और सभी स्रोतों से आयातों को जोड़कर निर्धारित किया है। विचाराधीन उत्पाद के लिए मांग नीचे दी गई है:-

| **विवरण** | **यूनिट** | **2019-20** | **2020-21** | **अप्रैल ’21 सित. ‘22 (वार्षिकीकृत)** | **जांच की अवधि (अक्तूबर ’22 -सितंबर ‘23)** |
|---|---|---|---|---|---|
| घरेलू उद्योग की बिक्रियां | मी. टन | *** | *** | *** | *** |
| *प्रवृत्ति* | *सूचीबद्ध* | *100* | *118* | *171* | *200* |
| समर्थकों की बिक्रियां | मी. टन | - | - | *** | *** |
| *प्रवृत्ति* | *सूचीबद्ध* | - | - | *100* | *343* |
| अन्य उत्पादकों की बिक्रियां* | मी. टन | *** | *** | *** | *** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *प्रवृत्ति* | *सूचीबद्ध* | *100* | *115* | *106* | *88* |
| संबद्ध देश चीन जन. गण. | मी. टन | 22,213 | 16,844 | 20,612 | 61,745 |
| *प्रवृत्ति* | *सूचीबद्ध* | 100 | 76 | 93 | 278 |
| अन्य देशों के पाटन से आयात | मी. टन | 23,925 | 18,359 | 37,257 | 27,033 |
| *प्रवृत्ति* | *सूचीबद्ध* | 100 | 77 | 156 | 113 |
| थाइलैंड | मी. टन | 18,043 | 16,244 | 36,085 | 27,007 |
| इंडोनेशिया | मी. टन | 3,410 | 1,530 | 994 | 19 |
| मलेशिया | मी. टन | 2,472 | 586 | 177 | 7 |
| अन्य देश | मी.टन | 20,098 | 19,202 | 16,729 | 5,255 |
| *प्रवृत्ति* | *सूचीबद्ध* | 100 | 96 | 83 | 26 |
| कुल भारतीय मांग | मी. टन | *** | *** | *** | *** |
| *प्रवृत्ति* | *सूचीबद्ध* | 100 | 101 | 121 | 135 |

** आवेदकों द्वारा उपलब्ध कराई गई बाजार खुफिया जानकारी के अनुसार*

103. यह देखा गया है कि विचाराधीन उत्पाद के लिए मांग में जांच की अवधि सहित क्षति अवधि के दौरान निरंतर वृद्धि हुई है। आधार वर्ष की तुलना में पीओआई के दौरान संबंधित देश से आयात में 2.78 गुणा की वृद्धि हुई है।

**ज.3.2 घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव**

**क) निरपेक्ष और सापेक्ष संदर्भ में आयात**

104. पाटित आयातों की मात्रा के संदर्भ में, प्राधिकारी को यह विचार करना अपेक्षित है कि क्या पाटित आयातों में निरपेक्ष संदर्भ में या उत्पादन के संदर्भ में या भारत में खपत के संदर्भ में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। क्षति विश्लेषण के प्रयोजन के लिए, प्राधिकारी ने डीजी सिस्टम्स से सौदा-वार आंकड़ों पर भरोसा किया है। प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तुओं अन्तिम रूप दिए हैं। विचाराधीन उत्पाद और पीसीएन के आधार पर डेटा पर विचार किया है और क्षति अवधि के दौरान उसे साझा किया है, जो इस प्रकार है:-

| **विवरण** | **यूनिट** | **2019-20** | **2020-21** | **अप्रैल'21 - सित. '22 (वार्षिकीकृत)** | **जांच की अवधि (अक्तूबर '22- सितंबर '23)** |
|---|---|---|---|---|---|
| **आयातों की मात्रा** | | | | | |
| संबद्ध देश चीन जन. गण.⁕ | मी. टन | 22,213 | 16,844 | 20,612 | 61,745 |
| अन्य देशों के पाटन से आयात | मी. टन | 23,925 | 18,359 | 37,257 | 27,033 |
| थाइलैंड | मी. टन | 18,043 | 16,244 | 36,085 | 27,007 |
| इंडोनेशिया | मी. टन | 3,410 | 1,530 | 994 | 19 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| मलेशिया | मी. टन | 2,472 | 586 | 177 | 7 |
| अन्य देश | मी. टन | 20,098 | 19,202 | 16,729 | 5,255 |
| कुल आयातों की मात्रा | मी. टन | 66,235 | 54,405 | 74,598 | 94,033 |
| **निम्नलिखित के संदर्भ में संबद्ध आयात** | | | | | |
| **विवरण** | **यूनिट** | **2019-20** | **2020-21** | **अप्रैल '21 - सित. '22 (वार्षिकीकृत)** | **जांच की अवधि (अक्तूबर '22 - सितंबर '23)** |
| कुल आयात | % | 34 | 31 | 28 | 66 |
| *प्रवृत्ति* | *सूचीबद्ध* | 100 | 92 | 82 | 196 |
| उत्पादन | % | *** | *** | *** | *** |
| *प्रवृत्ति* | *सूचीबद्ध* | 100 | 67 | 67 | 196 |
| खपत | % | *** | *** | *** | *** |
| *प्रवृत्ति* | *सूचीबद्ध* | 100 | 75 | 77 | 206 |

**डीजी सिस्टम्स*

105. यह देखा गया है कि :

क. संबद्ध देश से भारत में जांच की अवधि में दर्ज महत्वपूर्ण वृद्धि के साथ क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है। जांच की अवधि में संबद्ध आयात आधार वर्ष में प्रचलित मात्रा का करीब तीन गुणा है। आयातों में यह वृद्धि इस तथ्य के बावजूद है कि भारतीय

उद्योग क्षमताओं का विस्तार कर रहा है और अनेक नए उत्पादक पहले ही प्रवेश कर चुके हैं तथा बाजार में प्रवेश कर रहे हैं।

ख. अन्य देशों से आयातों के कारण आकर्षित हो रहे शुल्क भी महत्वपूर्ण रहे हैं।

ग. भारतीय उत्पादन और खपत के संदर्भ में आयातों ने जांच की अवधि में महत्वपूर्ण वृद्धि दर्शाई है।

घ. संबद्ध आयातों से भारत में कुल उत्पाद के आयातों के संदर्भ में वृद्धि हुई है।

### ज.3.3 घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का कीमत संबंधी प्रभाव

106. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में, यह विश्लेषण किए जाने की जरूरत है कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में कथित पाटित आयातों से एक महत्वपूर्ण कीमत कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों का प्रभाव कीमतों को अन्यथा मंद करने अथवा कीमत वृद्धि को रोकने के लिए है, जो अन्यथा सामान्य स्थिति में हो गई होती।

107. तदनुसार, घरेलू उद्योग की कीमतों पर संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों के संबंध में प्रभाव की, कीमत कटौती और कीमत दबाव/ मंदी, यदि कोई है, के संदर्भ में जांच की गई है। इस विश्लेषण के प्रयोजन के लिए, घरेलू उद्योग की बिक्रियों की लागत और निवल बिक्री वसूली (एनएसआर) की, संबद्ध देश से संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत से तुलना की गई है।

**क. <u>कीमत कटौती</u>**

108. यह निर्धारण करने के लिए कि क्या बाजार में आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही है, संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत और क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत की तुलना करके कीमत कटौती की गणना की गई है। इस प्रयोजन के लिए, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद की विभिन्न प्रकार की कीमतों में काफी अंतर है। अत: प्राधिकारी ने तुलनात्मक प्रकार से घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत के साथ आयातों की पहुंच कीमत की तुलना की है। इस प्रकार, संबद्ध आयात मात्रा पर विचार करने के बाद भारित औसत कीमत कटौती का निर्धारण किया गया है। यह तुलना दर्शाती है कि जांच की अवधि के दौरान, संबद्ध देश के मूल की संबद्ध वस्तुएं ऐसी कीमतों पर भारतीय बाजार में आयात की गई थी, जो घरेलू उद्योग की बिक्री कीमतों से कमतर थी। अत: यह नोट किया जाता है कि संबद्ध वस्तुओं के आयातों से घरेलू कीमतों में कटौती ही हो रही थी और कटौती का मार्जिन नीचे तालिका में दिया गया है :

| **विवरण** | **यूनिट** | **जांच की अवधि** |
|---|---|---|
| बिक्री कीमत | रु./ मी.टन | *** |
| पहुंच कीमत | रु./ मी.टन | 3,42,099 |
| कीमत कटौती | रु./ मी.टन | *** |
| कीमत कटौती | % | *** |
| कीमत कटौती % | रेंज | 0-10 |

109. आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही है।

**ख. <u>कीमत ह्रास अथवा न्यूनीकरण</u>**

110. घरेलू बाजार में ह्रास और न्यूनीकरण का विश्लेषण करने के प्रयोजन से, आवेदकों ने (क) बिक्रियों की लागत, (ख) घरेलू बिक्री कीमत के संबंध में सूचना प्रदान की है, जैसा कि नीचे तालिका में दिया गया है :-

| **विवरण** | **यूनिट** | **2019-20** | **2020-21** | **अप्रैल '21 - सित. '22 (वार्षिकीकृत)** | **जांच की अवधि (अक्तूबर '22 -सितंबर '23)** |
|---|---|---|---|---|---|
| बिक्रियों की लागत | रु./ कि.ग्रा. | *** | *** | *** | *** |
| *प्रवृत्ति* | *सूचीबद्ध* | *100* | *100* | *131* | *139* |
| बिक्री कीमत | रु./ कि.ग्रा. | *** | *** | *** | *** |
| *प्रवृत्ति* | *सूचीबद्ध* | *100* | *103* | *153* | *143* |
| पहुंच कीमत | रु./ कि.ग्रा. | 215 | 219 | 358 | 342 |
| *प्रवृत्ति* | *सूचीबद्ध* | *100* | *102* | *167* | *159* |

111. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग की बिक्रियों की लागत और बिक्री कीमत में क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है। पाटनरोधी शुल्क पहले मई, 2022 तक लागू थे। शुल्क समाप्त होने के साथ ही, कम कीमत पर आयात बढ़ने शुरु हो गए। पीओआई में बिक्री की लागत पिछले वर्ष की तुलना में *** रुपये प्रति किलोग्राम बढ़ गई, जबकि पीओआई

में बिक्री मूल्य में *** रुपये प्रति किलोग्राम की गिरावट आई। यह देखा गया है कि बिक्री मूल्य में उतार-चढ़ाव उतराई मूल्य के उतार-चढ़ाव के अनुरूप हुआ है। पिछले वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में बिक्री मूल्य में कमी पिछले वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में उतराई मूल्य में कमी के समानुपातिक नहीं है। यह भी नोट किया गया है कि आवेदकों ने थाईलैंड पर शुल्क बढ़ाने की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया है, जिसका आयात शुल्क लगाए जाने के बावजूद महत्वपूर्ण बना हुआ है। प्राधिकरण, समानांतर रूप से, एक मध्यावधि समीक्षा जांच कर रहा है।

**ज.3.4. घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंड**

112. नियमावली के अनुबंध-II में यह प्रावधान है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में ऐसे सभी संगत आर्थिक कारकों और संकेतकों का एक उद्देश्यपरक और पारदर्शी मूल्यांकन शामिल होना चाहिए, जिनका बिक्रियों, लाभों, आउटपुट, बाजार अंश, उत्पादकता, निवेशों पर प्रतिफल, अथवा क्षमता के उपयोग सहित उद्योग की स्थिति, नकदी प्रवाह, वस्तुसूची, रोजगार, मजदूरी, विकास और पूंजीगत निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव से कोई संबंध हो। तद्नुसार, घरेलू उद्योग के संबंध में विभिन्न क्षति मापदंडों पर नीचे दिए गए अनुसार चर्चा की गई है :

113. जांच की अवधि में आवेदकों के निष्पादन की, आधार वर्ष में इसके प्रदर्शन के साथ तुलना की गई है।

**क) <u>क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्रियां</u>**

114. प्राधिकारी ने क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्रियों की मात्रा पर विचार किया है।

| **विवरण** | **यूनिट** | **2019-20** | **2020-21** | **अप्रैल'21 - सित. '22 (वार्षिकीकृत)** | **जांच की अवधि (अक्तूबर'22 सितंबर'23)** |
|---|---|---|---|---|---|
| क्षमता | मी. टन | 53,756 | 67,910 | 1,15,073 | 1,32,140 |
| *प्रवृत्ति* | *सूचीबद्ध* | *100* | *126* | *214* | *246* |
| उत्पादन | मी. टन | 27,843 | 34,452 | 57,492 | 69,572 |
| *प्रवृत्ति* | *सूचीबद्ध* | *100* | *124* | *206* | *250* |
| क्षमता उपयोग | % | 52% | 51% | 50% | 53% |
| *प्रवृत्ति* | सूचीबद्ध | *100* | *98* | *96* | *102* |
| घरेलू बिक्रियां | मी. टन | 24,363 | 28,837 | 41,758 | 48,692 |
| *प्रवृत्ति* | *सूचीबद्ध* | *100* | *118* | *171* | *200* |
| निर्यात बिक्रिया | मी. टन | *** | *** | *** | *** |
| | *सूचीबद्ध* | *100* | *192* | *541* | *779* |

115. यह देखा गया है कि :

क. विचाराधीन उत्पाद के लिए मांग में क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है। परिणामस्वरूप, अनेक कंपनियों ने नई क्षमताएं स्थापित की हैं। आवेदक कंपनियां, अर्थात श्याम सेल &

पावर लिमिटेड, एलएसकेबी, जीएलएस ने जांच की अवधि से पूर्व वर्ष में उत्पादन प्रारंभ किया है, जबकि घरेलू उद्योग के पास क्षमता में क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।

ख. क्षति अवधि के दौरान स्थापित क्षमता और उत्पादन में वृद्धि हुई है। घरेलू बिक्रियों में भी वही प्रवृत्ति अपनाई गई है और क्षति अवधि के दौरान उसमें वृद्धि हुई है। तथापि, ये स्तर उन स्तरों से कम हैं, जिन पर घरेलू उद्योग ने पाटन के अभाव में, विशेष रूप से क्षमता वर्धन पर विचार करके लाभ प्राप्त किया है।

ग. क्षति अवधि के दौरान क्षमता उपयोग कम रहा।

**ख)** **<u>मांग में बाजार अंश</u>**

116. समग्र क्षति अवधि के दौरान संबद्ध आयातों और घरेलू उद्योग का बाजार अंश इस प्रकार था :-

| **विवरण** | **यूनिट** | **2019-20** | **2020-21** | **अप्रैल '21 - सित. '22 (वार्षिकीकृत)** | **जांच की अवधि (अक्तूबर '22 सितंबर '23)** |
|---|---|---|---|---|---|
| घरेलू उद्योग | % | 17 | 20 | 24 | 25 |
| *प्रवृत्ति* | *सूचीबद्ध* | 100 | 118 | 142 | 148 |
| समर्थक | % | 0 | 0 | 1 | 3 |
| *प्रवृत्ति* | *सूचीबद्ध* | - | - | 100 | 308 |
| अन्य उत्पादक | % | 38 | 43 | 33 | 25 |
| *प्रवृत्ति* | *सूचीबद्ध* | 100 | 114 | 88 | 65 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| भारतीय उद्योग | % | 55 | 63 | 58 | 52 |
| *प्रवृति* | *सूचीबद्ध* | 100 | 115 | 106 | 95 |
| संबद्ध देश - चीन जन.गण. | % | 15 | 11 | 12 | 31 |
| पाटनरोधी शुल्क वाले देश | % | 16 | 13 | 21 | 14 |
| अन्य देश | % | 14 | 13 | 9 | 3 |
| भारत में मांग | मी. टन | 1,45,726 | 1,46,510 | 1,76,366 | 1,96,266 |
| भारत में स्थापित क्षमताएं | मी. टन | 1,46,973 | 1,68,790 | 2,12,733 | 2,89,735 |
| मांग-आपूर्ति अन्तराल | मी. टन | 1,247 | 22,280 | 36,367 | 93,469 |

117. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग के बाजार अंश में क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है। तथापि, चीन जन. गण. के बाजार अंश में क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है। तथापि, ची जन. गण. का बाजार अंश, जो जांच की अवधि से पूर्व वर्ष में क्रमश: 11% और 12% था, उसमें जांच की अवधि में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई और 31% तक की तीव्र वृद्धि रही। आवेदकों ने यह अनुरोध किया है कि घरेलू उद्योग और भारतीय उद्योग का बाजार अंश कम से कम उतना बढ़ना चाहिए था, जितना कि पाटन के चलते पहले अन्य देशों द्वारा बाजार खाली किया गया था।

**ग.** **<u>लाभप्रदता, नकदी लाभ और नियोजित पूंजी पर प्रतिफल</u>**

118. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग का लाभ, लाभप्रदता, नकदी लाभ, ब्याज पूर्व लाभ (पीबीआईटी), और निवेश पर प्रतिफल का विश्लेषण किया गया है, जिसे नीचे तालिका में दिया गया है :-

| **विवरण** | **यूनिट** | **2019-20** | **2020-21** | **अप्रैल ’21 - सित. ‘22 (वार्षिकीकृत)** | **जांच की अवधि (अक्तूबर ’22 - सितंबर ‘23)** |
|---|---|---|---|---|---|
| लाभ/ हानि | रु./ मी.टन | (***) | (***) | *** | (***) |
| *प्रवृत्ति* | *सूचीबद्ध* | *-100* | *-65* | *124* | *-87* |
| पीबीआईटी | लाख रु. | (***) | (***) | *** | (***) |
| *प्रवृत्ति* | *सूचीबद्ध* | *-100* | *-51* | *299* | *-103* |
| पीबीआईटी प्रति यूनिट | रु./ मी.टन | (***) | (***) | *** | (***) |
| *प्रवृत्ति* | *सूचीबद्ध* | *-100* | *-41* | *140* | *-41* |
| नकदी लाभ | लाख रु. | (***) | *** | *** | *** |
| *प्रवृत्ति* | *सूचीबद्ध* | *-100* | *133* | *1,329* | *39* |

| विवरण | यूनिट | 2019-20 | 2020-21 | अप्रैल ’21 - सित. ‘22 (वार्षिकीकृत) | जांच की अवधि (अक्तूबर ’22 - सितंबर ‘23) |
|---|---|---|---|---|---|
| नकदी लाभ प्रति यूनिट | रु./ मी.टन | (***) | *** | *** | *** |
| *प्रवृति* | *सूचीबद्ध* | *100* | *107* | *625* | *16* |
| नियोजित पूंजी पर प्रतिफल | % | (***) | (***) | *** | (***) |
| *प्रवृति* | *सूचीबद्ध* | *-100* | *-50* | *133* | *-54* |

119. यह देखा गया है कि :-

क. घरेलू उद्योग को आधार वर्ष और दूसरे वर्ष में हानि हो रही थी। स्मरण कराया जाता है कि पहले चीन जन. गण. से आने वाली संबद्ध वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था। इस तरह का शुल्क लगाए जाने से थाइलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया और चीन जन. गण. से आयात में बदलाव आया। प्राधिकारी ने 18 जून, 2021 को इन देशों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की थी और इस सिफारिश को वित्त मंत्रालय ने दिनांक 16 सितंबर, 2021 को स्वीकार कर लिया था। इस प्रकार, इस अवधि के दौरान, अन्य स्रोतों से पाटित किए गए आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हानि हो रही थी। ऐसे स्रोतों पर शुल्क लगाने से वर्ष 2021-22 और अप्रैल-सितंबर, 2022 की अवधि में कुछ सुधार हुआ। तथापि, चीन जन. गण. पर पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति के साथ ही,

घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में, जांच की अवधि में बहुत तेजी से गिरावट आई है। घरेलू उद्योग एक बार फिर से हानि का सामना कर रहा है।

ख. नकदी लाभ, ब्याज पर प्रतिफल में लाभ के समान ही प्रवृत्ति दर्शाई गई है। घरेलू उद्योग के प्रदर्शन में अप्रैल, 2021 से सितंबर, 2022 तक की अवधि में इन लेखों में सुधार हुआ और जांच की अवधि में इसमें भारी गिरावट आई। घरेलू उद्योग ने नियोजित पूंजी पर नकारात्मक प्रतिफल अर्जित किया।

## घ) वस्तुसूची

120. क्षति अवधि और जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की वस्तुसूची की स्थिति से संबंधित आंकड़े नीचे तालिका में दिए गए हैं :-

| **विवरण** | **यूनिट** | **2019-20** | **2020-21** | **अप्रैल '21 सित. '22 (वार्षिकीकृत)** | **जांच की अवधि (अक्तूबर '22 -सितंबर '23)** |
|---|---|---|---|---|---|
| प्रारंभिक | मी. टन | *** | *** | *** | *** |
| अंतिम | मी. टन | *** | *** | *** | *** |
| औसत | मी. टन | 1,283 | 1,314 | 3,129 | 5,146 |

121. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के पास वस्तुसूचियों के औसत स्तर में क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।

**ड)** **<u>रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता</u>**

122. घरेलू उद्योग के रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता के संबंध में स्थिति इस प्रकार है:-

| **विवरण** | **यूनिट** | **2019-20** | **2020-21** | **अप्रैल '21 सित. '22 (वार्षिकीकृत)** | **जांच की अवधि (अक्तूबर '22 - सितंबर '23)** |
|---|---|---|---|---|---|
| कर्मचारियों की संख्या | सं. | 877 | 902 | 1,792 | 1,831 |
| *प्रवृत्ति* | | *100* | *103* | *204* | *209* |
| वेतन और मजदूरी | लाख रु. | *** | *** | *** | *** |
| *प्रवृत्ति* | | *100* | *99* | *163* | *183* |
| उत्पादकता प्रति दिन | मी.टन/दिन | 88 | 97 | 194 | 188 |
| *प्रवृत्ति* | | *100* | *110* | *221* | *214* |

123. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि क्षति अवधि के दौरान कर्मचारियों की संख्या और भुगतान किए गए वेतन में वृद्धि हुई है। ऐसा भारतीय बाजार में उत्पादन क्षमता और उत्पादकों की संख्या में वृद्धि होने के कारण हुआ है। कर्मचारियों की उत्पादकता में 21 अप्रैल से 22 सितंबर तक की अवधि में वृद्धि हुई है और उसके बाद जांच की अवधि में इसमें गिरावट आई है।

**च)** **<u>विकास</u>**

124. आवेदकों के विकास के संबंध में सूचना नीचे दी गई है :-

| **विवरण** | **यूनिट** | **2019-20** | **2020-21** | **अप्रैल '21- सित. '22 (वार्षिकीकृत)** |
|---|---|---|---|---|
| उत्पादन | % | 24 | 71 | 16 |
| घरेलू बिक्रियां | % | 18 | 45 | 17 |
| पीबीआईटी | | 59 | 444 | -130 |
| नकदी लाभ - लाख रु. | % | 233 | 900 | -97 |
| नियोजित पूंजी पर प्रतिफल | % | 3% | 12% | -13% |

125. यह देखा गया है कि मात्रा संबंधी मापदंडों के संदर्भ में विकास सकारात्मक रहा है और कीमत मापदंडों के संदर्भ में नकारात्मक रहा है।

छ) <u>पाटन की मात्रा और पाटन मार्जिन</u>

126. यह देखा गया है कि संबद्ध देश से पाटन मार्जिन न केवल न्यूनतम से अधिक है बल्कि महत्वपूर्ण भी है।

झ. <u>गैर-आरोपण विश्लेषण (अन्य कारक)</u>

127. प्राधिकारी ने यह जांच की है कि क्या पाटनरोधी नियमावली के तहत सूचीबद्ध अन्य कारकों से घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती है। प्राधिकारी ने पाटित आयातों के अलावा, अन्य ज्ञात कारकों की जांच की और यह पता लगाया कि क्या ये कारक भी घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहे हैं, ताकि अन्य कारक, यदि कोई हो, से होने वाली क्षति पाटित आयातों के कारण न हो। इस संबंध में प्रासंगिक कारकों में अन्य के साथ-साथ, पाटित कीमतों पर बिक्री न की गई संबद्ध वस्तुओं की मात्रा, मांग में कमी या खपत की पद्धति में परिवर्तन, व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएं, प्रौद्योगिकी में परिवर्तन, घरेलू उद्योग का निर्यात प्रदर्शन और घरेलू उद्योग की उत्पादकता शामिल है।

**क) तीसरे देशों से आयातों की मात्रा और कीमतें**

128. यह देखा गया है कि अन्य देशों से विचाराधीन उत्पाद के आयात पर या तो शुल्क लग रहा है या मात्रा नगण्य है। घरेलू उद्योग ने थाइलैंड पर लगाए गए शुल्कों में वृद्धि की मांग की है और प्राधिकारी थाइलैंड से आयात के विरुद्ध मध्यावधि समीक्षा जांच कर रहे

हैं। अत: अन्य देशों से आयात घरेलू उद्योग के समक्ष आई वास्तविक क्षति का कारण नहीं हैं।

**ख) मांग में कमी**

129. क्षति अवधि के दौरान मांग में लगातार वृद्धि हुई है। अत: मांग में संभावित गिरावट क्षति का कारण नहीं है।

**ग) खपत की पद्धति में परिवर्तन**

130. क्षति की अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद की खपत की पद्धति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, जिससे कि घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती हो।

**घ) प्रतिस्पर्धा और व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाओं की स्थितियां**

131. जांच में प्रतिस्पर्धा और व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाओं की स्थितियों में कोई परिवर्तन नहीं दर्शाया गया है।

**ड.) प्रौद्योगिकी में परिवर्तन**

132. यह दर्शाने के लिए कि प्रौद्योगिकी में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है, कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

**च) घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन**

133. प्रदान की गई सूचना पर घरेलू उद्योग के घरेलू परिचालन के लिए विचार किया गया है।

**छ) अन्य उत्पादकों का प्रदर्शन**

134. घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद के लिए क्षति संबंधी डेटा प्रदान किया है और प्राधिकारी द्वारा क्षति विश्लेषण के प्रयोजन से इसे अपनाया गया है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और विक्रय किए गए अन्य उत्पादों के प्रदर्शन पर विचार नहीं किया गया है।

**<u>कारण संबंध स्थापित करने वाले कारक</u>**

135. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के प्रदर्शन का विश्लेषण अस्थायी रूप से घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति दर्शाता है। डंप किए गए आयात और घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति के बीच कारणात्मक संबंध निम्नलिखित आधारों पर स्थापित किया गया है:

i. आयात पूर्ण रूप से बढ़ा है और सापेक्ष रूप से महत्वपूर्ण बना हुआ है। देश में क्षमता और उत्पादन बढ़ने के बावजूद आयात बढ़ा है।

ii. संबद्ध आयात की पहुंच कीमत बिक्री मूल्य नीचे है और जांच की अवधि में बिक्री की लागत से भी कम है और इससे कीमत में गिरावट आई है।

iii. जबकि पिछले वर्ष की तुलना में POI में घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी में 3% की वृद्धि हुई, घरेलू बाजार में नए खिलाड़ियों के प्रवेश के साथ भी संबद्ध देश की बाजार हिस्सेदारी में 18% की भारी वृद्धि हुई।

iv. घरेलू उद्योग उत्पादन और बिक्री को उस स्तर तक बढ़ाने में सक्षम नहीं है जो नई क्षमताओं के जुड़ने के अनुरूप डंपिंग की अनुपस्थिति में उचित होता।

v. घरेलू उद्योग की सूची बढ़ रही है और जांच अवधि में इसमें उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

vi. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता और नियोजित पूंजी पर रिटर्न पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। घरेलू उद्योग ने अप्रैल 21-सितंबर 22 में मुनाफा कमाया जो जांच अवधि में घाटे में बदल गया। जांच अवधि में नकद लाभ में भारी गिरावट आई है और आरओआई भी नकारात्मक हो गया है।

136. उपरोक्त विश्लेषण से संकेत मिलता है कि घरेलू उद्योग को संबद्ध देश से भारत में पीयूसी के बढ़े हुए डंप आयात के कारण वास्तविक क्षति हो रही है। संबद्ध देश में उत्पादित या वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के डंप किए गए आयात में वृद्धि और घरेलू उद्योग को हुई वास्तविक क्षति के बीच एक कारणात्मक संबंध मौजूद है।

## ञ. <u>क्षति मार्जिन का परिमाण</u>

137. प्राधिकारी ने यथा-संशोधित अनुबंध-III के साथ पठित नियमावली में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर, घरेलू उद्योग के लिए एनआईपी का निर्धारण किया है। विचाराधीन उत्पाद का एनआईपी, घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराई गई उत्पादन लागत से संबंधित सूचना/आंकड़ों को अपनाकर निर्धारित किया गया है। क्षति मार्जिन की गणना के लिए, संबद्ध देश से प्राप्त मूल्य की तुलना करने के लिए एनआईपी पर विचार किया गया है। एनआईपी का निर्धारण करने के लिए, क्षति अवधि के दौरान, कच्चे माल और उपयोगिताओं का सर्वोत्तम उपयोग किए जाने पर विचार किया गया है। असाधारण या गैर-आवर्ती व्ययों को उत्पादन की लागत से बाहर रखा गया है। नियमावली के अनुबंध-III में निर्धारित एनआईपी प्राप्त करने के लिए, विचाराधीन उत्पाद के लिए औसत नियोजित पूंजी (अर्थात औसत निवल अचल संपत्ति और औसत कार्यशील पूंजी) पर उचित प्रतिफल (कर-पूर्व 22% की दर पर) को कर-पूर्व लाभ के रूप में अनुमति दी गई थी।

### संबंधित उत्पादकों और निर्यातकों के लिए क्षति मार्जिन

138. यह नोट किया गया है कि विषय जांच में कई सहयोगी उत्पादक और निर्यातक एक-दूसरे से संबंधित हैं और संबंधित कंपनियों का एक समूह बनाते हैं। क्षति मार्जिन के निर्धारण के लिए संबंधित निर्यातक उत्पादकों और निर्यातकों को एक एकल इकाई के रूप में विचार करना और इस प्रकार उनके लिए एक एकल क्षति मार्जिन स्थापित करना प्राधिकरण की एक सतत प्रथा रही है। यह विशेष रूप से इसलिए है क्योंकि व्यक्तिगत क्षति मार्जिन की गणना करने से एंटी-डंपिंग उपायों की रोकथाम को बढ़ावा मिल सकता है, जिससे संबंधित निर्यातक उत्पादकों को सबसे कम व्यक्तिगत क्षति मार्जिन वाली कंपनी के माध्यम से भारत में अपने निर्यात को सक्षम करने से उन्हें अप्रभावी बना दिया जा सकता है।

139. उपरोक्त के अनुसार, संबंधित उत्पादकों और निर्यातकों को एक एकल इकाई माना गया है और एक एकल क्षति मार्जिन को जिम्मेदार ठहराया गया है, जिसकी गणना सहयोगी संबंधित उत्पादकों और निर्यातकों के क्षति मार्जिन के भारित औसत के आधार पर की गई थी।

140. ऊपर निर्धारित पहुंच मूल्य और एनआईपी के आधार पर, प्राधिकारी द्वारा अनंतिम रूप से निर्धारित किए गए क्षति मार्जिन को नीचे तालिका में दर्शाया गया है :

**क्षति मार्जिन**

| कंपनी | क्षति रहित कीमत | पहुंच कीमत | क्षति मार्जिन | क्षति मार्जिन | |
|---|---|---|---|---|---|
| | यूएसडॉ./मी. टन | यूएसडॉ./मी. टन | यूएसडॉ./मी. टन | % | रेंज |
| हेनॉन मिंगताई टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कं. लिमि. | *** | *** | *** | *** | 10-20 |
| हेनॉन मिंगशेंग न्यू मेटीरियल टेक्नोलॉजी कं. लिमि. | | | | | |
| सुनहो न्यू मेटीरियल्स टेक्नोलॉजी कं. लिमि. | *** | *** | *** | *** | 10-20 |
| शंघाई सुनहो एल्यूमीनियम फॉयल कं. लिमि. | | | | | |
| जियांगसु डिंगशेंग न्यू मेटीरियल जायंट-स्टॉक कं. लिमि. | *** | *** | *** | *** | 10-20 |
| इनर मंगोलिया लियान शेन न्यू एनर्जी कंपनी लिमिटेड | | | | | |
| हांग्जो फाइव स्टार एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड, | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| सैंपल्ड न किए गए सहयोगी उत्पादक | *** | *** | *** | *** | 10-20 |
| असहयोगी उत्पादक/निर्यातक | *** | *** | *** | *** | 30-40 |

## ट. <u>भारतीय उद्योग का हित और अन्य मामले</u>

### ट.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

141. जन हित के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :-

i. प्राधिकारी ने चीन जन. गण. से आयातित एल्युमिनियम फॉयल पर निरंतर आधार पर अनेक शुल्क लगाए हैं, लेकिन घरेलू उद्योग को अभी भी दिए जाने की जरूरत है।

ii. बाजार में नए भागीदार शामिल हुए हैं और कई अन्य शामिल होने जा रहे हैं।

iii. एकाधिकार बनने से रोकने के लिए उचित ध्यान दिया जाता है।

iv. शुल्कों को लगाए जाने पर उत्पाद की अंतिम लागत अधिक हो जाएगी। शुल्क राशि के साथ उत्पाद की कीमत के कारण अंतिम उपभोक्ताओं के लिए किफायतता की समस्याएं आएंगी।

v. शुल्क के साथ एल्युमिनियम फॉयल कंटेनर जैसी वस्तुओं के उत्पादन की लागत में वृद्धि होगी। उत्पादन की लागत को 80 - 85% में संबद्ध वस्तुएं हैं और ऐसे उत्पादन पर शुल्कों का प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

vi उपभोक्ताओं के लिए वस्तुओं की निरंतर रूप से उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए शुल्कों को जोड़कर भी आयात करना होगा, जिसके लिए घरेलू उत्पादकों द्वारा अत्यधिक कीमत वसूली जाएगी।

vii. घरेलू उद्योग में भारत में संबद्ध वस्तुओं के डाउनस्ट्रीम उपभोक्ताओं द्वारा आवश्यक पर्याप्त गुणवत्ता का अभाव है, जिसके कारण आयात किए जाने की आवश्कयता होती है।

viii. यदि शुल्क लगाए जाते हैं, तो डाउनस्ट्रीम उत्पादकों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और वे संबद्ध वस्तुओं को अच्छी उत्पाद गुणवत्ता, समय सीमा के भीतर प्राप्त करने में

असमर्थ होंगे और ग्राहकों की मांगों को पूरा करने के लिए डाउनस्ट्रीम उत्पादकों की क्षमता पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा।

ix. डाउनस्ट्रीम तैयार वस्तुओं की लागत में वृद्धि होगी, जिसके कारण भारतीय डाउनस्ट्रीम उद्योग अव्यवहारिक हो जाएगा। अन्य देशों से तैयार वस्तुओं के आयात में वृद्धि होगी और भारत में फ्लैक्सिबल पैकेजिंग उद्योग को क्षति होगी।

## ट.2 घरेलू उद्योग के विचार

142. घरेलू उद्योग द्वारा जन हित के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :

i. एक घरेलू उद्योग द्वारा संचालित किए जा रहे उचित मूल्य के उत्पादों के बाजार का होना उपभोक्ताओं के हित में है, जो आयातों का मुकाबला कर सकते हैं।

ii. भारत में घरेलू विनिर्माण क्रियाकलापों को बढ़ावा देना इसका विनिर्माण महाशक्ति बनने की भूमिका में सहायता के लिए आवश्यक है। घरेलू उत्पादन से रोजगार को बढ़ावा मिलेगा और देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में वृद्धि होगी।

iii. समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए और भारत को पूरी तरह से उत्पाद के आयात पर निर्भर होने से रोकने के लिए पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना आवश्यक है।

iv. आवेदक कंपनियां बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं। यदि आवेदक कंपनियों के किसी भी एक व्यावसायिक प्रभाग के प्रदर्शन में गंभीर बाधा आती है, तो इसका अनिवार्य रूप से कंपनी के भीतर अन्य प्रभागों पर भी प्रभाव पड़ेगा। अत: आवेदक कंपनियों की पूरी परिस्थितिकी व्यवस्था के लिए इस उत्पाद की व्यवहार्यता काफी महत्वपूर्ण है।

v. उपभोक्ता के लिए एल्यूमिनियम की लागत नगण्य है। संबद्ध वस्तुओं के डाउनस्ट्रीम उपभोक्ता ऐसे उद्योग हैं, जो खाद्य और पेय पदार्थों, फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग आदि के संरक्षण, भंडारण और तैयारी के लिए एल्यूमिनियम फॉयल का उपयोग करते हैं, प्राधिकारी ने विगत निर्णायक समीक्षा जांच में यह पाया था कि घरेल उद्योग या चीन के उत्पादकों द्वारा उत्पाद की कीमतों में कोई वास्तविक वृद्धि नहीं की गई है।

vi घरेलू उद्योग ने वर्तमान जांच में प्रस्तावित शुल्कों का प्रभाव निर्धारित किया है। विभिन्न अंतिम प्रयोक्ताओं के लिए औसत प्रभाव 0.026 - 4.36% के बीच है।

vii. चीन जन. गण. से आयात की गई संबद्ध वस्तुएं पहले पाटनरोधी शुल्कों के अधीन थीं। यह दर्शाने के लिए कोई सार्वजनिक सूचना नहीं है कि पहले लागू किए गए उपायों का अंतिम उपभोक्ता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था।

viii. पहले के शुल्क लागू होने के बाद से भारतीय उद्योग में काफी विकास हुआ है। उन्होंने काफी निवेश किया है और क्षमताओं का विस्तार किया है, क्योंकि सरकार ने पहले पाटन का उपचार किया था और चीन जन. गण. से आयात पर शुल्क लगाकर समान भागीदारी का स्तर प्रदान किया था। विगत में मांग और आपूर्ति के अंतर की तुलना में, अब भारतीय उद्योग के पास अधिशेष क्षमताएं हैं।

ix. भारत का एल्युमिनियम उद्योग विश्व में एल्युमिनियम और इसके उत्पादों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादन करने वाला उद्योग है। भारतीय कंपनियों का एल्युमिनियम उत्पादन में भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का लगभग 2% योगदान है।

x. एल्युमिनियम फॉयल प्लास्टिक की बोतलों का एक पर्यावरण अनुकूल विकल्प है, जो प्रदूषण में प्रमुख योगदान करता है। एल्युमिनियम फॉयल एक गैर-विषाक्त सामग्री है, जो अत्यधिक तापमान पर भी भंगुर नहीं होता, जो लगभग समस्त विकिरण हुई ऊष्मा को परावर्तित कर देता है। यह एक अच्छा तापीय चालक भी है और सामान्यत: काफी नरम होता है।

**ट.3 प्राधिकारी द्वारा जांच**

143. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि सामान्यत: पाटनरोधी शुल्क लगाने का प्रयोजन पाटन की अनुचित व्यापार प्रक्रियाओं के कारण घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को दूर करना होता है, जिससे कि भारतीय बाजार में खुली और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा की स्थिति को पुन: स्थापित किया जा सके, जो देश के सामान्य हित में भी है। पाटनरोधी उपायों के लगाने का प्रयोजन किसी भी तरह से संबद्ध देश से आयात को प्रतिबंधित करना नहीं है। व्यापार उपचार संबंधी जांच का उद्देश्य व्यापार को विकृत करने वाले आयातों के विरुद्ध समुचित शुल्क लगाकर घरेलू उत्पादकों के लिए एक समान भागीदार का स्तर सुनिश्चित

करते हुए घरेलू बाजार में समान मुकाबले का अवसर बहाल करना है। साथ ही, प्राधिकारी को यह पता है कि ऐसे शुल्कों का प्रभाव केवल विचाराधीन उत्पाद के घरेलू उत्पादकों तक ही सीमित नहीं है बल्कि इससे विचाराधीन उत्पाद के प्रयोक्ताओं और उपभोक्ताओं को भी प्रभावित करना है। इसके अतिरिक्त, शुल्क लगाए जाने से घरेलू स्तर पर प्रतिस्पर्धा की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं, लेकिन इसके साथ ही, देश में नए उत्पादक तैयार होने को भी प्रेरित किया जा सकता है।

144. प्राधिकारी ने आयातकों, उपभोक्ताओं और अन्य सहित सभी हितबद्ध पक्षकारों से विचार आमंत्रित करके शुरुआती अधिसूचना जारी की। प्राधिकारी ने प्रयोक्ताओं/ उपभोक्ताओं के लिए एक प्रश्नावली भी निर्धारित की ताकि वे वर्तमान जांच के लिए संगत जानकारी प्रदान कर सकें, जिसमें कि उनके परिचालन के संबंध में पाटनरोधी शुल्क का संभावित प्रभाव भी शामिल है। अन्य के साथ-साथ विभिन्न देशों के विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले उत्पाद की परस्पर अदला-बदली, घरेलू उद्योग की स्रोत बदलने की क्षमता, उपभोक्ताओं पर पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव, ऐसे कारक, जिनसे पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के कारण उत्पन्न हुई नई स्थिति के लिए समायोजन में तेजी आ सकती है, या विलंब हो सकता है, के संबंध में सूचना की मांग की गई थी।

145. प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकारों ने डाउनस्ट्रीम उद्योग और अंतिम ग्राहकों पर पाटनरोधी शुल्कों के संभावित प्रभाव के संबंध में कोई मात्रात्मक और/ या सत्यापन योग्य सूचना प्रदान नहीं की है। तथापि, घरेलू उद्योग ने अंतिम उपभोक्ताओं पर शुल्क के प्रभाव के संबंध में मात्रात्मक और सत्यापन करने योग्य सूचना प्रस्तुत की है। औसत तौर पर विभिन्न अंतिम प्रयोक्ताओं के लिए प्रभाव 0.026 - 4.36% के बीच है।

क. फार्मास्युटिकल ब्लिस्टर पैक -0.026 %

ख. फार्मास्युटिकल स्ट्रिप पैक - 0.073 %

ग. फार्मास्युटिकलएलू एलू स्टॉक :

i. ब्लिस्टर फॉयल - 0.022%

ii. एलू एलू - 0.046%

iii. टेल्मा 40 - 0.068%

घ. फ्लैक्सिबल पैकेजिंग - 0.071%

ड. हाउसफॉयल - 3.5%

च. एसआरसी - 4.36%

146. विगत में पूरी हुई किसी भी जांच में उपभोक्ताओं ने यह तर्क नहीं दिया कि शुल्कों का उनके परिचालन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है या पहले लगाए गए शुल्कों के कारण उन्हें किसी बढ़ी हुई लागत या समस्या का संदर्भ दिया गया है।

147. प्राधिकरण ने नोट किया है कि 64230 मीट्रिक टन की नई क्षमताएं शुरू की गई हैं। साथ ही, यह भी नोट किया गया है कि भारतीय उद्योग के पास देश में संबद्ध वस्तुओं की संपूर्ण मांग से अधिक क्षमता है। 2,89,735 मीट्रिक टन की कुल भारतीय क्षमता जांच अवधि में 1,96,266 मीट्रिक टन की स्थापित मांग से अधिक है।

148. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जांच की अवधि में संबद्ध देश से आयातों की मात्रा में काफी वृद्धि हुई है। संबद्ध देश से आयातों में वृद्धि के कारण घरेलू उद्योग के बाजार अंश पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इसके अतिरिक्त, यह भी नोट किया जाता है कि भारतीय उद्योग के पास देश में मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता है और मांग व आपूर्ति के बीच कोई अन्तराल नहीं है। भारतीय क्षेत्र में संबद्ध वस्तुओं की शीघ्र और अल्पावधिक डिलीवरी के लिए संबद्ध वस्तुओं की आपूर्ति के स्रोतों का मौजूद होना भी उपभोक्ता उद्योग के हित में है। आपूर्ति के लिए अनेक स्रोत बनाए रखना उपभोक्ता उद्योग के दीर्घावधिक हित में भी है।

**ठ. <u>निष्कर्ष और सिफारिश</u>**

149. प्राधिकारी के समक्ष किए गए अनुरोधों, उपलब्ध कराई गई सूचना और उपलब्ध कराए गए तथ्यों के आधार पर, जिन्हें ऊपर दर्ज किया गया है, तथा पाटन और उसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को क्षति के उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर, प्राधिकारी निम्नलिखित निष्कर्ष प्रदान करते हैं :

i. विचाराधीन उत्पाद का दायरा, "चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित गैर-कैपेसिटर अनुप्रयोग के लिए 5.5 माइक्रोन से कम के एल्युमिनियम फॉयल को छोड़कर" 80 माइक्रोन तक के एल्युमिनियम फॉयल हैं।

ii. संबद्ध वस्तुओं को सीमा शुल्क उप शीर्षों 76071190, 76072090, 76072010, 76071110, 76071999, 76071991, 76071995, 76071910, 76071994, 76071993 और ' 76071992 के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

iii. यह आवेदन मैसर्स हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मैसर्स श्याम सेल एंड सेल एंड पावर लिमिटेड, मैससे श्री वेंकटेश्वर इलैक्ट्रोफास्ट प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स रवि राज फॉयल्स लिमिटेड, मैसर्स जीएलसी फॉयल्स प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स एलएसकेबी एल्युमिनियम फॉयल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदक नियमावली के नियम 2(ख) के तहत घरेलू उद्योग है और नियम 5(3) के अनुसार, आधार के मानदंडों को पूरा करते हैं।

iv. जांच की अवधि के दौरान इन घरेलू उत्पादकों की संयुक्त क्षमता और उत्पादन क्रमश: 1,32,140 मी. टन और 69,572 मी. टन था, जबकि ज्ञात भारतीय क्षमता और उत्पादन क्रमश: 2,89,735 मी. टन और 1,26,495 मी. टन है। इस प्रकार से इन कंपनियों के पास जांच की अवधि में साझा क्षमता का लगभग 45% और उत्पादन का लगभग 54% हिस्सा है।

v. वर्तमान याचिका के लिए ईएसएस डीईई एल्युमिनियम लिमिटेड, स्पर्श इंडस्ट्रीज लि0, एसआरएफ एल्टेक लि0 और ट्रेफोइल पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा समर्थन किया गया है।

vi. चीन जन. गण. से निर्यातित संबद्ध वस्तुएं और घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित वस्तुएं, पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 2(घ) के अनुसार एक दूसरे के

लिए “समान वस्तुएं” हैं। रिकॉर्ड पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, परिभाषित घरेलू उद्योग भारत में आयात किए गए सभी प्रकार के उत्पादों का उत्पादन और आपूर्ति कर सकता है।

vii. घरेलू और आयातित उत्पादों के बीच उचित तुलना सुनिश्चित करने और पाटन स्थापित करने के लिए, प्राधिकारी ने एक पीसीएन प्रणाली अपनाई है और पीसीएन-वार आंकड़ों पर विचार करके पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन स्थापित किया गया है।

viii. भारत को विचाराधीन उत्पाद का निर्यात सामान्य मूल्य से कम मूल्य पर किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप पाटन हुआ है। पाटन मार्जिन न केवल न्यूनतम स्तर से ऊपर है, बल्कि महत्वपूर्ण भी है।

ix. संबद्ध देश से आयातों का क्षति अवधि के दौरान भारत में कुल आयातों का अधिकांश हिस्सा है और जांच की अवधि में लगभग 66% है। इसके अलावा, क्षति अवधि के दौरान, विशेषकर जांच की अवधि के दौरान संबद्ध आयातों की मात्रा में वृद्धि हुई है।

x. आवेदकों के पास घरेलू मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता होने के बावजूद, संबद्ध आयातों का भारतीय बाजार के 30% हिस्से पर कब्जा है। मांग में वृद्धि की तुलना में चीन से आयात में अधिक तेजी से वृद्धि हुई थी। चूंकि खपत में समग्र वृद्धि आधार वर्ष की तुलना में पीओआई में केवल 106% थी, जबकि आयात में 178% की वृद्धि हुई और भारतीय उत्पादकों की बिक्री में केवल 29% की वृद्धि हुई।

xi. आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही है। कीमतों में कटौती होने के कारण घरेलू उद्योग को कीमत में मंदी का सामना करना पड़ रहा है। घरेलू उद्योग के उत्पादन लागत में कमी से अधिक कीमतों में कमी करने के लिए मजबूर होना पड़ा है।

xii. क्षति अवधि के दौरान क्षमता, उत्पादन और घरेलू बिक्री की मात्रा में वृद्धि हुई है।

xiii. क्षति अवधि के दौरान संबद्ध देश के बाजार अंश में वृद्धि हुई है।

xiv. आवेदकों के पास मौजूदा मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता होने के बावजूद, घरेलू उद्योग के पास भारतीय बाजार में मुश्किल से 55% की हिस्सेदारी है।

xv. जांच की अवधि में आयात में वृद्धि होने के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को हानि हुई है। जांच की अवधि में नकदी लाभ, आरओआई में भारी गिरावट आई है।

xvi. जांच की अवधि में आवेदकों की औसत वस्तुसूची में काफी वृद्धि हुई है।

xvii. पाटित आयातों से घरेलू उद्योग के विकास पर मात्रा और कीमत मापदंडों, दोनों के संबंध में प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

xviii. प्राधिकारी ने अन्य पक्षकारों द्वारा किसी अन्य कारकों के संबंध में किए गए अनुरोधों की जांच की है, जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती थी। किसी अन्य कारक से घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हुई है। प्राधिकारी प्रावधिक का यह निष्कर्ष है कि घरेलू उद्योग को हुई वास्तविक क्षति, संबद्ध देश से पाटित आयातों के कारण हुई है।

xix. प्राधिकारी ने एक आर्थिक हित प्रश्नावली निर्धारित की थी, जिसे इस जांच में सभी हितबद्ध पक्षकारों को भेजा गया था। घरेलू उद्योग ने शुल्क के संभावित प्रभाव का एक परिमाणीकरण भी प्रदान किया है। प्राधिकारी ने उपभोक्ताओं पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव का परिमाणीकरण किया है। यह देखा गया है कि प्रस्तावित उपायों का प्रभाव न्यूनतम होगा।

150. पाटनरोधी नियमावली के तहत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंधी की जांच करने तथा संचालित करने के बाद, प्राधिकारी का विचार है कि पाटन और परिणामी क्षति की पूर्ति के लिए अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाना आवश्यक है। प्राधिकारी संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयात पर अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करना आवश्यक समझते हैं।

151. कमतर शुल्क नियम का पालन किए जाने को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन में से कम के बराबर अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाने की

सिफारिश करते हैं ताकि घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को दूर किया जा सके। तदनुसार, प्राधिकारी संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयात पर अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं, जो केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में नीचे दी गई शुल्क तालिका के कॉलम 7 में उल्लिखित धनराशि के समान है। इस उद्देश्य के लिए, आयात का पहुंच मूल्य, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत सीमा शुल्क द्वारा निर्धारित मूल्यांकन योग्य मूल्य और सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3, 3 क, 8 ख, 9, 9 क के तहत लगाए गए शुल्कों को छोड़कर, सीमा शुल्क का लागू स्तर होगा।

**शुल्क तालिका**

| **क्र. सं.** | **शीर्ष/ उप शीर्ष** | **वस्तुओं का विवरण** | **मूलता का देश** | **निर्यात का देश** | **उत्पादक / निर्यातक** | **धनराशि** | **मापने की इकाई** | **मुद्रा (यूएस डॉलर)** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | **76071190, 76072090, 76072010, 76071110, 76071999, 76071991,** | "गैर-कैपेसिटर अनुप्रयोग के लिए 5.5 माइक्रोन से कम के | चीन जन. गण. | चीन जन. गण. सहित कोई देश | हेनन मिंगताई टेक्नोलॉजी डेवलेपमेंट कं. लि. | 653 | मी. टन | यूएसडॉ. |

| क्र. सं. | शीर्ष/ उप शीर्ष | वस्तुओं का विवरण | मूलता का देश | निर्यात का देश | उत्पादक / निर्यातक | धनराशि | मापने की इकाई | मुद्रा (यूएस डॉलर) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **76071995, 76071910, 76071994, 76071993 और' 76071992*** | एल्युमिनियम फॉयल को छोड़कर, 80 माइक्रोन तक के एल्युमिनियम फॉयल" निम्नलिखित को छोड़कर<br>**** निम्नलिखित को छोड़कर** | | | हेनन मिंगशेंग न्यू मैटिरियल टेक्नोलॉजी कं. लि. | | | |
| 2 | वही | वही | चीन जन. गण | चीन जन. गण. सहित कोई देश | सुनहो न्यू मैटिरियल्स टेक्नोलॉजी कं. लि. | 619 | मी. टन | यूएसडॉ. |

| क्र. सं. | शीर्ष/ उप शीर्ष | वस्तुओं का विवरण | मूलता का देश | निर्यात का देश | उत्पादक / निर्यातक | धनराशि | मापने की इकाई | मुद्रा (यूएस डॉलर) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | शंघाई सुनहो एल्युमिनियम फॉयल कं. लि. | | | |
| 3 | वही | वही | चीन जन. गण. | चीन जन. गण. सहित कोई देश | जियांगसु डिंगशेंग न्यू मेटीरियल जायंट-स्टॉक कं. लिमि. | | | |
| | | | | | इनर मंगोलिया लियान शेन न्यू एनर्जी कंपनी लिमिटेड | 632 | मी. टन | यूएसडॉ. |
| | | | | | हांग्जो फाइव स्टार एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड, | | | |
| 4 | वही | वही | चीन जन. | चीन जन. | *** गैर-सैम्पल | 633 | मी. | यूएसडॉ. |

| क्र. सं. | शीर्ष/ उप शीर्ष | वस्तुओं का विवरण | मूलता का देश | निर्यात का देश | उत्पादक / निर्यातक | धनराशि | मापने की इकाई | मुद्रा (यूएस डॉलर) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | गण. | गण. सहित कोई देश | सहकारी उत्पादक | | टन | |
| 5 | वही | वही | संबद्ध देश के अलावा कोई अन्य देश | चीन जन. गण. | क्र.सं. 1,2, 3 और 4 के अलावा कोई उत्पादक | 873 | मी. टन | यूएसडॉ. |
| 6 | वही | वही | संबद्ध देश के अलावा कोई अन्य देश | चीन जन. गण. | कोई भी | 873 | मी. टन | यूएसडॉ. |

**नोट- सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और पाटनरोधी शुल्क का निर्धारण विचाराधीन उत्पाद के विवरण के अनुसार किया जाएगा।*

*****निम्नलिखित को छोड़कर***

*i.* ***गैर-कैपेसिटर अनुप्रयोगों के लिए चीन जन. गण. से 5.5 माइक्रोन से कम के एल्युमिनियम फॉयल -*** *"कैपेसिटर अनुप्रयोगों के लिए एल्युमिनियम फॉयल "5.5 माइक्रोन से कम, विचाराधीन उत्पाद के दायरे के भीतर है। इसे विशेष रूप से "चीन जन. गण., मलेशिया, थाइलैंड और इंडोनेशिया के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 80*

*माइक्रोन और उससे कम के एल्युमिनियम फॉयल" के संबंध में की गई पाटनरोधी शुल्क जांच में बाहर रखा गया था।*

ii. ***अल्ट्रा लाइन गेज कन्वर्टेड फॉयल जिसका उपयोग इंसुलेशन, मसालों की पैकिंग, थर्मल फ्लूड लाइन कवरिंग और टी बैग के अनुप्रयोग में किया जाता है -*** *अल्ट्रा लाइट गेज कन्वर्टेड फॉयल एक एल्युमिनियम फॉयल है, जिसकी मोटाई 5.5 माइक्रोन से 7 माइक्रोन तक की होती है, जिसे क्राफ्ट पेपर और स्क्रिम या ग्लास क्लॉथ, चाहे प्लेन हो या प्रिंटेड हो, जिसका उपयोग इंसुलेनशन, मसालों की पैकिंग, थर्मल फ्लूड लाइन कवरिंग और टी बैग के अनुप्रयोग में उपयोग के लिए किया जाता है।*

iii. ***इलैक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर के लिए नक्काशीदार या निर्मित एल्युमिनियम फॉयल -*** *नक्काशीदार या निर्मित एल्युमिनियम फॉयल है, जिसका उपयोग इलैक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर के निर्माण में किया जाता है।*

iv. ***फैकेड क्लोडिंग और साइनेज अनुप्रयोगों के लिए एल्युमिनियम कंपोजिट पैनल -*** *एल्युमिनियम कंपोजिट पैनल एक गैर-एल्युमिनियम कोर (प्रायः पीई) है, जो एल्युमिनियम की दो पतली परतों के बीच बंधा होता है, जिसका उपयोग फैकेज क्लेडिंग और साइनेज में होता है।*

v. ***संगत नॉन-क्लेड एल्युमिनियम फॉयल के साथ क्लेड किया हुआ -*** *संग नॉन क्लेड एल्युमिनियम फॉयल के साथ क्लेज की गई फॉयल एक जंगरोधी एल्युमिनियम शीट है, जो एल्युमिनियम सर्फेस लेयर्स से बना है, जो ऑटोमोटिव उद्योग और औद्योगिक अनुप्रयोगों में इंजन कूलिंग और एयर कंडीशनर सिस्टम में उपयोग के लिए उच्च-शक्ति की एल्युमिनियम अलॉय कोर सामग्री से मेटलार्जिकल रूप से बंधा है; जैसे रेडिएटर, कंडेंसर, इवेपोरेटर, इंटरकूलर, ऑयल कूल और हीटर।*

vi ***बीयर की बोतलों के लिए एल्युमिनियम फॉयल -*** *10.5 माइक्रोन की एल्युमिनियम फॉयल खुरदरी सर्फेस के साथ और छिद्रित, चाहे प्रिंटेड हो या नहीं, जिसे बीयर की बोतल में प्रयोग किया जाना है।*

vii. ***एल्युमिनियम - मैंगनीज -*** *सिलिकॉन आधारित और/ या क्लैड एल्युमिनियम - मैंगनीज सिलिकॉन आधारित अलॉय, चाहे क्लैड हो या अनक्लैड - पोस्ट ब्रेजिंग यील्ड स्ट्रेंथ 35 एमपीए से अधिक के साथ, जो टैरिफ शीर्ष 7607 और 7606 के अन्तर्गत, रेडिएटर, चार्ज एयर कूलर, कंडेंसर, ऑयल कूलर, हीटर कोर, इवेपोरेटर, हीट वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग (एचवीएसी) सिस्टम और उसके पार्ट सहित हीट एक्सचेंजर में उपयोग के लिए।*

viii. *अधेसिव टेप*

ix. ***कलर कोटेड एल्युमिनियम फॉयल -*** *या तो एक तरफ या दोनों तरफ, चाहे रंग, आकार या कोटिंग कोई भी हो।*

x. ***पॉलियूरेथेन कोटेड एल्युमिनियम फॉयल -*** *या तो एक तरफ या दोनों तरफ, चाहे रंग, आकार या कोटिंग कोई भी हो।*

****नॉन सैम्पल कंपनियों की सूची*

1) शेडोंग डेली एल्यूमिनियम प्रौद्योगिकी कं, लिमिटेड
2) जियांग्सु झोंगजी लेमिनेशन मैटिरियल्स कंपनी लिमिटेड
3) लुआआंग लोंगडिंग एल्युमिनियम इंडस्ट्रीज कंपनी लिमिटेड
4) ज़ियामेन ज़ियाशुन एल्यूमीनियम फॉयल कं, लिमिटेड
5) जियांग्सु फेंगयुआन एल्युमिनियम मास्टर टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड
6) लुओयांग वानजी एल्यूमिनियम प्रोसेसिंग कं, लिमिटेड
7) कुनशान एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड

152. इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए आयात का पहुंच मूल्य सीमा शुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) के तहत सीमा शुल्क द्वारा निर्धारित मूल्यांकन योग्य होगा और इसमें उक्त अधिनियम की धारा 3, 8ख, 9, 9क के तहत शुल्कों को छोड़कर सीमा शुल्क के सभी शुल्क शामिल होंगे।

ड. <u>आगे की प्रक्रिया</u>

153. प्रारंभिक जांच परिणामों को अधिसूचित करने के बाद नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन किया जाएगा :

i. सभी हितबद्ध पक्षकारों को मौखिक सुनवाई के समय ज्ञात प्रारंभिक जांच परिणामों पर अपने विचार प्रकट करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा।

ii. प्राधिकारी नियम 6(6) के अनुसार मौखिक सुनवाई करेंगे ताकि सभी हितबद्ध पक्षकारों को जांच के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर दिया जा सके, जिसके बाद लिखित अनुरोध दिए जाएंगे।

iii. मौखिक सुनवाई की तारीख डीजीटीआर की वेबसाइट (https://dgtr.gov.in) पर घोषित की जाएगी।

iv. प्राधिकारी आवश्यक समझी गई सीमा तक आगे सत्यापन करेंगे।

v. प्राधिकारी अंतिम जांच परिणामों को अधिसूचित करने से पहले पाटनरोधी नियमावली के तहत आवश्यक तथ्यों का प्रकटन करेंगे।

**(अनन्त स्वरूप)**
**निर्दिष्ट प्राधिकारी**